

सख्या: पीसीएच-एचसी(5)सी(15)ए0टी0आई0असा0-IV- 21996  
हिमाचल प्रदेश सरकार,  
पंचायती राज विभाग।

प्रेषक,

अनिल शर्मा,  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री,  
हिमाचल प्रदेश।

प्रेषित,

सचिव,  
हिमाचल प्रदेश विधान सभा,  
शिमला-171004

शिमला-9

दिनांक

28 अगस्त, 2015


विषय:-

प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) हि0प्र0 द्वारा 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए पंचायत राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों पर वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन को विधान सभा के पटल पर रखे जाने बारे।

महोदय,

मैं एतद् द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 की उप धारा (5) के प्रावधानों के अधीन प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) हि0प्र0 द्वारा 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों पर वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन को हिन्दी तथा अंग्रेजी भाषा में विधान सभा के पटल पर इसके मौनसून सत्र में रखने के आशय का नोटिस देता हूँ।

अतः मैं, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 के अन्तर्गत उपरोक्त प्रतिवेदन की 6 अधिप्रमाणित प्रतियां आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर रहा हूँ।

भवदीय,  
  
अनिल शर्मा

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री  
हिमाचल प्रदेश।

**The Annual Technical Inspection Report**

**on**

**Panchayati Raj Institutions and Urban Local Bodies  
for the year ended 31 March 2014**

**Government of Himachal Pradesh**

**Office of the Principal Accountant General (Audit),  
Himachal Pradesh, Shimla**



**The Annual Technical Inspection Report**  
**on**  
**Panchayati Raj Institutions and Urban Local Bodies**  
**for the year ended 31 March 2014**  
**Government of Himachal Pradesh**



**Office of the Principal Accountant General (Audit),**  
**Himachal Pradesh, Shimla**

<b>TABLE OF CONTENTS</b>		
<b>Particulars</b>	<b>Paragraph</b>	<b>Page No.</b>
<b>Preface</b>		<b>iii</b>
<b>Overview</b>		<b>v</b>
<b>PART-A PANCHAYATI RAJ INSTITUTIONS</b>		
<b>CHAPTER-1 PROFILE OF PANCHAYATI RAJ INSTITUTIONS</b>		
Background of Panchayati Raj Institutions	1.1	1
Audit mandate of the CAG	1.2	1
Organisational structure of Panchayati Raj Institutions	1.3	1
Financial profile	1.4	3
Accounting system in Panchayati Raj Institutions	1.5	5
Audit coverage	1.6	6
Financial reporting and accountability framework of PRIs (internal control system)	1.7	6
<b>CHAPTER-2 RESULTS OF AUDIT OF PANCHAYATI RAJ INSTITUTIONS</b>		
Revenue	2.1	11
Blocking of funds	2.2	12
Doubtful deployments	2.3	13
Implementation of MGNREGS	2.4	13
Non-utilisation of asset	2.5	14
<b>Part-B URBAN LOCAL BODIES</b>		
<b>CHAPTER-3 PROFILE OF URBAN LOCAL BODIES</b>		
Background of Urban Local Bodies	3.1	15
Audit mandate	3.2	15
Organisational structure of Urban Local Bodies	3.3	15
Financial profile	3.4	17
Audit coverage	3.5	19
Financial reporting and accounting framework of ULBs (internal control system)	3.6	19

<b>CHAPTER-4</b>		
<b>RESULTS OF AUDIT OF URBAN LOCAL BODIES</b>		
Revenue	4.1	23
Blocking of funds	4.2	26
Unfruitful expenditure	4.3	26
Injudicious expenditure	4.4	27
Non-utilisation of assets	4.5	27
Non-utilisation of funds	4.6	28

<b>APPENDICES</b>		
<b>Particulars</b>	<b>Appendix No.</b>	<b>Page No.</b>
Sanctioned strength and persons-in-position of PRIs	1	29
Audit coverage - Details of Panchayati Raj Institutions and Urban Local Bodies audited during 2013-14	2	30
Non-preparation of budget estimates	3	35
List of Panchayat Samities and Gram Panchayats who have not maintained records	4	36
Improper Maintenance of accounts of income from own resources and grant-in-aids	5	38
Non-reconciliation of difference between cash books with bank pass books	6	39
Non-accountal of material	7	42
Blocking of funds under 13 <sup>th</sup> Finance Commission	8	43
Blocking of funds due to non-start of works under 13 <sup>th</sup> Finance Commission	9	45
Non-recovery of house tax	10	46
Outstanding rent of shops	11	48
Blocking of funds due to non-start of works	12	49
Less expenditure on material components of works executed under MGNREGA	13	50
Delay in releasing payments under MGNREGA scheme	14	51
Sanctioned strength and persons-in-position of ULBs	15	52
Statement of budget estimates and actual expenditure of ULBs	16	54
Statement showing cases where cash book shows less balance than bank pass book	17	57
Outstanding house tax	18	58
Non-realisation of rent from shops/stalls	19	59

## **PREFACE**

1. The Annual Technical Inspection Report (ATIR) has been prepared for submission to the State Government to be placed before the State Legislature of Himachal Pradesh in accordance with the terms and conditions of Technical Guidance and Support (TGS) to the audit of Panchayati Raj Institutions (PRIs) and Urban Local Bodies (ULBs) as entrusted by the Government of Himachal Pradesh to the Comptroller and Auditor General (CAG) of India under section 20(1) of CAG's DPC Act, 1971.
2. The Report contains four chapters. Chapter-I and Chapter III contain overview of PRIs and ULBs and the comments on financial reporting. Chapter II and Chapter IV contain findings emerging from transaction audits of PRIs and ULBs respectively.
3. The cases mentioned in this Report are consolidation of major audit findings arising out of audit of accounts of 148 PRIs (10 Zila Parishads, 20 Panchayat Samities and 118 Gram Panchayats) and 17 ULBs (one Municipal Corporation, nine Municipal Councils and seven Nagar Panchayats) conducted during the year 2013-14.



## OVERVIEW

This Report is in two parts and consists of four chapters. Chapter 1 and 2 deal with Panchayati Raj Institutions and Chapter 3 and 4 deal with Urban Local Bodies. A synopsis of important audit findings included in the Report is presented in this overview:

### **Profile of Panchayati Raj Institutions (PRIs)**

The 73<sup>rd</sup> Constitutional amendment gave a constitutional status to the Panchayati Raj Institutions (PRIs). As a follow up, all the 29 functions listed in 11<sup>th</sup> Schedule of the Constitution were devolved to the PRIs. However, funds and functionaries remained to be devolved to the PRIs.

There are 12 Zila Parishads (ZPs), 77 Panchayat Samitis (PSs) and 3,243 Gram Panchayats (GPs) in the State. Test-check of records of 10 ZPs, 20 PSs and 118 GPs during 2013-14 showed financial reporting issues viz., (a) non-preparation of budget estimates, (b) non-maintenance of registers such as stock register, immovable property register, work register, muster roll register, etc., (c) improper maintenance of accounts of own resources and grant-in-aid/ loans, (d) non-reconciliation between cash books and bank pass books, (e) non-accountal of materials procured, (f) blocking of funds provided under Thirteenth Finance Commission, etc.

(Chapter 1)

### **Results of audit of Panchayati Raj Institutions**

Seventy seven GPs did not realise house tax of ₹ 17.41 lakh during 2012-13. Fifteen PRIs failed to realise an amount of ₹ 35.40 lakh on account of rental charges of shops for the period 2005-14. In 16 PRIs, funds amounting to ₹ 74.02 lakh remained unspent due to non-commencement of works. Zila Parishad, Sirmaur did not start works under Backward Region Grand Fund resulting in blocking of ₹ 2.46 crore. Funds of ₹ 12.90 lakh earmarked for minor irrigation schemes remained un-utilised in PLAs of six PSs. Six GPs deployed the same labourers on different works in the same period. Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme suffered from non-maintenance of wage-material ratio and delay in release of labour payments. Zila Parishad, Kangra did not utilise the shopping complex constructed at a cost of ₹ 62.00 lakh .

(Chapter 2)



### **Profile of Urban Local Bodies (ULBs)**

There is one Municipal Corporation, 25 Municipal Councils (MCs) and 24 Nagar Panchayats (NPs) in the State. The 74<sup>th</sup> Constitutional amendment paved way for decentralisation of power and transfer of 18 functions listed in the 12<sup>th</sup> Schedule of the constitution along with funds and functionaries to the Urban Local Bodies (ULBs). Though all the 18 functions stand transferred to ULBs, yet funds and functionaries remains to be transferred to the ULBs. The State Government has not made any provision in the Acts/ Rules for certification of accounts by an independent agency. Test-check of the records of one Municipal Corporation, nine Municipal Councils and seven Nagar Panchayats conducted during 2013-14 showed financial reporting issues viz. (a) non- certification of accounts, (b) non-preparation of budget estimates in a realistic manner, (c) financial irregularity such as non-accountal of cash through cash book, (d) non-reconciliation of figures between cash books and bank pass books.

**(Chapter 3)**

### **Results of audit of Urban Local Bodies**

Non-revision of rates of house tax by Nagar Panchayat, Banjar and Municipal Council, Rampur as per recommendations of State Finance Commission resulted in loss of revenue of ₹ 78.06 lakh. Further, due to ineffective monitoring, revenue of ₹ 3.68 crore on account of house tax in six Urban Local Bodies remained outstanding. Eleven ULBs failed to realise the rent of shops/ building/ booths amounting to ₹ 2.25 crore from the concerned allottees. Failure to realise the installation/ renewal charges of mobile towers by nine ULBs resulted in loss of revenue of ₹ 8.90 lakh. Municipal Council, Kullu did not recover the municipal share of dussehra income amounting to ₹ 60.53 lakh. Municipal Council, Solan failed to execute the works under Integrated Housing and Slum Development Programme resulting in blocking of ₹ 79.85 lakh. Municipal Council, Chamba made injudicious outsourcing of sweeping and garbage collection work resulting in loss of ₹ 41.71 lakh. Municipal Council, Kullu misutilised Rehan Basera building by putting it to commercial use and also did not utilise government funds amounting to ₹ 1.24 crore due to non-execution of works.

**(Chapter 4)**

## **CHAPTER 1**

### **PROFILE OF PANCHAYATI RAJ INSTITUTIONS**

#### **1.1 Background of Panchayati Raj Institutions**

The 73<sup>rd</sup> Constitutional amendment gave a Constitutional status to the Panchayati Raj Institutions (PRIs) and established a system of uniform structure, regular elections and regular flow of funds through Finance Commissions. As a follow up, the states were required to entrust these bodies with such powers, functions and responsibilities so as to enable them to function as institutions of local self government. In particular, the PRIs were required to prepare plans and implement schemes for economic development and social justice including those functions listed in the eleventh schedule of the Constitution. All the 29 functions listed in 11<sup>th</sup> Schedule of the constitution were devolved to the PRIs. However, funds were not being devolved by the departments. The Director, Panchayati Raj stated (August 2014) that the line departments have assigned functions but the matching funds and functionaries have not been provided to the PRIs despite various requests.

The State Government enacted the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 and framed the Himachal Pradesh Panchayati Raj (General) Rules, 1997 and the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Finance, Budget, Accounts, Audit, Works, Taxation and Allowances) Rules, 2002 to enable these institutions to work as a third tier of the government. Accounting structure as prescribed by the Comptroller and Auditor General of India and Ministry of Panchayati Raj (MOPR), Government of India (GOI) in 2009 has been adopted by the State Government and annual accounts (receipts and expenditure) are being maintained by the PRIs accordingly.


#### **1.2 Audit mandate of CAG**

In Himachal Pradesh, audit of Panchayati Raj Institutions (PRIs) is being conducted by the audit wing of the Director, Panchayati Raj Department. The State Government has entrusted (March 2011) audit of PRIs to the Comptroller and Auditor General of India (CAG) with the responsibility of providing Technical Guidance and Support under section 20(1) of the CAG's (DPC) Act, 1971. The results of audit are included in the Annual Technical Inspection Report (ATIR), which is to be placed before the State Legislature as per section 118 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994.

#### **1.3 Organisational structure of Panchayati Raj Institutions**

There are 12 Zila Parishad (ZPs), 77 panchayat Samitis (PSs) and 3243 Gram Panchayats (GPs) in the state. The chart given below depicts the organisational structure of the State Government, Panchayati Raj Department and the Panchayati Raj Institutions at the Zila Parishad (ZP), Panchayat Samiti (PS), and Gram Panchayat (GP) level:

### Organisational Set up



The chairperson of ZPs and PSs and the Pradhans of GPs are the elected members and head the ZPs, PSs and GPs, respectively. District level officers are required to attend the monthly meetings of ZPs to discuss the developmental activities.

#### 1.3.1 Standing committees

The various standing committees in PRIs and their role and responsibilities are given in Table 1:

**Table 1: Roles and responsibilities of the standing committees**

Level of PRIs	Standing committee headed by	Name of the standing committees	Role and responsibilities of the standing committee
Zila Parishad	Chairperson	General Standing Committee	Performs the functions relating to establishment matters, communications, buildings, etc.
		Finance, Audit and Planning Committee	Performs the functions relating to the finances of the Zila Parishad.
		Social Justice Committee	Performs the functions like promotion of education, economic, social, cultural and other interests of the SCs/ STs/ BCs.
		Education and Health Committee	Undertakes the planning of education in the district within the framework of the national policy and the national and state plans.
		Agriculture and Industries Committee	Performs the functions relating to agriculture production, animal husbandry, co-operation, village and cottage industries, etc.
Panchayat Samiti	Chairperson	General Standing Committee	Performs the functions relating to the establishment matters and communications,
		Finance, Audit and Planning Committee	Performs the functions relating to the finance of the Panchayat Samiti.
		Social Justice Committee	Performs the functions relating to promotion of education, economic, social, cultural and other interests of the SCs/STs/BCs, etc.
Gram Panchayat	Pradhan	Works Committee	All developmental works of the Gram Panchayats are executed by this committee.
		Budget Committee	Prepares the annual budget of the GP and submit the same to the Secretary

### 1.3.2 Institutional arrangements for implementation of schemes

The Panchayati Raj Institutions (PRIs) have technical and non-technical staff. Against 4873 sanctioned posts of various cadres, 264 posts were lying vacant as of March 2014 (Appendix-1).

Panchayat secretaries/ sahayaks are being imparted a basic training course of 47 days in Panchayati Raj Institutes. Besides, refresher courses including computer training are organized by the Department to upgrade their skills.

## 1.4 Financial profile

### 1.4.1 Fund flow to PRIs

#### Fund flow: Source and custody of funds in PRIs

The resource base of PRIs consists of State Finance Commission (SFC) grants, Central Finance Commission (CFC) grants, State Government grants and Central Government grants for maintenance/ development purposes and implementation of schemes. The funds allotted to the PRIs through different resources are kept in banks.

While Central and State grants are utilised by the PRIs for execution of central and state sponsored schemes as per the guidelines issued by GOI and State Government, the own receipts of PRIs are utilised for execution of schemes/works formulated by the PRIs. The fund flow arrangements for flagship schemes are given in **Table 2**

**Table 2: Fund flow arrangements in major centrally sponsored flagship schemes**

Sr. No.	Scheme	Fund flow Arrangements
1	Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGA)	GOI and State Government transfer their respective shares of MGNREGA funds in a bank account, called State Employment Guarantee Fund (SEGF) which is set outside the state accounts. Commissioner, State Rural Employment Guarantee is the custodian of SEGF and authorises onward transfer of funds to ZPs, PSs and GPs.
2	Indira Awas Yojana (IAY)	The Indira Awaas Yojana is a centrally sponsored scheme, funded on cost-sharing basis between the GOI and the State Government in the ratio of 75:25. Funds are transferred by Ministry of Rural Development (MoRD), GOI to District Rural Development Agencies (DRDAs), who are the custodian of these funds. The DRDAs release the funds to BDOs and BDOs to GPs. Further, GPs transfer funds directly to the beneficiaries' accounts in two instalments. Second instalment is released after construction reaches the lintel level.
3	Integrated Wasteland Development Programme (IWDP)	The Intergrated Wasteland Development Programme is a centrally sponsored scheme, funded on cost-sharing basis between the GOI and the State Government in the ratio of 5500:500 per hectare. Funds are released by District Rural Development Agency (DRDA) to watershed committee which opens an account in the bank. Flow of funds under this scheme is from GOI, Department of Land Resources to the DRDAs, DRDAs to Project Implementing Agencies (PIAs) and PIAs to watershed committees being the executing agencies.
4	Integrated Watershed Management Programme (IWMP)	The Nodal Ministry / Department of GOI would allocate the budgetary outlay for the projects among the States keeping in view the following criteria and past performance of the state (physical and financial) viz. unspent balance, outstanding utilisation certificates, percentages of completed projects out of total projects etc except in those schemes where States have flexibility to allocate funds between watershed and other schemes. The State level nodal agencies will distribute funds to the districts keeping in view the following criteria:- (i) District level perspective and strategic plans in watershed based development projects. (ii) Percentage of rainfed area in the district to the total cultivated area of the state. (iii) Percentage of wastelands/ degraded lands/ panchayat lands in the district to the total geographical area of the state. Under this scheme, funds are shared in the ratio of 90:10 among the Centre and the State.
5	Total Sanitation Campaign (TSC)	Under this scheme, funds are shared in the ratio of 60:30:10 among the Centre, State and community, respectively. On receipt of funds from GOI, the same alongwith matching share is released to the district's account by the Rural Development Department (RDD). The community contribution, however, can be made by the Panchayat out of its own resources, from grants of the 13 <sup>th</sup> FC or from any other fund of the State duly permitted by it.

### 1.4.2 Resources: trends and composition

The resources of PRIs for the period from 2009-10 to 2013-14 are detailed in **Table 3**:

**Table 3: Time series data on resources of PRIs**

(₹ in crore)					
Particulars	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
Own Revenue	7.72	7.81	31.52	NA	NA
Grants from State Government	69.87	71.65	72.88	70.40	81.55
Grant from Central Government	58.57	82.79	113.15	131.16	202.07
GOI grants for CSS	505.29	818.56	735.20	488.57	163.68
State Government grants for state schemes	25.99	33.24	22.20	15.80	15.97
Other receipt	3.55	3.60	1.00	1.00	0.67
<b>Total</b>	<b>670.99</b>	<b>1017.65</b>	<b>975.95</b>	<b>706.93</b>	<b>463.94</b>

Source: Director, Panchayati Raj & RDD, Himachal Pradesh.

NA: Not available.

Note: Decrease in GOI grants for CSS is due to less demand of funds under MGNREGS by the State Government.

### 1.4.3 Application of resources: trends and composition

The application of resources of PRIs for the period from 2009-10 to 2013-14 are detailed in **Table 4**:

**Table 4: Application of resources sector-wise**

(₹ in crore)					
Particulars	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
Expenditure from grants from the State Government and Central Government	128.44	154.44	187.02	202.52	284.29
Expenditure on CSS	643.58	594.89	591.35	544.51	161.86
Expenditure on State Schemes	25.24	32.18	21.49	16.26	14.31
<b>Total</b>	<b>797.26</b>	<b>781.51</b>	<b>799.86</b>	<b>763.29</b>	<b>460.46</b>

Source: Director, Panchayati Raj & RDD, Himachal Pradesh.

It was noticed that all funds transferred by the Panchayati Raj Department to PRIs have been shown as expenditure. The exact figure of expenditure incurred by the PRIs was not available with the Panchayati Raj Department.

## 1.5 Accounting system in PRIs

The PRIs maintain their accounts in the proforma, prescribed under Himachal Pradesh Panchayati Raj General Rules, 1997. Accounts of the Gram Panchayats are maintained by the Panchayat Secretary, appointed by the Director-cum-Special Secretary Panchayati Raj & Rural Development Department (P&RD) and Panchayat Sahayak, appointed on contract basis by the Executive Officer -cum -Block Development Officer. In the case of PSs, the accounts are maintained by the accountants of development blocks. Accounts of ZPs are maintained by government officials of the office of DPO-cum-Secretary, ZP. The accounts of the PRIs are not certified in the absence of any provision for certification of PRI accounts in the HP Panchayati Raj (General) Rules, 1997 and HP Panchayati Raj Rules, 2002.

The Eleventh Finance Commission (EFC) had recommended that the CAG must exercise control and supervision over maintenance of accounts of all the three tiers of PRIs. The CAG

and Ministry of Panchayati Raj (MOPR), GOI had recommended Model Accounting Structure for PRIs in 2009. The State Government had adopted (August 2012) software PRIASOFT developed by MOPR for maintaining the accounts of PRIs as per the Model Accounting Structure. Presently, the process of data upload is being carried out through this software.

## **1.6 Audit coverage**

The Principal Accountant General (Audit), Himachal Pradesh conducts the audit of PRIs with the responsibility of providing Technical Guidance and Support under Section 20(1) of the CAG's (DPC) Act, 1971. Audit of accounts of 10 ZPs (out of 12), 20 PSs (out of 77) and 118 GPs (out of 3,243) was conducted by Office of the Pr. Accountant General (Audit), Himachal Pradesh during 2013-14 (**Appendix-2**). Important audit findings are discussed in the following paragraphs.

## **1.7 Financial reporting and accountability framework of PRIs (internal control system)**

A sound internal control system significantly contributes to efficient and effective governance of the PRIs by the State Government. Compliance with financial rules, procedures and directives as well as the timeliness and quality of reporting on the status of such compliance are the attributes of good governance. The reports on compliance and controls, if effective and operational, assist the PRIs and the State Government in meeting its basic stewardship responsibilities, including strategic planning, decision making and accountability of the stakeholders. The following discrepancies were found in the internal control system:

### **1.7.1 Primary audit of PRIs**

The Local Audit Department (LAD) has been empowered to conduct the audit of PRIs as per amendment made in section 118 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj (HPPR) Act, 1994. Audit of PRIs is not being conducted by the LAD due to shortage of staff in their Department. Sub-section (I) of section 118 of the HPPR Act, 1994 also provides that there will be a separate and independent internal audit agency under the control of the Director, Panchayati Raj to audit the accounts of PRIs with a view to have proper financial control on income and expenditure. The position of internal audit conducted by the Audit wing under Director, Panchayati Raj during April 2013 to March 2014 is given in **Table 5**:

**Table 5: Position of Internal Audit**

<b>Name of Institution</b>	<b>Total units</b>	<b>No. of units planned for audit</b>	<b>No. of units audited</b>	<b>No. of units not audited</b>	<b>Percentage of short fall</b>
Panchayat Samitis	77	47	35	12	25
Gram Panchayat	3243	1865	1505	360	19

Source: Director, PRI.

Audit also noticed that the Audit wing under Director, Panchayati Raj had not planned internal audit of any of the ZPs during 2013-14. The Director, PRI stated (August 2014) that

the internal audit of ZPs could not be conducted due to post of the Deputy Controller (Audit), two posts of District Audit Officers and eight posts of Panchayat Auditors lying vacant. The fact, however, remains that a large number of units remained unaudited during the year.

### **1.7.2 Non-preparation of budget estimates**

Rule 37 and 38 of the HPPR Rules, 2002 provide that the annual budget estimates of GPs, PSs and ZPs showing the probable receipts and expenditure for the following year are required to be prepared and passed by the Gram Sabha, PS or ZP, as the case may be, by majority vote, before commencement of the next financial year.

It was observed that six PSs<sup>1</sup> and seven GPs<sup>2</sup> had not prepared the annual budget estimates during 2008-13. However, an expenditure of ₹15.59 crore<sup>3</sup> had been incurred by these PSs and GPs (**Appendix-3**) during the above period without approval of the estimates, which was contrary to the HPPR Rules, 2002.

While confirming the facts, the Executive Officers/ Secretaries concerned stated (May 2013-January 2014) that budget estimates could not be prepared due to rush of work and would be prepared timely in future.

### **1.7.3 Non-maintenance of registers**

Rule 31 of HPPR Rules, 2002 stipulates that every PRI shall maintain important records, registers, forms, etc., as detailed in Rule 34 of HPPR (General) Rules 1997.

It was observed that in three PSs and 53 GPs test-checked during 2013-14 (**Appendix-4**) important registers like stock register, immovable property register, work register, muster roll register were not being maintained. Due to non-maintenance of the records, correctness of financial transactions could not be ascertained. The Executive Officers/ Secretaries concerned admitted the facts (May 2013-March 2014) and assured to maintain these records in future.

### **1.7.4 Improper maintenance of accounts of income from own resources and grant-in-aid/ loans**

As per Rule 4 of HPPR Rules, 2002, every GP and PS is required to keep separate accounts of income from own resources and grant-in-aid and loans received for special purposes. While Account 'A' was to be maintained in the former case, Account 'B' was to be maintained in the later case.

It was noticed that in five PSs and 22 GPs (**Appendix-5**), the accounts were not maintained in the prescribed format and all the transactions were carried out through a single account in contravention of the rule *ibid* due to which the correctness of income from own resources and grant in aid/loans received could not be verified.

### **1.7.5 Preparation of bank reconciliation statements**

Rule 15 (10) (b) of the HPPR Rules, 2002 provides that the reconciliation of any difference between the balances of cash book and bank accounts is required to be conducted every

---

<sup>1</sup> Bhawarna, Chamba, Hamirpur, Paonta Sahib, Sulah and Theog.

<sup>2</sup> Amarkot, Chandī, Charudī, Kandla, Tikkari, Tissa-II and Tundaha.

<sup>3</sup> PSs: ₹ 13.66 crore: GPs: ₹ 1.93 crore.



month. The difference, if any, shall be explained and accounted for in a foot note in the cash book.

However, it was noticed that difference of ₹ 19.36 crore (**Appendix-6**) between cash books and pass books at the close of the year 2012-13 was not reconciled by 58 PRIs. The authenticity of accounts of these PRIs could not be ascertained in the absence of reconciliation with bank statements. The officers of the concerned PRIs stated (May 2013-March 2014) that the differences would be reconciled.

#### **1.7.6 Non-accounting of materials**

**Materials of ₹ 1.37 crore was not accounted for in the stock registers by the 25 PRIs.**

Under rule 69 of HPPR Rules, 2002, all stores when received are required to be examined, counted, measured or weighed, as the case may be, at the time of taking delivery and should be entered in the stock register immediately. A certificate to the effect is also required to be given at the end of the entries for each single day by the official incharge of stores authorised by the Gram Panchayat or Secretary of the Panchayat Samiti or the Zila Parishad, as the case may be, stating that the stores have been received in proper condition and according to specifications. In the event of stores found surplus the same should be indicated as additional receipt and shortages, if any, should be indicated in red ink. Further, rule 70 of the HPPR Rules, 2002 *ibid* stipulates that articles of stores shall be issued against proper indents.

In one ZP, one PS, 23 GPs, items of stores such as steel, timber, furniture, hardware items etc., purchased at a cost of ₹ 1.37 crore were not accounted for in stock registers (**Appendix-7**). In the event of non-accounting of these stores the possibility of pilferage/ loss cannot be ruled out. This was indicative of ineffective monitoring on the part of PRIs. In reply, the Executive Officers/ Secretaries of PRIs concerned stated (May 2013-March 2014) that the stores would be entered in the stock registers. The fact, however, remained that there was absence of proper check over maintenance of accounts by the PRIs concerned.

#### **1.7.7 Blocking of funds under 13<sup>th</sup> Finance Commission.**

**Funds of ₹ 22.51 crore remained unutilised under 13<sup>th</sup> Finance Commission in 70 PRIs on account of incomplete works and non-start of works.**

The funds are sanctioned under 13<sup>th</sup> Finance Commission (13<sup>th</sup> FC) to the PRIs for various developmental works with the condition that approved works shall be completed within a period of three months from the date of sanction.

(i) It was, however, noticed that in 58 PRIs against an amount of ₹ 76.68 crore received under 13<sup>th</sup> FC during 2010-13, an expenditure of ₹ 61.42 crore was incurred and the balance amount of ₹ 15.26 crore was lying unutilised as of October 2013 (**Appendix-8**) for which the Executive Officers/ Secretaries of concerned PRIs advanced no reasons. Thus, failure of PRIs to utilise the available funds within the stipulated period led to unnecessary blocking up of funds and denial of intended facilities to the beneficiaries.

(ii) It was further noticed that in 12 PRIs, 347 works having an estimated cost of ₹ 7.25 crore (**Appendix-9**) received under 13<sup>th</sup> FC during 2010-13 had not been taken up for execution as of March 2013 due to non-completion of codal formalities. Evidently, the entire amount remained blocked with the PRIs as of October 2013. The Executive Officers/ Secretaries of concerned PRIs stated (October 2013-January 2014) that works could not be taken up for execution due to non-receipt of land papers/ NOCs. The reply is not convincing as prior formalities for the start of work should have been completed before the sanction of funds.

### 1.7.8 Outstanding inspection reports

**Inadequate response to Audit findings and observations resulted in erosion of accountability.**

As a result of audit of PRIs under TGS, 1909 inspection reports (IR) containing 12,824 paras were issued by the office of Principal Accountant General (Audit), Himachal Pradesh to the concerned PRIs during 2008-14. Of these, three IRs and 238 paras were settled leaving 1906 IRs and 12,586 paras outstanding as of March 2014. The details are given in **Table 6:**

**Table 6: Outstanding inspection reports**

(In numbers)

Sr. No.	Year of issue of Inspection Reports	Outstanding IRs/ Paras as on 31 March 2014		Addition ( No. of IRs/ paras issued during the year)		Total		No. of IRs/ paras settled during 2013-14		No. of outstanding IRs/Paras as on 31 March 2014.	
		IRs	Paras	IRs	Paras	IRs	Paras	IRs	Paras	IRs	Paras
1.	Upto 2008-09	848	5083	--	--	848	5083	02	74	846	5009
2.	2009-10	336	2409	--	--	336	2409	--	55	336	2354
3.	2010-11	334	2367	--	--	334	2367	01	53	333	2314
4.	2011-12	126	1038	--	--	126	1038	--	45	126	993
5.	2012-13	116	903	01	5	117	908	--	11	117	897
6.	2013-14	--	--	148	1019	148	1019	--	--	148	1019
	<b>Total</b>	<b>1760</b>	<b>11800</b>	<b>149</b>	<b>1024</b>	<b>1909</b>	<b>12824</b>	<b>03</b>	<b>238</b>	<b>1906</b>	<b>12586</b>

Increasing trend of outstanding inspection reports and paras is indicative of non-compliance of audit observations which has resulted in erosion of accountability.

Audit findings were referred to Government in December 2014. The reply was awaited (May 2015).



## CHAPTER 2

### RESULTS OF AUDIT OF PANCHAYATI RAJ INSTITUTIONS

The deficiencies noticed in audit of Panchayati Raj Institutions conducted during 2013-14 are discussed in the succeeding paragraphs.

#### 2.1 Revenue

##### 2.1.1 Non-recovery of House Tax

**Seventy seven GPs did not realise house tax of ₹ 17.41 lakh.**

Rule 33 of HPPR Rules, 2002, provides that the secretary of the GP shall see that all revenues are correctly, promptly and regularly assessed, realised and credited to the accounts of the fund of the Panchayat concerned.

Audit noticed that in 77 GPs, house tax amounting to ₹ 17.41 lakh for the period 2012-13 was not recovered as of March 2014 (**Appendix-10**). This was indicative of an ineffective monitoring on the part of GPs which may result in loss of revenue, if not recovered. Moreover, the GPs had not taken any action to levy penalty on the defaulters for non-payment of house tax in terms of provisions contained in Section 114 of HP Panchayati Raj Act, 1994. The Secretaries of concerned GPs stated (May 2013-March 2014) that efforts would be made to recover the outstanding house tax.

##### 2.1.2 Outstanding rent

**Fifteen PRIs failed to realise rent of shops amounting to ₹ 35.40 lakh.**

The ZPs, PSs and GPs had been maintaining shops in their jurisdiction and these were rented out to the public on monthly rental basis.

Scrutiny of records showed that in 15 PRIs, an amount of ₹ 35.40 lakh<sup>4</sup> on account of rent of 113 shops was outstanding as of March 2014 (**Appendix-11**). This amount was outstanding with effect from 2000-01 to 2013-14. This indicated that the process of rent collection had not been given due attention by the PRIs. The concerned PRIs stated (June 2013-March 2014) that the notices had been served to the defaulters to deposit the outstanding rent immediately or else necessary steps would be taken to vacate the shops.

##### 2.1.3 Non-recovery of duty for installation of Mobile Towers

**Revenue of ₹ 3.12 lakh remained un-realised on account of installation/renewal charges of mobile towers in 20 GPs.**

The Government of Himachal Pradesh authorised (November 2006) the GPs to levy duty on installation of mobile communication towers at the rate of ₹ 4,000 per tower and collect annual renewal fee at the rate of ₹ 2,000 per tower, installed in their jurisdiction.

<sup>4</sup> ZP: ₹ 19.33 lakh, PSs: ₹ 12.94 lakh and GPs: ₹ 3.13 lakh.

In 20 GPs, 38 mobile towers were installed during 2005-14 in their jurisdiction but the installation/renewal charges of ₹ 3.12 lakh had not been recovered from the concerned mobile companies as of March 2014. This deprived the GPs of their due share of revenue. The concerned Secretaries of the GPs stated (May 2013-March 2014) that action would be taken to recover the dues shortly.

#### **2.1.4 Non-recovery of Labour Cess**

**Non-deduction of labour cess of ₹ 1.05 lakh from a contractor by the Zila Parishad Reckong Peo, was a violation of Cess Act, 1996.**

In compliance to the Building and other Construction Workers Welfare Cess Act, 1996, the State Government made rules (December 2008) to levy Cess at the rate of one *per cent* of the total cost of construction. Every establishment which employ 10 or more workers in any building or other construction works are liable to pay cess under the Cess Act except individual residential houses whose total cost of construction did not exceed ₹ 10 lakh.

Scrutiny of records (November 2013) of Zila Parishad Reckong Peo at Kinnaur showed that payment of ₹ 1.05 crore was made between July 2007 and March 2012 to a contractor for construction of Zila Parishad Bhawan at Reckong Peo. However, one *per cent* cess of ₹ 1.05 lakh was not deducted from the concerned contractor by the Zila Parishad. Non-deduction of cess was a violation of the Cess Act *ibid*, undue benefit to contractor and also resulted in non-remittance of ₹ 1.05 lakh to the Board for welfare measures of the construction workers. In reply, the Secretary, Zila Parishad stated (November 2013) that labour cess would be recovered from the concerned contractor and deposited in the account of the Board.

## **2.2 Blocking of funds**

### **2.2.1 Blocking of funds due to non-commencement of works**

**Funds of ₹ 74.02 lakh remained unutilised due to non-commencement of works by the PRIs.**

Scrutiny of records showed that in four PSs and 12 GPs (**Appendix-12**) ₹ 74.02 lakh was received between 2009-10 and 2012-13 for execution of 83 works under various schemes. However, no expenditure was incurred on execution of works as of March 2014. Thus, non-utilisation of funds for developmental works resulted in unnecessary blocking up of funds and the beneficiaries were also deprived of the intended benefits. The Executive Officers/ Secretaries of the PRIs concerned stated (May 2013-March 2014) that due to land dispute, litigations and limited working season, etc, works could not be started. The reply is not convincing as such issues should have been resolved before getting the works sanctioned and funds released from the funding agencies.

### **2.2.2 Blocking of Backward Region Grant Funds (BRGF)**

**Failure of the Zila Parishad Sirmaur to execute works under BRGF resulted in blocking of ₹ 2.46 crore.**

Paragraph 1.1 of BRGF stipulates that the grant funds shall provide financial resources for supplementing and converging existing development inflows in identified districts. Audit noticed (December 2013) that 56 works costing ₹ 2.46 crore were sanctioned by the Deputy Commissioner Sirmaur at Nahan under BRGF during 2009-13. The works were stipulated for

completion within 12 months from the date of sanction. However, these works were not taken up for execution by the concerned ZP/ GPs as of December 2013 even after the lapse of nine to 57 months from the date of sanction due to local disputes, non-availability of land, etc., thus, depriving the beneficiaries of the intended benefits of the scheme.

While confirming the facts, the Secretary Zila Parishad stated (December 2013) that executing agencies would be directed to start the works at the earliest.

### **2.2.3 Blocking of funds in Personal Ledger Account (PLA)**

**Funds of ₹ 12.90 lakh earmarked for minor irrigation schemes remained un-utilised in Personal Ledger Accounts.**

The PSs had been maintaining Personal Ledger Account (PLA) for crediting the grants received from government for execution of minor irrigation and water supply schemes in rural areas. As per condition of sanctions, the funds are required to be drawn within one month and utilised within one year from the date of sanction.

Scrutiny of records showed that out of ₹ 14.96 lakh available with six PSs for execution of schemes during 2009-13, an expenditure of ₹ 2.06 lakh was incurred leaving an unspent balance of ₹ 12.90 lakh in PLA of these PSs as of March 2013. Non-utilisation of funds placed in PLA resulted in unnecessary blocking of funds and the beneficiaries were also deprived of the intended benefits of the schemes.

The concerned PRIs stated (May 2013-March 2014) that funds were not utilised due to slow progress of works reported by GPs and the un-utilised amount would be spent after getting the schemes approved by the elected House. The reply is not acceptable as funds deposited in PLAs were required to be utilised within one year from the date of sanction.

## **2.3 Doubtful deployments**

### **2.3.1 Irregularities in payment to labourers**

**Six GPs showed deployment of same labourers on different works in the same period.**

Scrutiny of records showed that in six GPs, same labourers were shown as deployed for different works on different muster rolls in the same period during 2005-11, resulting in doubtful deployment and double payment of wages of ₹ 0.69 lakh. The name of schemes/ works for which these muster rolls were issued had not been mentioned in most of the muster rolls, which was indicative of ineffective internal control mechanism. The concerned Secretaries of the GPs stated (June 2013-November 2013) that the matter would be investigated and action taken accordingly.

## **2.4 Implementation of Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS)**

The main objective of the scheme is to enhance livelihood security in rural areas by providing at least 100 days of guaranteed wage employment in a financial year to every household whose adult members volunteer to do unskilled manual work. The funds relating to MGNREGS are being received by the GPs through District Rural Development Agencies (DRDAs) for implementation of Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee

Act (MGNREGA). Deficiencies noticed in implementation of the scheme during the course of audit of PRIs are discussed in the succeeding paragraphs.

#### 2.4.1 Non-maintenance of wage material ratio

**Eight GPs failed to adhere to the prescribed wage material ratio and accordingly made less provision of ₹ 33.47 lakh on material component.**

Para 7.4.1 of MGNREGA guidelines stipulates that ratio of wage cost to material cost should not be less than the minimum norm of 60:40. This ratio should be maintained at GP level for all works to be taken up by the GP and for works to be taken up by all other agencies it should be maintained at the Block/ intermediate Panchayat level. Audit noticed that in eight GPs, 352 works were got executed during 2009-14 at a total cost of ₹ 3.53 crore. Against the required expenditure of ₹ 1.41 crore to be incurred on material, the amount spent on material component was ₹ 1.08 crore. Thus, funds of ₹ 33.47 lakh (**Appendix-13**) were spent less on material component resulting in violation of *ibid* provision of MGNREGA guidelines. The Secretaries of concerned GPs attributed (August 2013- March 2014) that maintenance of prescribed ratio would be taken care of in future.

#### 2.4.2 Delay in release of labour payment

**Seven GPs delayed payment of wages of ₹ 35.15 lakh to labourers for periods ranging between five and 293 days.**

As per Para 8.3.1 of MGNREGS guidelines, workers were to be paid wages on a weekly basis and in any case not beyond a fortnight from the date on which work was done. In the case of delay beyond a fortnight, workers were entitled for compensation as per the provisions of 'Payment of Wages Act, 1936'. It was noticed in audit that seven GPs made payment of ₹ 35.15 lakh to the workers under MGNREGS after a delay ranging between five and 293 days (**Appendix-14**) which was contrary to the provisions of MGNREGS guidelines. No compensation was paid to the labourers for delayed payment. The Secretaries of the GPs concerned stated (May 2013-March 2014) that the delay in payment of wages occurred due to late receipt of funds from Block Development Officers. The reply is not acceptable as delay in payment of wages denied the beneficiaries of timely benefits.

#### 2.5 Non utilisation of Asset

**Zila Parishad Kangra did not utilise the shopping complex constructed at a cost of ₹ 62 lakh due to lack of basic amenities.**

Zila Parishad Kangra constructed (March 2012) a shopping complex at a cost of ₹ 62 lakh. Audit noticed that the shopping complex remained idle since completion (March 2012) due to non-providing of basic amenities such as electricity and water. While admitting the facts, Secretary ZP, Kangra stated (December 2013) that MC, Dharamshala had been approached to issue NOC so that the water and electricity connections could be provided by the concerned departments. The reply is not convincing as all such requirements should have been worked out well in advance so as to provide timely benefits to the intended beneficiaries. Thus, due to non-utilisation of shopping complex for the intended purpose the expenditure of ₹ 62 lakh on its construction had remained largely unfruitful.

Audit findings were referred to Government in December 2014. The reply was awaited (May 2015).

## **CHAPTER 3**

### **PROFILE OF URBAN LOCAL BODIES**

#### **3.1 Background of Urban Local Bodies**

The 74<sup>th</sup> Constitutional amendment paved the way for decentralization of power and transfer of 18 functions, listed in the twelfth schedule of the Constitution along with funds and functionaries to the Urban Local Bodies (ULBs). Though all the 18 functions stand transferred (August 1994) to ULBs except fire services, yet funds and functionaries remained to be transferred to the ULBs. To incorporate the provisions of the 74<sup>th</sup> Constitutional amendment, the Government of Himachal Pradesh (Local Self Government) enacted the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 and the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 for transferring the powers and responsibilities to the Urban Local Bodies. However, some obligatory and discretionary functions like maintenance of roads, streets, street lights, cleanliness etc. were being implemented by the ULBs prior to enactment of these Acts.

#### **3.2 Audit mandate**


In Himachal Pradesh, audit of ULBs is being conducted by the Director, Local Audit Department. The State Government had entrusted (March 2011) audit of ULBs to CAG with the responsibility of providing Technical Guidance and Support under Section 20(1) of the CAG's DPC Act, 1971. The results of audit are included in this Report (ATIR).

#### **3.3 Organisational structure of Urban Local Bodies**

There is one Municipal Corporation, 25 Municipal Councils (MCs) and 24 Nagar Panchayats (NPs) in the State.

The overall control of the ULBs rests with the Principal Secretary (Urban Development) to the Government of Himachal Pradesh through Director, Urban Development Department. The organisational set-up of Urban Local Bodies is as under:-



**Administrative set up of ULBs****3.3.1 Standing committees**

Various standing committees involved in financial matters and implementation of schemes are detailed in **Table 7**:

**Table 7: Roles and responsibilities of the standing committees**

Level of ULBs	Name of the standing committee	Standing committee headed by	Roles and responsibilities of the standing committee
Urban Local Bodies (ULBs)	General Standing Committee	Mayor in Municipal Corporation and President in Municipal Council/ Nagar Panchayat	Performs functions relating to the establishment matters, communications, buildings, urban housing and provision of relief against natural calamities, water supply and all residuary matters.
	Finance, Audit and Planning Committee		Performs functions relating to the finances of municipality, framing of budget, scrutinising prospects of increase of revenue, examination of receipts and expenditure statements, etc.
	Social Justice Committee	Deputy Mayor in Municipal Corporation and President in Municipal Council/ Nagar Panchayat	Performs functions relating to promotion of education and economic, social, cultural and other interests of SC&ST, backward classes, women and other weaker sections of the society.

### 3.3.2 Institutional arrangements for implementation of the schemes

In the Directorate of Urban Development, one Project Officer and two statistical assistants have been posted in the project section for overseeing implementation of various schemes by the ULBs. Against 3844 sanctioned posts, 668 posts (17 *per cent*) were lying vacant in various categories in the ULBs and 423 employees were in excess in some ULBs (MC Shimla: 410; NP Chuwari: two; NP Joginder Nagar: eight and NP Mehatpur: three) (Appendix-15) as on 1<sup>st</sup> January 2014.

## 3.4 Financial profile

### 3.4.1 Fund flow to ULBs

For execution of various developmental works, the ULBs receive funds mainly from GOI and the State Government in the form of grants. GOI grants include grants assigned under the recommendations of the Central Finance Commission and grants for implementation of various schemes. The State Government grants are received through devolution of net proceeds of the total tax revenue on the recommendations of the State Finance Commission (SFC) and grants for implementation of state sponsored schemes. Besides, revenue is also mobilised by the ULBs in the form of taxes, rent, fees, issue of licenses, etc. The funds allotted to the ULBs through various resources are kept in banks.

While Central and State grants are utilised by the ULBs for execution of Central and State sponsored schemes as per the guidelines issued by GOI and State Government, the own receipts of ULBs are utilised for administrative expenses and execution of schemes/ works formulated by the ULBs. The fund flow arrangements in flagship schemes are given in Table 8:

**Table 8: Fund flow arrangements in major centrally sponsored flagship schemes**

Sr. No.	Scheme	Fund flow Arrangements
1.	Swaran Jayanti Shahari Rojgar Yojana (SJSRY)	Funding under SJSRY is shared between the Centre and the State in the ratio of 75:25. The Central share is released to the state government in the form of demand draft and state share is apportioned through State budget.
2.	Urban Infrastructure Development Scheme for Small and Medium Towns (UIDSSMT)	Grant-in-aid is to be shared by Central and State Government in the ratio of 80:10 and balance 10 <i>per cent</i> to be arranged by the ULBs from own sources.
3.	Integrated Housing & Slum Development Programme (IHSDP)	Eighty <i>per cent</i> of the cost of the scheme flows from the Centre in the form of grants in aid. The remaining 20 <i>per cent</i> is shared by the State Government, ULBs and parastatal agencies. The ULBs raise their contribution from their own resources or from beneficiary contribution.

Sr. No.	Scheme	Fund flow Arrangements
4.	Urban Infrastructure and Governance (UIG)	Funding under UIG is shared between the Centre, State and ULBs in the ratio of 80:10:10. Sanction of Central share is released by Government of India to State Government. Accordingly, Central share and State share under this scheme are released through state budget to the ULBs. The ULBs raise their contribution from financial institutions. For BSUP: 80% Central Grant, 20% State /ULB/ Parastatal share including Beneficiary contribution
5.	Basic Service to the Urban Poor (BSUP)	Eighty <i>per cent</i> of the cost of the scheme flows from the Centre in the form of grants in aid. The remaining 20 <i>per cent</i> is shared by the state government, ULBs, parastatal agencies. The ULBs raise their contribution from beneficiaries. A minimum of 12 <i>per cent</i> beneficiary contribution has been stipulated, which in case of SC/ST/BC/OBC/PH and other weaker sections shall be 10 <i>per cent</i> .

### 3.4.2 Resources: Trends and Composition

The resources of ULBs for the period from 2009-10 to 2013-14 are detailed in Table 9:

**Table 9: Time series data on resources of ULBs**

	(₹ in crore)				
	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
Own Revenue	50.87	NA	NA	NA	NA
CFC transfers (Finance Commission devolutions) including center sponsored schemes	1.60	7.77	24.30	30.97	46.88
SFC transfers (State Finance Commission devolutions)	41.77	46.12	51.88	57.07	68.08
GOI grants for CSS	52.57	19.50	25.83	3.90	149.16
State Government grants for State schemes	63.82	85.19	109.90	78.01	8.84
<b>Total</b>	<b>210.63</b>	<b>158.58</b>	<b>211.91</b>	<b>169.95</b>	<b>272.96</b>

NA: Not available.

*Note: The figures for 'Own Revenue' in respect of ULBs are not being compiled at the Directorate level due to shortage of staff at the Directorate.*

*Source: Director, Urban Development.*

### 3.4.3 Application of Resources: Trends and Composition

The application of resources of ULBs for the period from 2009-10 to 2013-14 are detailed in Table 10:

**Table 10: Application of resources sector-wise**

	(₹ in crore)				
	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
Expenditure from own revenue	NA	NA	NA	NA	NA
Expenditure from CFC transfers (Central Finance Commission devolutions)	1.6	7.77	24.3	30.97	35.39
Expenditure from SFC transfers (State Finance Commission devolutions)	41.77	46.12	51.88	57.07	68.08
Expenditure from grants from State Government and Centre Government.	110.17	85.81	110.45	78.01	169.49
<b>Total</b>	<b>153.54</b>	<b>139.70</b>	<b>186.63</b>	<b>166.05</b>	<b>272.96</b>

NA: Not available.

**Source:** Director, Urban Development.

It was noticed that all funds transferred by the Directorate of Urban Development to ULBs have been shown as expenditure. The exact figure of expenditure incurred by the ULBs was not available with the Directorate of Urban Development. Directorate also do not have receipts figures of own revenue and expenditure from the same.

### 3.5 Audit Coverage

Scrutiny of records of Municipal Corporation, Shimla, nine Municipal Councils and seven Nagar Panchayats was conducted during 2013-14 (**Appendix-2**). Important audit findings have been incorporated in Chapter-4 of this Report.

### 3.6 Financial reporting and accounting framework of ULBs (internal control system)

A sound internal control system significantly contributes to efficient and effective governance of the ULBs by the State Government. Compliance with financial rules, procedures and directives as well as the timeliness and quality of reporting on the status of such compliance is, thus, one of the attributes of good governance. The reports on compliance and controls, if effective and operational, assist the ULBs and the State Government in meeting their basic stewardship responsibilities including strategic planning, decision making and accountability of the stakeholders. The weaknesses/ gaps were noticed in the internal control system as mentioned in following paragraphs:

#### 3.6.1 Non-certification of Accounts

Instructions have been issued by the Director, Urban Development Department to all the ULBs to maintain their accounts from April 2009 on an accrual basis. The Himachal Pradesh Accounts Manual for ULBs was prepared and adopted by the State Government (April 2007) on the basis of National Municipal Accounts Manual (NMAM). The ULBs were also directed (April 2009) to switch over to the double entry system. In the absence of specific provisions in the State's Acts/ Rules, certification of accounts by an independent agency remained non-existent in the ULBs.

### 3.6.2 Budget estimates

The budget estimates of ULBs are to be prepared as per Himachal Pradesh Municipal Code, 1975 in the prescribed form, keeping in view the budget estimates of expected income and expenditure for the next financial year and are placed before the House of the Committee. After passing of the budget by the House of the Committee, it is submitted to the Director, Urban Development for approval. The year-wise position of budget provision and the expenditure by the test-checked Municipal Corporation, MCs and NPs during 2010-13 is given in **Table 11**:

**Table 11: Budget estimates *vis-à-vis* expenditure**

(₹ in crore)				
Year	Budget Estimate	Actual Expenditure	Savings (-) Excess (+)	Percentage of saving/ excess
2010-11	144.58	91.60	(-) 52.98	37
2011-12	153.87	86.01	(-) 67.86	44
2012-13	180.33	95.27	(-) 85.06	47

Note: Unit-wise position is given in **Appendix-16**.

It is evident from the **Table 11** that preparation of budget estimates was not done in a realistic manner resulting in persistent savings ranging from 37 to 47 *per cent* during the above period.

### 3.6.3 Internal audit of ULBs

Under Section 161 (3) of Himachal Pradesh Municipal Corporation Act and Section 255 (1) of Himachal Pradesh Municipality Act, 1994, the accounts of the ULBs are to be audited by a separate and an independent agency. The State Government issued (October 2008) a notification, according to which the Director, Local Audit was required to prepare annual plan for the conduct of audit. As per audit plan for the year 2013-14, 23 ULBs were planned for audit, of which, 20 ULBs were covered upto 31<sup>st</sup> March 2014.

### 3.6.4 Financial Irregularity

**Nagar Panchayat, Rajgarh did not route the revenue receipts of ₹ 41.55 lakh through cash book.**

As per rule 19 (2) of State Municipal Account Code, 1975 the cash book is required to be written regularly and each transaction is to be attested by the head of office. The rule further provide that cheques /cash /drafts received on account of rent, fee, etc., should immediately be taken into cash book and thereafter deposited into Government or Nagar Panchayat account so that the figures entered in the cash book tallies with the figures in the bank pass book.

Audit noticed that contrary to above provision, revenue received (between August 2010 and June 2012) by the NP Rajgarh on account of rent of a building, registration fee and other receipts amounting to ₹ 41.55 lakh was deposited in savings bank account without their entries in the cash book and other related records. It was indicative of lack of financial control in the NP and led to violation of the rule *ibid*. In the absence of proper records the possibility of misappropriation of the Nagar Panchayat cash could also not be ruled out. The

Secretary of NP stated (October 2013) that the cash collected was deposited in the bank account directly. The reply does not explain the reasons for non-accountal of the receipts.

### 3.6.5 Non-preparation of bank reconciliation statements

As per rule 19 (2) of the State Municipal Accounts Code 1975, the general cash book shall each day be checked item wise, closed and signed by the Executive Officer. At the end of month it shall be compared and agreed with the bank pass book. Every item of receipt and expenditure shall be checked with the entities of cash book and differences shall be explained and accounted for in the general cash book.

It was, however, noticed that there was a difference of ₹ 19.69 lakh (**Appendix-17**) between cash books and bank pass books at the close of the year 2012-13 which was not reconciled by three ULBs as of August 2013. The authenticity of accounts of these ULBs could not be ascertained in the absence of reconciliation with bank statements. The Executive Officers of the concerned ULBs stated (August 2013-January 2014) that the differences would be reconciled shortly.

### 3.6.6 Pending audit observations

#### **Inadequate response to Audit findings and observations resulted in erosion of accountability.**

The Commissioner, Executive Officer, Secretary of the Municipal Corporation, Municipal Council and Nagar Panchayat, respectively, are required to comply with the observations, contained in the Inspection Reports (IRs) issued by the Principal Accountant General (Audit), Himachal Pradesh, rectify the defects/ omissions and report their compliance to settle the observations. The details of IRs and paragraphs issued, settled and outstanding as on 31<sup>st</sup> March 2014 are included in **Table 12:**

**Table 12: Position of pending IRs/ Paras.**

Sr. No.	Year of issue of Inspection Reports	Outstanding IRs/ Paras as on 31 March 2013		Addition		Total		No. of IRs/ paras settled during 2013-14		No. of outstanding IRs/Paras as on 31 03.2014.	
		IRs	Paras	IRs	Paras	IRs	Paras	IRs	Paras	IRs	Paras
1.	Upto 2009-10	85	623	-	-	85	623	1	59	84	564
2.	2010-11	15	148	-	-	15	148	-	39	15	109
3.	2011-12	15	164	-	-	15	164	1	26	14	138
4.	2012-13	15	175	-	-	15	175	-	-	15	175
5.	2013-14	-	-	17	218	17	218	-	-	17	218
	<b>Total</b>	<b>130</b>	<b>1110</b>	<b>17</b>	<b>218</b>	<b>147</b>	<b>1328</b>	<b>2</b>	<b>124</b>	<b>145</b>	<b>1204</b>

Increasing trend of inspection reports and outstanding paras is indicative of inadequate response to audit findings and observations, which resulted in erosion of accountability.

Audit findings were referred to Government in December 2014. The reply was awaited (May 2015).



## CHAPTER-4

### RESULTS OF AUDIT OF URBAN LOCAL BODIES

The deficiencies noticed in audit of Urban Local Bodies during 2013-14 are discussed in the succeeding paragraphs.

#### 4.1 Revenue

##### 4.1.1 Loss due to non-revision of rates of house tax

**Non-revision of rates of house tax by two ULBs as per recommendations of State Finance Commission resulted in loss of revenue of ₹ 78.06 lakh.**

Rule 65 of Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 provides that MC is empowered to impose house tax on buildings and land which shall not be less than 7.5 *per cent* and more than 12.5 *per cent* on the annual value of such buildings and land. The Director, Urban Development directed (November 2003) all the ULBs that as per recommendations of the 2<sup>nd</sup> State Finance Commission (SFC) there shall be one *per cent* increase in the rate of house tax every year from 2002-03 onwards so as to attain the level of 12.5 *per cent* at the end of 2006-07.

It was, however, noticed that two ULBs (NP Banjar and MC Rampur) had not followed the instructions for revision of rates of house tax and demand for house tax was levied at various rates ranging between 8.5 *per cent* and 10 *per cent*, resulting in loss of revenue of ₹ 78.06 lakh<sup>5</sup> during 2004-13. The Secretary, NP Banjar stated (August 2013) that action would be taken to enhance the rates of house tax and recover the balance amount. The Executive Officer, MC Rampur stated (January 2014) that the matter of enhancing the tax was put before the honorable house but the resolution could not be adopted. The fact, however, remained that the rates of house tax was not increased as per recommendations of SFC during 2004-13 resulting in loss of revenue to the two ULBs.

##### 4.1.2 Outstanding house tax

**Due to ineffective monitoring, revenue of ₹ 3.68 crore on account of house tax in six ULBs remained outstanding.**

In six ULBs (Municipal Councils: three and Nagar Panchayats: three), there was an opening balance of outstanding house tax of ₹ 3.58 crore as of March 2012 and demand of ₹ 0.93 crore was raised during the period 2012-13 (**Appendix-18**). However, the collection of house tax was to the extent of only ₹ 0.81 crore and rebate amounting to ₹ 0.02 crore was allowed by the ULBs during the corresponding period, leaving an outstanding balance of ₹ 3.68 crore as of March 2013. The pace of recovery was slow as even the current demand could not be recovered. Non-recovery of house tax has impacted the revenue receipts of ULBs to the above extent which could have been utilised for other developmental works. The Executive Officers/Secretaries of ULBs stated (August 2013- January 2014) that notices had

<sup>5</sup> NP Banjar: ₹ 11.81 lakh; MC Rampur: ₹ 66.25 lakh.



been issued against the defaulters for recovery of arrears and legal action if needed will be initiated with the approval of the house against major defaulters.

#### **4.1.3 Non-realisation of rent**

**Eleven ULBs failed to realise the rent of shops/ building /booths from allottees amounting to ₹ 2.25 crore.**

Section 258 (i) (b) (2) of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 provides that any amount which is due to the municipality and remains unpaid for fifteen days after the same is due, the Executive Officer/ Secretary may serve notice of demand upon the persons concerned. The Act also provides that any sum due for recovery, shall without prejudice to any other mode of collection, be recovered as arrear of land revenue.

(i) It was noticed that in 11 ULBs (Five MCs<sup>6</sup> and Six NPs<sup>7</sup>), rental charges amounting to ₹ 1.71 crore were pending for recovery as on March 2012 (**Appendix-19**) against the allottees of shops/ stalls, owned by these ULBs. Further, demand of ₹ 1.51 crore was raised against the tenants/ lessees of these shops/ stalls during 2012-13. Against the total demand of ₹ 3.22 crore, only ₹ 1.13 crore had been recovered leaving outstanding recovery of ₹ 2.09 crore as of March 2013. The ULBs stated (August 2013- January 2014) that notices had been issued to the defaulters and the amount would be recovered shortly.

(ii) The ground floor of MC Kullu building was rented out (April 2004) to the District Election Officer, Kullu on a monthly rent of ₹ 7,500. Since its occupancy, the MC, Kullu had not realised the rent and an amount of ₹ 8.78 lakh was outstanding as of December 2013. While admitting the facts, the Executive Officer stated (January 2014) that the matter would be taken up with the concerned Department to settle the rent. The reply is not convincing as no action has been initiated by the MC for the demand/ realisation of rent despite lapse of more than nine years showing ineffective system control in MC.

(iii) The MC Kullu had 23 numbers of booths. These booths had been rented out to various individuals since 2002. Audit noticed that there was an opening balance of outstanding booth rent of ₹ 5.79 lakh as of April 2012 and demand of ₹ 1.58 lakh was raised during the period 2012-13. However, the collection of booth rent was only to the extent of ₹ 0.15 lakh during the corresponding period, leaving an outstanding balance of ₹ 7.22 lakh as of March 2013. The pace of recovery was slow as even the current demand was not recovered. The Executive Officer stated (January 2014) that efforts for recovery would be made effectively.

#### **4.1.4 Non-recovery of installation/ renewal charges on mobile towers**

**Failure to realise the installation/ renewal charges on mobile towers by nine ULBs resulted in loss of revenue of ₹ 8.90 lakh.**

Himachal Pradesh Government authorized (August 2006) the ULBs to levy duty on installation of mobile communication towers at the rate of ₹ 10,000 per tower and annual renewal fee at the rate of ₹ 5,000.

<sup>6</sup> Kullu, Nurpur, Paonta Sahib, Rampur and Solan.

<sup>7</sup> Banjar, Daulatpur Chowk, Joginder Nagar, Kotkhai, Mehatpur and Rajgarh.

In nine ULBs, mobile towers were installed in their jurisdiction during 2004-13 but the concerned ULBs had not recovered the charges of ₹ 8.90 lakh as of March 2013 in respect of 86 towers. The ULBs concerned stated (August 2013 to January 2014) that action would be taken shortly to recover the dues.

#### 4.1.5 Non-recovery of Labour Cess

**Municipal Council Solan did not recover the labour cess of ₹ 2.17 lakh from contractors during 2009-12, which was a violation of Cess Act, 1996.**

In compliance to the Building and other Construction Workers Welfare Cess Act, 1996, the State Government made rules (December 2008) to levy Cess at the rate of one *per cent* of the total cost of construction. Every establishment which employ 10 or more workers in any building or other construction works are liable to pay cess under the Cess Act except individual residential houses whose total cost of construction did not exceed ₹ 10 lakh.

Audit noticed that payment of ₹ 2.17 crore was made by the MC Solan to various contractors during 2009-12 on account of works carried out by them within the MC area. However, one *per cent* cess of ₹ 2.17 lakh was not deducted from bills of these contractors during the above period. Non-deduction of cess was a violation of the Cess Act *ibid*, undue benefit to contractors and also resulted in non-remittance of ₹ 2.17 lakh to the Board for welfare measures of the construction workers. While admitting the facts, the Executive Officer of MC stated (November 2013) that amount would be recovered from the contractor in future. The reply does not explain as to why the mandatory deduction of cess was not effected.

#### 4.1.6 Outstanding municipal share of Dussehra income

**Municipal Council, Kullu did not recover the Municipal share of Dussehra income of ₹ 60.53 lakh.**

As per Himachal Pradesh Language, Arts and Culture Department's order (April 2005), Municipal Council, Kullu was entitled to 37 *per cent* of the total income of the Kullu Dussehra Mela. Audit noticed (January 2014) that there was an outstanding opening balance of ₹ 36.15 lakh on account of Dussehra income as of April 2011 and demand of ₹ 59.38 lakh on account of 37 *per cent* share of the total income was raised during the year 2011-12. However, an amount of ₹ 35 lakh was only received from District Administration during the corresponding year, leaving an outstanding balance of ₹ 60.53 lakh as of March 2012. The outstanding amount had not been recovered as of January 2014 which deprived the MC of its due share of revenue. The Executive Officer stated (January 2014) that the matter regarding release of balance share of income from the Dussehra festival would be taken up with the District Administration. The reply is not acceptable as revenue from Dussehra festival is the main source of income of the MC Kullu which should have realised in a time bound manner.

## **4.2 Blocking of Funds**

### **4.2.1 Blocking of funds due to non-start of work**

Scrutiny of records showed that in two MCs and three NPs funds amounting to ₹ 1.38 crore<sup>8</sup> were available during 2008-13 for various development works. It was noticed that no expenditure was incurred on execution of works as of March 2014. Thus, non-utilisation of funds for development works resulted in unnecessary blocking up of funds and the intended beneficiaries were also deprived of the benefits. The Executive Officers of the concerned ULBs stated (October 2013-January 2014) that due to land dispute, non-completion of codal formalities and shortage of technical staff, etc, works could not be started. The reply is not convincing as such issues could have been resolved before getting the works sanctioned and funds released from the funding agencies.

### **4.2.2. Blocking of Integrated Housing and Slum Development Programme funds**

**The MC Solan failed to execute the works under Integrated Housing and Slum Development Programme resulting in blocking of ₹ 79.85 lakh.**

The “Integrated Housing and Slum Development Programme (IHSDP)” has been introduced by the GOI for improvement of slums in the cities/ towns not covered under JNNURM in the country. The GOI sanctioned (2007-08) ₹ 9.58 crore under IHSDP for Solan district on cost sharing basis of 90:10 between the Central and State Governments.

Audit noticed (November 2013) that against the approved project cost of ₹ 9.58 crore, the Himachal Pradesh Urban Development Authority (HIMUDA) being a nodal agency released (July 2012) a sum of ₹ 85.59 lakh as first instalment of IHSDP for construction of 84 dwelling units. Of this, MC paid ₹ 5.74 lakh on account of charges for preparation of estimates, etc., to the HIMUDA. However, the work on the project remained uncommenced as of November 2013 even after lapse of more than one year from the date of release of first instalment which was attributed to shortage of technical staff in the MC. Resultantly, the remaining amount of ₹ 79.85 lakh remained locked up with the MC resulting in denial of intended benefits to the beneficiaries.

While admitting the facts, the Executive Officer stated (November 2013) that the proposal was being placed before the house to get the amount transferred to HIMUDA for execution of work. The reply is not acceptable as the MC had not refunded the grants even after lapse of one year from the receipt of funds.

## **4.3 Unfruitful expenditure**

**Expenditure of ₹ 7.68 lakh on purchase of Hydraulic Tipper by the Nagar Panchayat, Kotkhai proved unfruitful.**

The Director, Urban Development, Shimla released (July 2009) an amount of ₹ 5.50 lakh to the NP, Kotkhai for purchase of Hydraulic Tipper for disposal of Municipal garbage with the

<sup>8</sup> MC Kullu: ₹ 13.96 lakh, MC Poanta Sahib: ₹ 79.50 lakh, NP Rajgarh: ₹ 3.84 lakh, NP Mehatpur: ₹ 9.95 lakh and NP Kotkhai: ₹ 31.11 lakh.

condition that the extra funds will be arranged by the NP itself. The NP, Kotkhai purchased a Hydraulic Tipper at a cost of ₹ 7.68 lakh in October 2010.

During audit, it was noticed that the Hydraulic Tipper could not be put to use as of November 2013 due to non availability of driver. The action of NP to purchase Hydraulic Tipper without ensuring the services of the driver had not only rendered expenditure of ₹ 7.68 lakh unfruitful but also led to deterioration of the asset with the passage of time. The Secretary of NP stated (November 2013) that Hydraulic Tipper was purchased as per allotment of funds and despite repeated requests the State Government had neither created the post of driver nor given sanction to engage the driver on daily wage basis. The reply is not acceptable as this aspect should have been taken into consideration before the purchase of vehicle.

#### 4.4 Injudicious expenditure

##### **MC Chamba made injudicious outsourcing of sweeping and garbage collection work resulting in loss of ₹ 41.71 lakh.**

The MC Chamba had sanctioned staff strength of 38 persons for sweeping, collection and disposal of garbage within the MC area. Against this, 28 persons were in position as of May 2011.

It was, however, noticed that MC decided (May 2011) to outsource the work of sweeping, collection of garbage and cleaning of toilets within MC area despite having an adequate staff for the purpose. The work was outsourced to a contractor for a period of one year from 1 August 2011 to 31 July 2012 for ₹ 26.36 lakh, which was extended upto 31 March 2013. The MC incurred an expenditure of ₹ 41.71 lakh on payment to the outsourced persons besides, an expenditure of ₹ 92.51 lakh on payment of pay and allowances to its existing staff, who in the presence of outsourced workers remained idle during the aforesaid period. Thus, avoidable expenditure of ₹ 41.71 lakh was incurred by the MC due to injudicious outsourcing of work.

The Executive Officer stated (May 2013) that the work of sweeping, garbage collection, etc., was outsourced as per decision of the house of the MC. It was further stated that the MC area is very scattered due to which sweeping and garbage collection work was not properly done by the permanent Safai staff of the MC. The reply is not convincing as the decision of the house had put an extra avoidable burden on MC.

#### 4.5 Non-utilisation of assets

##### **Municipal Council Kullu had misutilised Rehan Basera building constructed at a cost of ₹ 11.13 lakh.**

With the objective to provide overnight staying facility to the poor slum dwellers, the Municipal Council, Kullu constructed (February 2007) a building of Rehan Basera near Nehru Park at a cost of ₹ 11.13 lakh (State: ₹ 9.00 lakh and own funds: ₹ 2.13 lakh). The Rehan Basera was to be run/ managed by the MC itself. It was, however, noticed that instead of being utilised for providing overnight staying facility to the poor at affordable rates, the same had been rented out (June 2012) to the State Bank of India on a monthly rental of ₹ 0.55 lakh. This had not only defeated the very purpose of Rehan Basera for which it was constructed but

also led to misutilisation of Rehan Basera building for deriving commercial benefits. The Executive Officer stated (January 2014) that the Rehan Basera was put to commercial use in order to generate additional income for the MC. The reply is not acceptable as the bonafide purpose to construct the Rehan Basera has been defeated.

#### **4.6 Non-utilisation of funds**

##### **Municipal Council Kullu did not utilise Government funds of ₹ 1.24 crore.**

Audit noticed (January 2014) that the grants amounting to ₹ 1.24 crore were received by the Municipal Council, Kullu from Director, Urban Development Department between May 2011 and November 2012. These grants were to be utilised within a period of one year from the date of sanction for maintenance of roads, construction of parks, drainage, solid waste management, etc, but the funds remained unutilised due to non-execution of works as of January 2014. Funds provided by the government were lying in the savings bank account operated by the MC. Non utilisation of the grants for the intended purpose had not only resulted into blocking of government funds but also deprived the public of the benefits of the works/ schemes. The Executive Officer stated (January 2014) that the grants were received just recently as such could not be utilised. The reply is not acceptable as a period of two to three years has already elapsed since receipt of the aforesaid grants.

Audit findings were referred to Government in December 2014. The reply was awaited (May 2015).

**(Ram Mohan Johri)**  
**Pr. Accountant General(Audit)**  
**Himachal Pradesh**

**Shimla**  
**Dated:**

## Appendix-1

(Refer paragraph 1.3.2; page 3)

### Sanctioned strength and persons in position of PRIs

(In numbers)

Sr. No.	Name of post	Sanctioned strength		In position		Vacant posts as of March 2014
		Regular	Contract	Regular	Contract	
1.	Junior Engineers	112	75	112	65	10
2.	Assistant Engineers	2	2	2	1	1
3.	Tailoring Teachers	-	2102	-	2102	-
4.	Panchayat Sahayaks	-	2522	-	2277	245
5.	Junior Accountants	8	2	8	2	-
6.	Junior Scale Steno	8	4	8	4	-
7.	Clerks	12	-	07	-	05
8.	Drivers	12	-	09	-	03
9.	Peon	12	-	12	-	-
<b>Total</b>		<b>166</b>	<b>4707</b>	<b>158</b>	<b>4451</b>	<b>264</b>

## Appendix-2

(Refer paragraphs 1.6 and 3.5; pages 6 and 19)

### Audit coverage- Details of Panchayati Raj Institutions and Urban Local Bodies audited during 2013-14

#### Zila Parishad

Sr. No.	Name of Zila Parishads
1.	Lahaul and Spiti
2.	Shimla
3.	Kullu
4.	Kinnaur at Reckong Peo
5.	Sirmour
6.	Kangra
7.	Bilaspur
8.	Mandi
9.	Una
10.	Solan

#### Panchayat Samitis

Sr. No	Name of Panchayat Samiti
1.	Lahaul and Spiti
2.	Kunihar
3.	Theog
4.	Nurpur
5.	Nalagarh
6.	Chopal
7.	Kandaghat
8.	Sulah
9.	Pooh
10.	Padhar
11.	Bhawarna
12.	Bajjnath
13.	Panchrukhi
14.	Paonta Sahib
15.	Bhatiyat
16.	Hamirpur
17.	Rait
18.	Kangra
19.	Chamba
20.	Nagrota Bagwan

## Gram Panchayats

Sr.No.	GPs	Name of Block	Name of District
1.	Grima	Bharmour	Chamba
2.	Kuleth	Bharmour	Chamba
3.	Tundah	Bharmour	Chamba
4.	Durgheti	Bharmour	Chamba
5.	Lagu	Bharmour	Chamba
6.	Jagat	Bharmour	Chamba
7.	Ulosa	Bharmour	Chamba
8.	Siyur	Bharmour	Chamba
9.	Kuthehar	Bharmour	Chamba
10.	Saangh	Bharmour	Chamba
11.	Tikkari	Chamba	Chamba
12.	Chandi	Chamba	Chamba
13.	Rajpura	Chamba	Chamba
14.	Kandla	Chamba	Chamba
15.	Saho	Chamba	Chamba
16.	Palyur	Chamba	Chamba
17.	Chihal Bangla	Chamba	Chamba
18.	Sach	Chamba	Chamba
19.	Panjoh	Chamba	Chamba
20.	Paluhi	Chamba	Chamba
21.	Saprot	Tissa	Chamba
22.	Tissa-1	Tissa	Chamba
23.	Seikothi	Tissa	Chamba
24.	Tissa-2	Tissa	Chamba
25.	Devikothi	Tissa	Chamba
26.	Junas	Tissa	Chamba
27.	Diyola	Tissa	Chamba
28.	Charori	Tissa	Chamba
29.	Bharara	Tissa	Chamba
30.	Bhanjrar	Tissa	Chamba
31.	Bajdoh	Bamsan	Hamirpur
32.	Bajrol	Bamsan	Hamirpur
33.	Bakri	Bamsan	Hamirpur
34.	Balh	Hamirpur	Hamirpur
35.	Drogan Patti Kot	Hamirpur	Hamirpur
36.	Brahladi	Hamirpur	Hamirpur
37.	Awairi	Baijnath	Kangra
38.	Bahi	Baijnath	Kangra
39.	Beed	Baijnath	Kangra
40.	Chobeen	Baijnath	Kangra
41.	Diyol	Baijnath	Kangra
42.	Chogan	Baijnath	Kangra



Sr.No.	GPs	Name of Block	Name of District
43.	Aima	Bhawarna	Kangra
44.	Aarth Jhikli	Bhawarna	Kangra
45.	Bagauda	Bhawarna	Kangra
46.	Aghar	Nurpur	Kangra
47.	Baduhi	Nurpur	Kangra
48.	Batrahan	Nurpur	Kangra
49.	Ronhi Lagod	Nurpur	Kangra
50.	Danni	Nurpur	Kangra
51.	Baleta	Nurpur	Kangra
52.	Chhatroli	Nurpur	Kangra
53.	Khel	Nurpur	Kangra
54.	Charuri	Nurpur	Kangra
55.	Chhattar	Nurpur	Kangra
56.	Chhattar Jogiya	Nurpur	Kangra
57.	Dhaneti Garla	Nurpur	Kangra
58.	Hadal	Nurpur	Kangra
59.	Hathidhar	Nurpur	Kangra
60.	Chhitkul	Kalpa	Kinnaur
61.	Shong	Kalpa	Kinnaur
62.	Rakcham	Kalpa	Kinnaur
63.	Chango	Pooh	Kinnaur
64.	Vishaladhar	Anni	Kullu
65.	Banogi	Banjaar	Kullu
66.	Bada Bhuin	Kullu	Kullu
67.	Barahar	Kullu	Kullu
68.	Bashauna	Kullu	Kullu
69.	Badagra	Naggar	Kullu
70.	Archhandi	Naggar	Kullu
71.	Nalda	Keylong	Lahaul and Spiti
72.	Shansha	Keylong	Lahaul and Spiti
73.	Tano	Spiti	Lahaul and Spiti
74.	Masauli	Drang	Mandi
75.	Latran	Drang	Mandi
76.	Shilag	Drang	Mandi
77.	Siyun	Drang	Mandi
78.	Tarswan	Drang	Mandi
79.	Silh Budhani	Drang	Mandi
80.	Chakli	Nahan	Sirmaur
81.	Dadahu	Nahan	Sirmaur
82.	Birla	Nahan	Sirmaur
83.	Badripur	Paonta Sahib	Sirmaur
84.	Amboya	Paonta Sahib	Sirmaur
85.	Amarkot	Paonta Sahib	Sirmaur
86.	Andheri	Sangrah	Sirmaur

Sr.No.	GPs	Name of Block	Name of District
87.	Badol	Sangrah	Sirmaur
88.	Badlag	Dharampur	Solan
89.	Badiyan	Dharampur	Solan
90.	Banasar	Dharampur	Solan
91.	Chail	Kandaghat	Solan
92.	Bisha	Kandaghat	Solan
93.	Anhech	Solan	Solan
94.	Badog	Solan	Solan
95.	Andora Upper	Amb	Una
96.	Badhmana	Amb	Una
97.	Duhal Bhatwala	Amb	Una
98.	Bhagrah	Amb	Una
99.	Ghangret	Amb	Una
100.	Gindpur Malaun	Amb	Una
101.	Diyada	Amb	Una
102.	Bahudi	Bangana	Una
103.	Bairiyan	Bangana	Una
104.	Balagad	Bangana	Una
105.	Balh	Bangana	Una
106.	Abhaypur	Gagret	Una
107.	Amboya	Gagret	Una
108.	Badoh	Gagret	Una
109.	Bhanjal Lower	Gagret	Una
110.	Bhanjal Upper	Gagret	Una
111.	Bhadrakali	Gagret	Una
112.	Bhadhodi	Haroli	Una
113.	Badedha	Haroli	Una
114.	Bhadiyara	Haroli	Una
115.	Baliwal	Haroli	Una
116.	Bathadi	Haroli	Una
117.	Chandpur	Haroli	Una
118.	Chhetran	Haroli	Una

### **Municipal Corporation**

<b>Sr.No.</b>	<b>Name of Municipal Corporation</b>
1.	Shimla

### **Municipal Council**

<b>Sr.No.</b>	<b>Name of Municipal Council</b>
1.	Hamirpur
2.	Chamba
3.	Paonta Sahib
4.	Nalagarh
5.	Solan
6.	Kangra
7.	Rampur
8.	Nurpur
9.	Kullu

### **Nagar Panchayat**

<b>Sr. No.</b>	<b>Name of Nagar Panchayat</b>
1.	Banjar
2.	Dehra
3.	Rajgarh
4.	Mehatpur
5.	Kotkhai
6.	Daulatpur Chowk
7.	Joginder Nagar

### Appendix-3

(Refer paragraph 1.7.2; page 7)

#### Non-preparation of budget estimates

(₹ in lakh)

Sr. No.	Name of PSs	Period	Amount spent
1.	Bhawarna	2008-09	69.57
		2009-10	94.07
		2010-11	107.36
2.	Chamba	2010-11	40.97
		2012-13	61.51
3.	Theog	2010-11	29.02
		2011-12	58.22
		2012-13	54.72
4.	Sulah	2010-11	39.71
		2011-12	63.18
		2012-13	87.87
5.	Paonta Sahib	2011-12	235.06
		2012-13	198.34
6.	Hamirpur	2009-10	90.96
		2010-11	44.82
		2011-12	90.22
		Total (PSs)	1365.60

#### Gram Panchayats

Sr. No.	Name of GPs	Name of Block	Name of District	Period	Amount
1.	Tissa-II	Tissa	Chamba	2008-09	9.00
				2009-10	1.00
				2011-12	6.50
2.	Tundaha	Bharmour	Chamba	2008-13	NA
3.	Kandla	Chamba	Chamba	2008-13	33.98
4.	Chandi	Chamba	Chamba	2008-13	39.15
5.	Tikkari	Chamba	Chamba	2009-11	62.35
6.	Amarkot	Paonta Sahib	Sirmaur	2008-13	12.37
7.	Charudi	Nurpur	Kangra	2010-13	28.95
<b>Total (GPs)</b>					<b>193.30</b>
<b>Grand Total</b>					<b>1558.90</b>

Source: Audit findings.

## Appendix-4

(Refer paragraph 1.7.3; page 7)

### Lists of Panchayat Samitis and Gram Panchayat who had not maintained records

#### Panchayat Samitis

Sr. No.	Panchayat Samitis	District
1.	Kangra	Kangra
2.	Nagrota Bagwan	Kangra
3.	Hamirpur	Hamirpur

#### Gram Panchayat

Sr.No.	Name of GPs	Name of Block	Name of District
1.	Panjoh	Chamba	Chamba
2.	Jagat	Bharmour	Chamba
3.	Siyur	Bharmour	Chamba
4.	Tundah	Bharmour	Chamba
5.	Saproat	Tissa	Chamba
6.	Palyur	Chamba	Chamba
7.	Saho	Chamba	Chamba
8.	Cheehal Bangla	Chamba	Chamba
9.	Paluhi	Chamba	Chamba
10.	Kuther	Bharmour	Chamba
11.	Saha	Bharmour	Chamba
12.	Chandi	Chamba	Chamba
13.	Sach	Chamba	Chamba
14.	Dadahu	Nahan	Sirmaur
15.	Badol	Sangrah	Sirmaur
16.	Chail	Kandaghat	Solan
17.	Bariyan	Dharampur	Solan
18.	Badhmana	Amb	Una
19.	Bada Bhuin	Kullu	Kullu
20.	Barahar	Kullu	Kullu
21.	Bashouna	Kullu	Kullu
22.	Vishladhar	Anni	Kullu
23.	Balagadh	Banjar	Kullu
24.	Archandi	Naggar	Kullu
25.	Baragrah	Naggar	Kullu

Sr.No.	Name of GPs	Name of Block	Name of District
26.	Dhaneti Garlan	Nurpur	Kangra
27.	Hathi Dhar	Nurpur	Kangra
28.	Danni	Nurpur	Kangra
29.	Charudi	Nurpur	Kangra
30.	Aghar	Nurpur	Kangra
31.	Chattar Jogian	Nurpur	Kangra
32.	Charudi	Nurpur	Kangra
33.	Chattar	Nurpur	Kangra
34.	Chaubeen	Baijnath	Kangra
35.	Diyol	Baijnath	Kangra
36.	Masauli	Drang at Padhar	Mandi
37.	Latran	Drang at Padhar	Mandi
38.	Silag	Drang at Padhar	Mandi
39.	Siyuh	Drang at Padhar	Mandi
40.	Tarswan	Drang at Padhar	Mandi
41.	Chitkul	Kalpa	Kinnaur
42.	Shong	Kalpa	Kinnaur
43.	Rackcham	Kalpa	Kinnaur
44.	Chango	Pooh	Kinnaur
45.	Averi	Baijnath	Kangra
46.	Bhagra	Bhawarna	Kangra
47.	Arath Jhikli	Bhawarna	Kangra
48.	Chugan	Baijnath	Kangra
49.	Tabo	Kaza	Lahaul and Spiti
50.	Nalda	Keylong	Lahaul and Spiti
51.	Shansha	Keylong	Lahaul and Spiti
52.	Drogan Pattikot	Hamirpur	Hamirpur
53.	Brahladi	Hamirpur	Hamirpur

Source: Audit findings.

## Appendix-5

(Refer Paragraph 1.7.4; page 7)

### Improper maintenance of accounts of income from own resources and grant-in-aids

Sr. No.	PS	District
1.	Baijnath	Kangra
2.	Kangra	Kangra
3.	Pachad	Sirmaur
4.	Sulah	Kangra
5.	Nagrota Bagwan	Kangra

Sr. No.	GPs	Block	District
1.	Cheel Banglow	Chamba	Chamba
2.	Badol	Sangrah	Sirmaur
3.	Andheri	Sangrah	Sirmaur
4.	Badog	Solan	Solan
5.	Bisha	Kandaghat	Solan
6.	Bada Bhuin	Kullu	Kullu
7.	Vishaladhar	Anni	Kullu
8.	Banogi	Banjar	Kullu
9.	Balagarh	Banjar	Kullu
10.	Archhandi	Naggar	Kullu
11.	Badagra	Naggar	Kullu
12.	Badhmana	Amb	Una
13.	Gindpur Mallaun	Amb	Una
14.	Diyada	Amb	Una
15.	Haddal	Nurpur	Kangra
16.	Chaubeen	Baijnath	Kangra
17.	Averi	Baijnath	Kangra
18.	Bahi	Baijnath	Kangra
19.	Bagoda	Baijnath	Kangra
20.	Aarth Jhikli	Bhawarna	Kangra
21.	Aima	Bhawarna	Kangra
22.	Shong	Kalpa	Kinnaur

## Annexure – 6

(Refer paragraph 1.7.5; page 8)

## Non-reconciliation of difference between cash books with bank pass books

## Cases where pass book shows less balance than cash book

(₹ in lakh)

## Zila Parishad

Sr.No.	Name of Zila Parishad	Balance as per Pass Book on 31 March 2013	Balances as per Cash Book on 31 March 2013	Difference
1.	Kangra	363.80	2033.19	1669.39
<b>Total</b>		<b>363.80</b>	<b>2033.19</b>	<b>1669.39</b>

## Panchayat Samitis

Sr.No.	Name of Panchayat Samiti	Balance as per Pass Book on 31 March 2013	Balances as per Cash Book on 31 March 2013	Difference
1.	Chamba	23.98	37.89	13.91
2.	Kandaghat	47.96	57.22	9.26
3.	Bhawarna	103.60	108.52	4.92
<b>Total</b>		<b>175.54</b>	<b>203.63</b>	<b>28.09</b>

## Gram Panchayats

Sr No	GPs	Name of Block	Name of District	Balance as per Pass Book on 31 March 2013	Balances as per Cash Book on 31 March 2013	Difference
1.	Jagat	Bharmour	Chamba	8.98	10.01	1.03
2.	Tundah	Bharmour	Chamba	7.03	8.20	1.17
3.	Sah	Bharmour	Chamba	8.47	10.24	1.77
4.	Kandla	Chamba	Chamba	2.93	3.16	0.23
5.	Lamu	Bharmour	Chamba	5.31	5.35	0.04
6.	Amboya	Paonta Sahib	Sirmaur	2.68	20.71	18.03
7.	Andheri	Sangrah	Sirmaur	13.67	13.83	0.16
8.	Charudi	Nurpur	Kangra	5.11	7.92	2.81
9.	Khel	Nurpur	Kangra	4.52	6.29	1.77
10.	Dhanti	Nurpur	Kangra	2.06	3.32	1.26
11.	Chaugan	Bajjnath	Kangra	5.32	6.41	1.09
12.	Masauli	Drang	Mandi	12.19	12.78	0.59
13.	Taraswan	Drang	Mandi	6.27	10.05	3.78
<b>Total</b>				<b>84.54</b>	<b>118.27</b>	<b>33.73</b>
<b>Grand Total</b>				<b>623.88</b>	<b>2355.09</b>	<b>1731.21</b>



<b>Cases where Cash book shows less balance than Pass book</b>
--

(₹ in lakh)

**Panchayat Samities**

Sr.No.	Name of Panchayat Samiti	Balance as per Pass Book on 31 March 2013	Balances as per Cash Book on 31 March 2013	Difference
1.	Theog	71.80	66.95	4.85
2.	Kangra	95.86	91.30	4.56
3.	Sulah	88.14	82.57	5.57
4.	Nagrota	75.76	42.79	32.97
5.	Hamirpur	24.25	14.41	9.84
<b>Total</b>		<b>355.81</b>	<b>298.02</b>	<b>57.79</b>

**Gram Panchayats**

Sr. No	GPs	Name of Block	Name of District	Balance as per Pass Book on 31 March 2013	Balances as per Cash Book on 31 March 2013	Difference
1.	Panjoh	Chamba	Chamba	14.18	2.03	12.15
2.	Siyuar	Bharmour	Chamba	4.00	2.25	1.75
3.	Saprot	Tissa	Chamba	6.54	4.49	2.05
4.	Palure	Chamba	Chamba	15.71	14.87	0.84
5.	Saho	Chamba	Chamba	30.54	27.28	3.26
6.	Cheehal	Chamba	Chamba	4.38	2.42	1.96
7.	Kuther	Bharmour	Chamba	4.31	4.18	0.13
8.	Chandi	Chamba	Chamba	6.27	2.34	3.93
9.	Tikkari	Chamba	Chamba	14.96	14.60	0.36
10.	Rajpura	Chamba	Chamba	8.61	8.09	0.52
11.	Durgethi	Bharmour	Chamba	16.40	10.57	5.83
12.	Paluhi	Chamba	Chamba	12.39	10.77	1.62
13.	Sach	Chamba	Chamba	4.42	0.54	3.88
14.	Ullansa	Bharmour	Chamba	14.98	12.40	2.58
15.	Badripur	Paonta Sahib	Sirmaur	7.78	3.26	4.52
16.	Badol	Sangrah	Sirmaur	5.06	2.82	2.24
17.	Amarkot	Paonta Sahib	Sirmaur	19.14	11.77	7.37
18.	Anhech	Solan	Solan	1.34	0.95	0.39
19.	Badhmana	Amb	Una	11.50	-	11.50
20.	Duhal Bhatwalen	Amb	Una	11.90	-	11.90
21.	Bhanjal	Gagret	Una	0.56	0.41	0.15
22.	Deol	Baijnath	Kangra	4.01	1.50	2.51
23.	Choubeen	Baijnath	Kangra	11.18	9.98	1.20
24.	Aghar	Nurpur	Kangra	4.88	4.85	0.03

Sr. No	GPs	Name of Block	Name of District	Balance as per Pass Book on 31 March 2013	Balances as per Cash Book on 31 March 2013	Difference
25.	Chattar	Nurpur	Kangra	7.23	6.77	0.46
26.	Gehin Lagord	Nurpur	Kangra	3.46	0.61	2.85
27.	Charolli	Nurpur	Kangra	6.12	5.42	0.70
28.	Batrahon	Nurpur	Kangra	0.77	0.46	0.31
29.	Averi	Baijnath	Kangra	6.50	-	6.50
30.	Beed	Baijnath	Kangra	0.76	-	0.76
31.	Bagoda	Bhawrana	Kangra	1.80	-	1.80
32.	Bahi	Baijnath	Kangra	3.26	-	3.26
33.	Shong	Kalpa at Reckong Peo	Kinnaur	25.36	-	25.36
34.	Rakcham	Kalpa at Reckong Peo	Kinnaur	12.48	-	12.48
35.	Chitkul	Kalpa at Reckong Peo	Kinnaur	5.23	-	5.23
36.	Tabo	Spiti	Lahaul and Spiti	9.07	4.50	4.57
<b>Total</b>				<b>317.08</b>	<b>170.13</b>	<b>146.95</b>
<b>Grand Total</b>				<b>672.89</b>	<b>468.15</b>	<b>204.74</b>

### Summary of Difference between cash book and pass books

Sr.No.	Kind of Unit	No. of Units	Difference between Cash Book and Pass Book
1.	ZP	1	1669.39
2.	PS	8	85.88
3.	GP	49	180.68
<b>Grand Total</b>		<b>58</b>	<b>1935.95</b>

Source: Audit findings.

**Appendix-7**

(Refer paragraph 1.7.6; page 8)  
**Non-accountal of material**

(₹ in lakh)

**Zila Parishad**

Sr. No.	Name of Zila Parishad	Period of purchase	Amount
1.	Kangra	2012-13	0.46
<b>Total</b>			<b>0.46</b>

**Panchayat Samitis**

Sr. No.	Name of Panchayat Samiti	Period of purchase	Amount
1.	Hamirpur	2011-12	0.50
<b>Total</b>			<b>0.50</b>

**Gram Panchayats**

Sr. No.	Name of GP	Name of Block	Name of District	Period of purchase	Amount
1.	Panjoh	Chamba	Chamba	2008-13	3.61
2.	Deyol	Tissa	Chamba	2008-12	2.37
3.	Junesh	Tissa	Chamba	2007-11	1.77
4.	Charodhi	Tissa	Chamba	2008-11	3.22
5.	Seikothi	Tissa	Chamba	2010-12	3.57
6.	Tissa-II	Tissa	Chamba	2009-12	5.86
7.	Bhanjrado	Tissa	Chamba	2008-12	2.11
8.	Palure	Chamba	Chamba	2008-12	8.64
9.	Saho	Chamba	Chamba	2008-12	6.87
10.	Cheel Banglow	Chamba	Chamba	2007-11	5.13
11.	Bharada	Tissa	Chamba	2008-12	1.61
12.	Kandla	Chamba	Chamba	2008-13	3.98
13.	Tissa-I	Tissa	Chamba	2008-13	1.72
14.	Chandi	Chamba	Chamba	2008-13	5.44
15.	Tikkari	Chamba	Chamba	2008-13	2.12
16.	Rajpura	Chamba	Chamba	2008-13	5.87
17.	Paluhi	Chamba	Chamba	2008-13	4.74
18.	Sach	Chamba	Chamba	2007-11	7.27
19.	Batrahan	Nurpur	Kangra	2008-13	7.15
20.	Arath Jhikli	Bhawarna	Kangra	2008-13	4.46
21.	Aghar	Nurpur	Kangra	2011-13	13.74
22.	Badoh	Gagret	Una	2008-12	0.11
23.	Chitkul	Kalpa at Reckong Peo	Kinnaur	2008-12	34.45
<b>Total</b>					<b>135.81</b>
<b>Grand Total</b>					<b>136.77</b>

Source: Audit findings.

## Appendix-8

(Refer paragraph 1.7.7; page 8)

### Blocking of funds under 13<sup>th</sup> Finance Commission

(₹ in lakh)

#### Zila Parishads

Sr. No.	ZP	District	Period	Receipt	Exp	Balance
1.	Shimla	Shimla	2010-13	928.38	888.05	40.33
2.	Reckong Peo	Kinnaur	2012-13	28.46	19.07	9.39
3.	Dharamshala	Kangra	2010-13	2296.96	1982.46	314.50
4.	Bilaspur	Bilaspur	2012-13	373.26	249.60	123.66
5.	Una	Una	2012-13	653.47	272.98	380.49
6.	Mandi	Mandi	2010-11	2350.79	2075.89	274.90
<b>Total</b>				<b>6631.32</b>	<b>5488.05</b>	<b>1143.27</b>

#### Panchayat Samitis

Sr.No.	PS	District	Period	Receipt	Exp	Balance
1.	Theog	Shimla	2010-13	98.42	59.38	39.04
2.	Baijanth	Kangra	2011-13	217.42	128.25	89.17
3.	Kandaghat	Solan	2010-13	99.49	67.63	31.86
4.	Panchrukhi	Kangra	2010-13	154.39	79.59	74.80
5.	Pachad	Sirmaur	2010-13	61.17	45.47	15.70
6.	Bhawrana	Kangra	2010-13	166.67	113.68	52.99
7.	Paonta Sahib	Sirmaur	2010-13	160.03	120.85	39.18
<b>Total</b>				<b>957.59</b>	<b>614.85</b>	<b>342.74</b>

#### Gram Panchayat

Sr.No.	Name of GPs	Block	District	Period	Receipt	Exp	Balance
1.	Cheel Banglow	Chamba	Chamba	2011-13	0.38	0.01	0.37
2.	Tikkari	Chamba	Chamba	2011-13	0.65	0.34	0.31
3.	Andheri	Sangrah	Sirmaur	2011-13	1.77	1.04	0.73
4.	Chakli	Nahan	Sirmaur	2011-13	2.02	1.85	0.17
5.	Badhag	Dharampur	Solan	2011-13	0.96	0.71	0.25
6.	Chail	Kandaghat	Solan	2010-13	0.75	0.60	0.15
7.	Bariyan	Dharampur	Solan	2012-13	1.79	1.44	0.35
8.	Bada Bhuin	Kullu	Kullu	2012-13	1.15	0.23	0.92
9.	Badahar	Kullu	Kullu	2011-13	0.68	0.57	0.11
10.	Bashouna	Kullu	Kullu	2011-13	8.56	6.24	2.32
11.	Vishladhar	Anni	Kullu	2011-13	3.76	1.92	1.84
12.	Balhaghad	Banjar	Kullu	2010-13	1.55	0.63	0.92
13.	Archandi	Naggar	Kullu	2011-13	1.65	0.92	0.73
14.	Baragran	Naggar	Kullu	2010-13	5.19	4.96	0.23
15.	Andora Uppar	Amb	Una	2010-13	2.78	1.11	1.67

*Annual Technical Inspection Report on PRIs and ULBs for the year 2013-14*

16.	Bhadauri	Haroli	Una	2011-13	0.81	0.12	0.69
17.	Bhadmana	Amb	Una	2010-13	0.59	0.02	0.57
18.	Duhal Bhatwalan	Amb	Una	2010-13	1.45	0.23	1.22
19.	Amboa	Gagret	Una	2011-13	0.57	0.13	0.44
20.	Banjai Upper	Gagret	Una	2011-13	1.24	1.10	0.14
21.	Badoh	Gagret	Una	2011-13	1.08	0.02	1.06
22.	Bhagrah	Amb	Una	2010-13	0.58	0.01	0.57
23.	Batheri	Haroli	Una	2011-13	3.74	0.39	3.35
24.	Bhadhiyara	Haroli	Una	2011-13	0.60	0.01	0.59
25.	Bhateda	Haroli	Una	2011-13	1.95	0.02	1.93
26.	Chandpur	Haroli	Una	2011-13	0.74	0.01	0.73
27.	Chetran	Haroli	Una	2011-13	1.15	0.05	1.10
28.	Diyada	Amb	Una	2011-13	2.74	1.05	1.69
29.	Gindpur Mallaun	Amb	Una	2011-13	1.83	1.55	0.28
30.	Aghar	Nurpur	Kangra	2010-13	1.15	0.10	1.05
31.	Chhattar	Nurpur	Kangra	2011-13	1.33	0.97	0.36
32.	Dhaneti Garlan	Nurpur	Kangra	2011-13	0.94	0.08	0.86
33.	Deyol	Baijnath	Kangra	2010-13	0.84	0.16	0.68
34.	Chhattar Jogian	Nurpur	Kangra	2011-13	1.45	0.48	0.97
35.	Charudi	Nurpur	Kangra	2011-13	0.76	0.12	0.64
36.	Silag	Drang	Mandi	2011-13	0.98	0.79	0.19
37.	Siyun	Drang	Mandi	2011-13	0.68	0.25	0.43
38.	Averi	Baijnath	Kangra	2011-13	1.81	1.01	0.80
39.	Bahi	Baijnath	Kangra	2010-13	1.45	0.83	0.62
40.	Chaugan	Baijnath	Kangra	2010-13	2.05	1.18	0.87
41.	Bagora	Bhawarna	Kangra	2010-13	1.20	0.89	0.31
42.	Arth Jhikli	Bhawarna	Kangra	2010-13	1.30	0.80	0.50
43.	Balh	Hamirpur	Hamirpur	2011-13	4.76	1.52	3.24
44.	Brahladi	Kot	Hamirpur	2011-13	4.73	1.96	2.77
45.	Bajrol	Bapsan	Hamirpur	2010-13	1.19	0.78	0.41
<b>Total</b>					<b>79.33</b>	<b>39.20</b>	<b>40.13</b>
<b>Grand Total</b>					<b>7668.24</b>	<b>6142.10</b>	<b>1526.14</b>

Source: Audit findings.

## Appendix-9

(Refer paragraph 1.7.7; page 9)

### Blocking of funds due to non-start of works under 13<sup>th</sup> Finance Commission

#### Zila Parishad

Sr. No.	ZP	Period	Receipt	Exp	Balance
1.	Bilaspur	2011-13	96.27	-	96.27
2.	Sirmaur	2011-13	566.10	-	566.10
<b>Total</b>			<b>662.37</b>	<b>-</b>	<b>662.37</b>

#### Panchayat Samitis

Sr. No.	PS	Distt	Period	Receipt	Exp	Balance
1.	Kandaghat	Solan	2011-12	23.13	-	23.13
2.	Panchrukhi	Kangra	2010-13	25.21	-	25.21
3.	Rait	Kangra	2011-13	4.85	-	4.85
<b>Total</b>				<b>53.19</b>	<b>-</b>	<b>53.19</b>

#### Gram Panchayats

Sr.No.	Name of GPs	Block	Distt	Period	Receipt	Exp.	Balance
1.	Palure	Chamba	Chamba	2012-13	0.86	-	0.86
2.	Banogi	Banjar	Kullu	2011-13	0.48	-	0.48
3.	Bhadarkali	Gagret	Una	2011-13	1.63	-	1.63
4.	Banjal Lower	Gagret	Una	2011-13	0.54	-	0.54
5.	Taraswan	Drang	Mandi	2010-13	1.32	-	1.32
6.	Chaubeen	Baijnath	Kangra	2010-13	1.12	-	1.12
7.	Drogan Patikot	Kot	Hamirpur	2012-13	3.25	-	3.25
<b>Total</b>					<b>9.20</b>	<b>-</b>	<b>9.20</b>
<b>Grand Total</b>					<b>724.76</b>	<b>-</b>	<b>724.76</b>

## Appendix-10

(Refer paragraph 2.1.1; page 11)

### Non-recovery of house tax

(₹ in lakh)

Sr. No.	GPs	Name of Block	Name of District	Amount Outstanding
1.	Panjoh	Chamba	Chamba	0.31
2.	Deyol	Tissa	Chamba	0.20
3.	Junesh	Tissa	Chamba	0.24
4.	Jagat	Bharmour	Chamba	0.49
5.	Siyuar	Bharmour	Chamba	0.24
6.	Charodhi	Tissa	Chamba	0.25
7.	Seikothi	Tissa	Chamba	0.07
8.	Tissa-II	Tissa	Chamba	0.16
9.	Tundah	Bharmour	Chamba	0.18
10.	Saprot	Tissa	Chamba	0.24
11.	Greema	Bharmour	Chamba	0.21
12.	Bhanjraroo	Tissa	Chamba	0.59
13.	Palure	Chamba	Chamba	0.29
14.	Paddhar Saho	Chamba	Chamba	0.12
15.	Cheel Bunglow	Chamba	Chamba	0.16
16.	Bharada	Tissa	Chamba	0.23
17.	Kuleth	Bharmour	Chamba	0.11
18.	Sah	Bharmour	Chamba	0.07
19.	Ullasna	Bharmour	Chamba	0.40
20.	Kandla	Chamba	Chamba	0.35
21.	Palohin	Chamba	Chamba	0.27
22.	Sach	Chamba	Chamba	0.40
23.	Tissa-I	Tissa	Chamba	0.17
24.	Badol	Sangrah	Sirmaur	0.15
25.	Andheri	Sangrah	Sirmaur	0.34
26.	Chakli	Nahan	Sirmaur	0.04
27.	Badog	Solan	Solan	0.12
28.	Banasar	Dharampur	Solan	0.10
29.	Badlagh	Dharampur	Solan	0.02
30.	Bada Bhuin	Kullu	Kullu	0.16
31.	Barahar	Kullu	Kullu	0.10
32.	Bashouna	Kullu	Kullu	0.24
33.	Vishladhar	Anni	Kullu	0.14
34.	Balhaghadh	Anni	Kullu	0.13
35.	Banogi	Banjar	Kullu	0.17
36.	Archandi	Naggar	Kullu	0.20
37.	Baragrah	Naggar	Kullu	0.35
38.	Baduhi	Bangana	Una	0.16

Sr. No.	GPs	Name of Block	Name of District	Amount Outstanding
39.	Bhadauri	Haroli	Una	0.06
40.	Barian	Bangana	Una	0.14
41.	Duhal Bhatwalan	Amb	Una	0.07
42.	Bhadarkali	Gagret	Una	0.10
43.	Banjal Lower	Gagret	Una	0.07
44.	Bhanjal Upper	Gagret	Una	0.10
45.	Badaoh	Gagret	Una	0.18
46.	Amboa	Gagret	Una	0.04
47.	Ambaypur	Gagret	Una	0.05
48.	Bhagrah	Amb	Una	0.02
49.	Bathri	Haroli	Una	0.03
50.	Bhadiyara	Haroli	Una	0.12
51.	Bhateda	Haroli	Una	1.37
52.	Chandpur	Haroli	Una	0.28
53.	Chetran	Haroli	Una	0.42
54.	Gindpur Mallaun	Amb	Una	0.02
55.	Diyada	Amb	Una	0.15
56.	Shong	Kalpa at Kinnaur	Kinnaur	0.06
57.	Chango	Pooh	Kinnaur	0.19
58.	Shilag	Drang at Padhar	Mandi	0.16
59.	Latran	Drang at Padhar	Mandi	0.30
60.	Masauli	Drang at Padhar	Mandi	0.57
61.	Taraswan	Drang at Padhar	Mandi	0.13
62.	Charudi	Nurpur	Kangra	0.20
63.	Dhaneti Garlan	Nurpur	Kangra	0.24
64.	Aghaar	Nurpur	Kangra	0.32
65.	Hathidhar	Nurpur	Kangra	0.23
66.	Batrahan	Nurpur	Kangra	0.73
67.	Deol	Baijnath	Kangra	0.23
68.	Chaubin	Baijnath	Kangra	1.04
69.	Averi	Baijnath	Kangra	0.24
70.	Bagora	Bawarna	Kangra	0.23
71.	Arth Jhikli	Bawarna	Kangra	0.21
72.	Chaugan	Baijnath	Kangra	0.20
73.	Tabo	Kaza	Lahaul & Spiti	0.04
74.	Nalda	Keylong	Lahaul & Spiti	0.14
75.	Shansha	Keylong	Lahaul & Spiti	0.13
76.	Brahladi	Hamirpur	Hamirpur	0.24
77.	Drogan Pati Kot	Hamirpur	Hamirpur	0.19
<b>Total</b>				<b>17.41</b>



## Appendix-11

(Refer paragraph 2.1.2; page 11)

### Outstanding rent of shops

(₹ in lakh)

Sr.No.	Name of ZPs/PSs /GPs	Period	Number of Shops	Amount
<b>Zila Parishad</b>				
1.	Mandi	2009-13	7	19.11
2.	Sirmaur at Nahan	2011-13	1	0.22
<b>Total</b>			<b>8</b>	<b>19.33</b>
<b>Panchayat Samities</b>				
1.	Chamba	2012-13	2	0.14
2.	Baijnath	2001-13	20	2.00
3.	Kangra	2009-13	11	1.02
4.	Panchrukhi	2006-13	4	4.85
5.	Kandaghat	2007-13	6	2.76
6.	Pachhad	2012-13	2	0.09
7.	Paonta Sahib	2009-13	21	1.80
8.	Nagrota Bagwan	2010-13	15	0.28
<b>Total</b>			<b>81</b>	<b>12.94</b>

### Gram Panchayats

Sr. No.	GPs	Name of Block	Name of District	Period	No of Shops	Amount
1.	Bhanjraroo	Tissa	Chamba	2005-13	6	1.35
2.	Saho	Chamba	Chamba	2008-13	5	0.20
3.	Dadahu	Nahan	Sirmour	2005-11	5	0.48
4.	Chaubeen	Baijnath	Kangra	2009-12	4	0.34
5.	Bathari	Haroli	Una	2000-14	4	0.76
<b>Total</b>					<b>24</b>	<b>3.13</b>
<b>Grand Total</b>					<b>113</b>	<b>35.40</b>

Source: Audit findings.

## Appendix-12

(Refer paragraph 2.2.1; page 12)

### Blocking of funds due to non-start of works

#### Panchayat Samities

(₹ in lakh)

r.No.	Name of PSs	Period	No. of works	Receipt	Total	Expenditure	Balance
1.	Chamba	2011-13	12	8.93	8.93	-	8.93
2.	Theog	2011-12	16	11.65	11.65	-	11.65
3.	Pachhad	2011-12	15	5.63	5.63	-	5.63
4.	Paonta Sahib	2011-13	9	11.40	11.40	-	11.40
<b>Total</b>			<b>52</b>	<b>37.61</b>	<b>37.61</b>	<b>-</b>	<b>37.61</b>

#### Gram Panchayat

Sr. No.	Name of GPs	Distt	Period	No. of Works	Receipt	Total	Exp	Balance
1.	Panjoh	Chamba	2009-13	5	5.79	5.79	-	5.79
2.	Chandi	Chamba	2010-11	1	2.61	2.61	-	2.61
3.	Tikkari	Chamba	2010-11	1	2.21	2.21	-	2.21
4.	Duhal Bhatwalan	Una	2010-11	2	1.37	1.37	-	1.37
5.	Ambaypur	Una	2010-13	2	3.00	3.00	-	3.00
6.	Amboa	Una	2009-10	4	2.64	2.64	-	2.64
7.	Bhgrah	Una	2012-13	3	3.45	3.45	-	3.45
8.	Badoh	Una	2012-13	2	1.90	1.90	-	1.90
9.	Bhanjal Upper	Una	2012-13	4	2.01	2.01	-	2.01
10.	Banjal Lower	Una	2010-12	2	2.00	2.00	-	2.00
11.	Bhadrakali	Una	2009-13	4	1.68	1.68	-	1.68
12.	Rakchham	Kinnaur	2011-12	1	7.75	7.75	-	7.75
<b>Total</b>				<b>31</b>	<b>36.41</b>	<b>36.41</b>	<b>-</b>	<b>36.41</b>
<b>Grand Total</b>				<b>83</b>	<b>74.02</b>	<b>74.02</b>	<b>-</b>	<b>74.02</b>

Source: Audit findings.

### Appendix-13

(Refer paragraph 2.4.1; page 14)

### Less expenditure on material components of works executed under MGNREGA

(₹ in lakh)

Sr. No.	Name of GPs	Name of Block	Name of District	No. of works	Amount paid	Required 40% material payment	Actual Material payment	Required 60% labour payment	Actual labour payment	Difference (col 7-8)
1.	Bashouna	Kullu	Kullu	-	86.92	34.77	30.61	52.15	56.31	4.16
2.	Vishladhar	Anni	Kullu	103	50.57	20.23	13.33	30.34	37.24	6.90
3.	Banogi	Banjar	Kullu	40	10.71	4.28	3.51	6.43	7.20	0.77
4.	Balagarh	Banjar	Kullu	174	104.57	41.83	29.33	62.74	75.24	12.50
5.	Archandi	Naggar	Kullu	12	24.54	9.82	7.28	14.72	17.26	2.54
6.	Badol	Sangrah	Sirmaur	23	17.29	6.92	4.77	10.37	12.52	2.15
7.	Bhadiyara	Haroli	Una	-	13.29	5.32	3.82	7.97	9.47	1.50
8.	Bada Bhuin	Kullu	Kullu	-	45.46	18.18	15.23	27.28	30.23	2.95
<b>Total</b>				<b>352</b>	<b>353.35</b>	<b>141.35</b>	<b>107.88</b>	<b>212</b>	<b>245.47</b>	<b>33.47</b>

Source-Audit findings

## Appendix-14

(Refer paragraph 2.4.2; page 14)

### Delay in releasing payments under MGNREGA scheme

(₹ in lakh)

Sr. No.	Name of GPs	Name of Block	Name of District	Period	Delay in days	Amount
1.	Jagat	Bharmour	Chamba	2009-13	57-293	6.23
2.	Saproat	Tissa	Chamba	2012-13	51-109	10.00
3.	Ullansa	Bharmour	Chamba	2011-13	31-122	4.10
4.	Badol	Sangrah	Sirmour	2012-13	05-127	NA
5.	Andheri	Sangrah	Sirmour	2012-13	12-137	5.38
6.	Latran	Drang at Padhar	Mandi	2008-10	15-34	2.24
7.	Taraswan	Drang at Padhar	Mandi	2008-10	7-150	7.20
<b>Total</b>						<b>35.15</b>

Source: Audit findings.

## Appendix-15

(Refer paragraph 3.3.2; page 17)

## Sanctioned strength and persons-in-position of ULBs

## Municipal Corporation

Name of category	Sanctioned strength	Posts filled in				Excess (+)	Shortfall (-)
		On Regular basis	On Daily wages	On Contract basis	Total		
Draftsman	3	2	0	0	2	-	-1
Jr. Draftsman	1	0	0	1	1	-	-
Driver	19	26	0	7	33	+14	-
De-rating Mate/ Other Mate	9	28	0	0	28	+19	-
Mazdoor	229	384	33	6	423	+194	-
Rate Beldar	4	6	0	0	6	+2	-
<b>Total</b>	<b>265</b>	<b>446</b>	<b>33</b>	<b>14</b>	<b>493</b>	<b>+229</b>	<b>-1</b>
<b>Remaining categories</b>	<b>1105</b>	<b>1163</b>	<b>70</b>	<b>53</b>	<b>1286</b>	<b>+181</b>	<b>-</b>

## Municipal Councils

Name of Municipal Councils	Sanctioned strength	Posts filled in on regular basis	On Daily wages	On Contract basis	Excess (+)/	Shortfall (-)
Baddi	18	7	0	2	-	-9
Bilaspur	70	47	1	1	-	-21
Chamba	100	72	14	0	-	-14
Dalhousie	87	64	1	0	-	-22
Dharamsala	161	138	5	3	-	-15
Ghumarwin	25	21	0	1	-	-3
Hamirpur	76	49	3	3	-	-21
Kangra	56	32	3	0	-	-21
Kullu	157	97	15	0	-	-45
Manali	62	57	0	0	-	-5
Mandi	164	93	1	2	-	-68
Nagrota	41	29	3	1	-	-8
Nahan	184	121	27	4	-	-32
Nainadevi	16	6	0	2	-	-8
Nalagarh	61	37	0	1	-	-23
Nurpur	39	23	0	2	-	-14
Palampur	43	28	0	1	-	-14
Paonta Sahib	53	38	2	1	-	-12
Parwanoo	42	36	0	0	-	-6

Name of Municipal Councils	Sanctioned strength	Posts filled in on regular basis	On Daily wages	On Contract basis	Excess (+)/	Shortfall (-)
Rampur	50	33	2	0	-	-15
Rohru	22	15	1	1	-	-5
Solan	219	186	9	1	-	-23
Sundernagar	96	70	1	2	-	-23
Theog	24	11	2	1	-	-10
Una	68	42	1	0	-	-25
<b>Total</b>	<b>1934</b>	<b>1352</b>	<b>91</b>	<b>29</b>	<b>-</b>	<b>-462</b>

### Nagar Panchayats

Name	Sanctioned strength	Posts filled in on regular basis	On Daily wages	On Contract basis	Excess (+)/	Shortfall (-)
Arki	25	13	1	2	-	-9
Banjar	20	6	0	0	-	-14
Bhota	19	5	0	0	-	-14
Bhuntar	23	16	0	0	-	-7
Chopal	18	3	0	0	-	-15
Chuwari	18	9	10	1	+2	-
Daulatpur	18	8	0	2	-	-8
Dehra	37	20	0	0	-	-17
Gagret	20	6	0	0	-	-14
Jawalamukhi	58	39	1	0	-	-18
Jogindernagar	31	24	13	2	+8	-
Jubbal	18	4	1	3	-	-10
Kotkhai	18	4	1	0	-	-13
Mehatpur	19	17	4	1	+3	-
Nadaun	32	25	2	0	-	-5
Narkanda	18	7	0	0	-	-11
Rajgarh	18	5	0	0	-	-13
Rewalsar	20	8	7	0	-	-5
Santokhgarh	20	13	0	0	-	-7
Sarkaghat	19	15	0	1	-	-3
Sujanpur	30	24	1	2	-	-3
Sunni	18	7	0	0	-	-11
Talai	18	12	3	0	-	-3
Karsog	5	0	0	0	-	-5
<b>Total</b>	<b>540</b>	<b>290</b>	<b>44</b>	<b>14</b>	<b>+13</b>	<b>-205</b>
<b>Grand Total</b>	<b>3844</b>	<b>3251</b>	<b>238</b>	<b>110</b>	<b>+423</b>	<b>-668</b>

## Appendix-16

(Refer paragraph 3.6.2; page 20)

Statement of budget estimates and actual expenditure of ULBs for the year  
2010-11

(₹ in lakh)

Sr. No.	Name of ULBs	Budget Estimate	Actual Expenditure	Saving(-) Excess (+)
<b>Municipal Corporation</b>				
1.	Shimla	8445.26	5366.87	-3078.39
<b>Municipal Councils</b>				
1.	Solan	1209.32	942.83	-266.49
2.	Nurpur	215.92	161.04	-54.88
3.	Rampur	537.73	315.84	-221.89
4.	Hamirpur	362.20	333.30	-28.90
5.	Kullu	414.93	343.35	-71.58
6.	Nalagarh	535.47	265.14	-270.33
7.	Chamba	441.91	250.41	-191.50
8.	Paonta Sahib	666.30	236.99	-429.31
9.	Kangra	364.93	206.45	-158.48
<b>Total</b>		<b>4748.71</b>	<b>3055.35</b>	<b>-1693.36</b>
<b>Nagar Panchayat</b>				
1.	Rajgarh	56.96	32.44	-24.52
2.	Kotkhai	201.82	118.81	-83.01
3.	Mehatpur	380.24	227.15	-153.09
4.	Dehra	124.39	86.92	-37.47
5.	Banjar	28.11	26.75	-1.36
6.	Joginder Nagar	243.04	83.47	-159.57
7.	Daulatpur Chowk	229.55	162.73	-66.82

<b>Total</b>	<b>1264.11</b>	<b>738.27</b>	<b>-525.84</b>
<b>Grand total</b>	<b>14458.08</b>	<b>9160.49</b>	<b>-5297.59</b>

Source: Concerned ULBs.

**Statement of budget estimates and actual expenditure of ULBs  
for the year 2011-12**

(₹ in lakh)

<b>Sr. No.</b>	<b>Name of ULBs</b>	<b>Budget Estimate</b>	<b>Actual Expenditure</b>	<b>Saving(-) Excess (+)</b>
<b>Municipal Corporation</b>				
1.	Shimla	<b>8499.43</b>	<b>4448.91</b>	<b>-4050.52</b>
<b>Municipal Councils</b>				
1.	Solan	1281.22	1001.93	-279.29
2.	Nurpur	214.67	157.52	-57.15
3.	Rampur	478.54	279.09	-199.45
4.	Hamirpur	586.80	432.50	-154.30
5.	Kullu	536.22	443.13	-93.09
6.	Nalagarh	597.34	264.15	-333.19
7.	Chamba	670.78	357.92	-312.86
8.	Paonta Sahib	962.94	327.39	-635.55
9.	Kangra	446.38	258.50	-187.88
<b>Total</b>		<b>5774.89</b>	<b>3522.13</b>	<b>-2252.76</b>
<b>Nagar Panchayat</b>				
1.	Rajgarh	44.18	27.05	-17.13
2.	Kotkhair	111.32	54.46	-56.86
3.	Mehatpur	338.96	212.38	-126.58
4.	Dehra	149.63	109.61	-40.02
5.	Banjar	31.02	29.42	-1.60
6.	Joginder Nagar	241.92	80.35	-161.57
7.	Daulatpur Chowk	195.69	116.84	-78.85



<b>Total</b>	<b>1112.72</b>	<b>630.11</b>	<b>-482.61</b>
<b>Grand Total</b>	<b>15387.04</b>	<b>8601.15</b>	<b>-6785.89</b>

Source: Concerned ULBs.

### Statement of budget estimates and actual expenditure of ULBs for the year 2012-13

(₹ in lakh)

<b>Sr. No.</b>	<b>Name of ULBs</b>	<b>Budget Estimate</b>	<b>Actual Expenditure</b>	<b>Saving(-) Excess (+)</b>
<b>Municipal Corporation</b>				
1.	Shimla	<b>9739.10</b>	<b>4726.20</b>	<b>-5012.90</b>
<b>Municipal Councils</b>				
1.	Solan	1726.05	1282.77	-443.28
2.	Nurpur	226.53	146.44	-80.09
3.	Rampur	503.86	411.43	-92.43
4.	Hamirpur	715.14	599.70	-115.44
5.	Kullu	669.41	425.50	-243.91
6.	Nalagarh	639.44	361.11	-278.33
7.	Chamba	851.07	398.31	-452.76
8.	Paonta Sahib	1248.43	336.55	-911.88
9.	Kangra	594.05	190.83	-403.22
<b>Total</b>		<b>7173.98</b>	<b>4152.64</b>	<b>-3021.34</b>
<b>Nagar Panchayat</b>				
1.	Rajgarh	77.86	50.79	-27.07
2.	Kotkhair	95.54	36.30	-59.24
3.	Mehatpur	288.09	211.22	-76.87
4.	Dehra	179.78	122.92	-56.86
5.	Banjar	34.24	32.37	-1.87
6.	Joginder Nagar	256.36	95.45	-160.91
7.	Daulatpur Chowk	188.28	98.75	-89.53
<b>Total</b>		<b>1120.15</b>	<b>647.80</b>	<b>-472.35</b>
<b>Grand Total</b>		<b>18033.23</b>	<b>9526.64</b>	<b>-8506.59</b>

Source-Concerned ULBs.

### Appendix-17

(Refer paragraph 3.6.5; page 21)

#### Statement showing cases where cash book shows less balance than bank pass book

(₹ in lakh)

Sr.No.	Name of MC/NP	Balance as per Cash Book on 31 March 2013	Balances as per Pass Book on 31 March 2013	Difference
<b>Municipal Council</b>				
1.	Solan	443.27	446.88	3.61
<b>Total</b>		<b>443.27</b>	<b>446.88</b>	<b>3.61</b>
<b>Nagar Panchayat</b>				
1.	Joginder Nagar	27.88	43.71	15.83
2.	Banjar	21.51	21.76	0.25
<b>Total</b>		<b>49.39</b>	<b>65.47</b>	<b>16.08</b>

#### Summary of Difference between cash book and pass books

(₹ in lakh)

Sr. No.	Unit	Number of Units	Difference between Cash Book and Pass Book
1.	Municipal Council	1	3.61
2.	Nagar Panchayat	2	16.08
<b>Grand Total</b>		<b>3</b>	<b>19.69</b>

## Appendix-18

(Refer paragraph 4.1.2; page 23)

### Outstanding house tax

(₹ in lakh)

Sr. No.	Name of MCs	O.B. as of April 2012	Demand during 2012-13	Total Demand	Rebate	Collection during 2012-13	Outstanding amount as of March 2013
1.	Kullu	22.32	12.91	35.23	0.86	17.68	16.69
2.	Nurpur	25.46	5.84	31.30	Nil	10.60	20.70
3.	Rampur	63.25	42.30	105.55	0.31	46.24	59.00
<b>Total</b>		<b>111.03</b>	<b>61.05</b>	<b>172.08</b>	<b>1.17</b>	<b>74.52</b>	<b>96.39</b>
<b>Nagar Panchayats</b>							
1.	Banjar	3.63	3.89	7.52	Nil	Nil	7.52
2.	Mehatpur	192.95	23.26	216.21	0.70	4.99	210.52
3.	Joginder Nagar	51.05	4.47	55.52	Nil	1.82	53.70
<b>Total</b>		<b>247.63</b>	<b>31.62</b>	<b>279.25</b>	<b>0.70</b>	<b>6.81</b>	<b>271.74</b>
<b>Grand Total</b>		<b>358.66</b>	<b>92.67</b>	<b>451.33</b>	<b>1.87</b>	<b>81.33</b>	<b>368.13</b>

Source: Audit findings.

### Appendix-19

(Refer paragraph 4.1.3; page 24)

#### Non-realisation of rent from shops/ stalls

(₹ in lakh)

Sr. No.	Name of MCs	Opening balance as on 1 April 2012	Demand during 2012-13	Total	Collection	Outstanding amount (as on 31 March 2013)
<b>Municipal Councils</b>						
1.	Kullu	18.72	39.62	58.34	40.09	18.25
2.	Paonta Sahib	26.50	19.02	45.52	13.72	31.80
3.	Rampur	14.94	7.40	22.34	7.65	14.69
4.	Solan	59.34	48.15	107.49	22.37	85.12
5.	Nurpur	13.74	6.80	20.54	7.13	13.41
<b>Total</b>		<b>133.24</b>	<b>120.99</b>	<b>254.23</b>	<b>90.96</b>	<b>163.27</b>
<b>Nagar Panchayats</b>						
1.	Rajgarh	NA	2.41	2.41	Nil	2.41
2.	Daulatpur Chowk	0.58	12.02	12.60	11.84	0.76
3.	Kotkhai	25.89	10.07	35.96	5.51	30.45
4.	Banjar	2.10	1.97	4.07	1.41	2.66
5.	Mehatpur	6.33	1.87	8.20	1.87	6.33
6.	Joginder Nagar	2.69	2.19	4.88	1.83	3.05
<b>Total</b>		<b>37.59</b>	<b>30.53</b>	<b>68.12</b>	<b>22.46</b>	<b>45.66</b>
<b>Grand Total</b>		<b>170.83</b>	<b>151.52</b>	<b>322.35</b>	<b>113.42</b>	<b>208.93</b>



31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए पंचायती राज संस्थाओं

तथा शहरी स्थानीय निकायों

पर

वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्यालय प्रधान महालेखाकार ( लेखापरीक्षा )

हिमाचल प्रदेश, शिमला

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  
**2014**  
**[www.cag.gov.in](http://www.cag.gov.in)**

**[www.aghp.cag.gov.in](http://www.aghp.cag.gov.in)**



31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए पंचायती राज संस्थाओं

तथा शहरी स्थानीय निकायों

पर

वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन



हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्यालय प्रधान महालेखाकार ( लेखापरीक्षा )

हिमाचल प्रदेश, शिमला



अनुक्रमणिका		
विवरण	परिच्छेद	पृष्ठ संख्या
प्रस्तावना		iv
विहंगावलोकन		v-vii
<b>भाग-क पंचायती राज संस्थाएँ</b>		
<b>अध्याय -1</b>		
<b>पंचायती राज संस्थाओं की रूपरेखा</b>		
पंचायती राज संस्थाओं की पृष्ठभूमि	1.1	1
नियंत्रक महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा अधिदेश	1.2	1
पंचायती राज संस्थाओं का संगठनात्मक ढांचा	1.3	1
वित्तीय रूपरेखा	1.4	4
पंचायती राज संस्थाओं में लेखा प्रणाली	1.5	5
लेखापरीक्षा व्याप्ति	1.6	6
पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग और उत्तरदायित्व की रूपरेखा (आंतरिक नियंत्रण प्रणाली)	1.7	6
<b>अध्याय -2</b>		
<b>पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा का परिणाम</b>		
राजस्व	2.1	11
निधियों का अवरोधन	2.2	13
संदेहपूर्ण तैनातियाँ	2.3	14
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम का कार्यान्वयन	2.4	14
परिसम्पत्तियों का उपयोग न किया जाना	2.5	16
<b>भाग-ख शहरी स्थानीय निकाय</b>		
<b>अध्याय-3</b>		
<b>शहरी स्थानीय निकायों की रूपरेखा</b>		
शहरी स्थानीय निकायों की पृष्ठभूमि	3.1	17
लेखापरीक्षा अधिदेश	3.2	17
शहरी स्थानीय निकायों का संगठनात्मक ढांचा	3.3	17
वित्तीय रूपरेखा	3.4	19
लेखापरीक्षा व्याप्ति	3.5	21
शहरी स्थानीय निकायों का वित्तीय विवरण एवं लेखांकन ढांचा (आंतरिक नियंत्रण प्रणाली)	3.6	21

<b>अध्याय-4</b> <b>शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा के परिणाम</b>		
राजस्व	4.1	25
निधियों का अवरोधन	4.2	28
निष्फल व्यय	4.3	29
अविवेकपूर्ण व्यय	4.4	30
परिसम्पत्तियों का प्रयोग न किया जाना	4.5	30
निधियों का उपयोग न होना	4.6	30

परिशिष्ट		
विवरण	परिशिष्ट संख्या	पृष्ठ संख्या
पंचायती राज संस्थाओं के संस्वीकृत पद एवं पदासीन कर्मी	1	31
लेखापरीक्षा व्याप्ति 2013-14 के दौरान लेखापरीक्षित पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों का विवरण	2	32
बजट आकलनों को तैयार न करना	3	37
पंचायत समितियां एवं ग्राम पंचायत जिन्होंने अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया था, की सूची	4	38
अपने संसाधनों तथा सहायता अनुदानों से आय के लेखा का अनुचित रख-रखाव	5	40
रोकड़ बहियों के साथ बैंक पास बुकों के मध्य के अंतर का मिलान न होना	6	41
सामग्री का लेखांकन न करना	7	44
13वें वित्त आयोग के अंतर्गत निधियों का अवरोधन	8	44
13वें वित्त आयोग के अंतर्गत निर्माण कार्यों के आरंभ न होने के कारण निधियों का अवरोधन	9	47
गृह कर की वसूली न होना	10	48
दुकानों का बकाया किराया	11	50
निर्माण कार्यों को आरम्भ न करने के कारण निधियों का अवरोधन	12	51
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत निष्पादित निर्माण कार्यों के सामग्री घटक पर कम व्यय	13	52
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम स्कीम के अंतर्गत भुगतान जारी करने में विलम्ब	14	53
शहरी स्थानीय निकायों में संस्वीकृत पद तथा पदासीन कर्मी	15	54
शहरी स्थानीय निकायों के बजट आकलनों तथा वास्तविक व्यय की विवरणी	16	56
उन मामलों की विवरणी जिनमें रोकड़ बही बैंक पास बुक से कम शेष दर्शाती है	17	59
बकाया गृह कर	18	60
दुकानों/स्टालों से किराये की वसूली न किया जाना	19	61

1. वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक को नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के डी०पी०सी० एक्ट, 1971 की धारा 20(1) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सुपुर्द पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा के तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता के नियमों एवं शर्तों के अनुरूप राज्य सरकार को हिमाचल प्रदेश विधान सभा के समक्ष रखे जाने के लिए तैयार किया गया है।
2. प्रतिवेदन में चार अध्याय हैं। अध्याय-1 तथा अध्याय III में पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों का विहंगावलोकन तथा वित्तीय प्रतिवेदन पर टिप्पणियां हैं। अध्याय II तथा अध्याय IV में क्रमशः पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों की लेनदेन लेखापरीक्षाओं से आने वाले परिणाम हैं।
3. इस प्रतिवेदन में वर्णित मामले वर्ष 2013-14 के दौरान संचालित 148 पंचायती राज संस्थाओं (10: जिला परिषदें, 20 पंचायत समितियां तथा 118 ग्राम पंचायतें) तथा 17 शहरी स्थानीय निकायों (एक नगर निगम, नौ नगर परिषद् तथा सात नगर पंचायत) के लेखा की लेखापरीक्षा के मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्षों का समेकन है।

## विहंगावलोकन

यह प्रतिवेदन दो भागों में है तथा इसमें चार अध्याय हैं। अध्याय 1 तथा 2 पंचायती राज संस्थाओं से तथा अध्याय 3 तथा 4 शहरी स्थानीय निकायों से सम्बंधित हैं। इस विहंगावलोकन में महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों का सारांश प्रस्तुत किया गया है:

### पंचायती राज संस्थाओं की रूप रेखा

73वें संवैधानिक संशोधन से पंचायती राज संस्थाओं को एक संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। इसकी निरंतरता में संविधान की 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध सभी 29 कार्यकलाप पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित किए गए थे। तथापि पंचायती राज संस्थाओं को निधियां एवं पदाधिकारी हस्तांतरित किए जाने शेष हैं।

राज्य में 12 जिला परिषदें, 77 पंचायत समितियां तथा 3,243 ग्राम पंचायतें हैं। 2013-14 के दौरान 10 जिला परिषदों, 20 पंचायत समितियों तथा 118 ग्राम पंचायतों के नमूना जांचित अभिलेखों ने वित्तीय प्रतिवेदन मामले जैसे (क) बजट आकलनों का न बनाना, (ख) स्टॉक पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका, कार्य पंजिका, मस्टर रोल पंजिका आदि पंजिकाओं को न बनाना, (ग) स्वयं के संसाधनों तथा सहायता अनुदान/ऋण के लेखा का उचित ढंग से तैयार न करना, (घ) रोकड़ बहियों तथा बैंक पास बुकों के मध्य मिलान न होना, (ङ) प्राप्त सामग्रियों को लेखाबद्ध न करना, (च) तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत उपलब्ध करवाई गई निधियों का अवरोधन आदि।

### (अध्याय-1)

### पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा के परिणाम

2012-13 के दौरान सत्तर ग्राम पंचायतों ने ` 17.14 लाख का गृह कर वसूल नहीं किया। 2004-14 की अवधि में पंद्रह पंचायती राज संस्थाएं दुकानों के किराया प्रभारों की ` 35.40 लाख की राशि वसूलने में असफल रहीं। 16 पंचायती राज संस्थाओं में कार्य प्रारम्भ न होने के कारण ` 74.02 लाख की राशि की निधियां अव्ययित रही। जिला परिषद, सिरमौर ने पिछड़ा क्षेत्र वृहत निधि के अंतर्गत कार्य शुरू नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप ` 2.46 करोड़ का अवरोधन हुआ। छ: पंचायत समितियों के पी0एल0ए0 में लघु सिंचाई स्कीमों हेतु अलग से रखी गई ` 12.90 लाख की निधियां अव्ययित रही। छ: ग्राम पंचायतों द्वारा एक ही अवधि में अलग-अलग कार्यों पर उन्हीं श्रमिकों को तैनात किया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण

रोजगार गारंटी योजना मजदूरी सामग्री अनुपात को न बनाये रखने तथा श्रम भुगतान जारी करने में हुए विलंब से प्रभावित हुई। जिला परिषद् कांगड़ा द्वारा ` 62.00 लाख की लागत पर निर्मित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का उपयोग नहीं किया गया।

## (अध्याय-2)

### शहरी स्थानीय निकायों की रूपरेखा

राज्य में एक नगर निगम, 25 नगर परिषदें तथा 24 नगर पंचायतें हैं। 74वें संवैधानिक संशोधन ने शहरी स्थानीय निकायों के लिए निधियों तथा कर्मचारियों सहित संविधान की 12वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 18 कार्यों के हस्तांतरण तथा शक्ति के विकेन्द्रीकरण का मार्ग प्रशस्त किया। यद्यपि सभी 18 कार्य शहरी स्थानीय निकायों को हस्तांतरित हैं, तथापि, शहरी स्थानीय निकायों को निधियां एवं कर्मचारी हस्तांतरित किये जाने शेष हैं। राज्य सरकार द्वारा किन्हीं अधिनियमों/नियमों में स्वतंत्र अभिकरण द्वारा लेखा के सत्यापन हेतु प्रावधान नहीं किया गया है। 2013-14 के दौरान संचालित की गई एक नगर निगम, नौ नगर परिषदों तथा सात नगर पंचायतों के अभिलेखों की नमूना जांच ने वित्तीय प्रतिवेदन के मामलों जैसे (क) लेखा का गैर-सत्यापन (ख) बजट आकलनों को वास्तविक रूप से तैयार न करना (ग) नकदी के नकद बही के माध्यम से गैर-लेखाकरण जैसी वित्तीय अनियमितता (घ) नकद बहियों तथा बैंक पासबुकों के मध्य आंकड़ों का मिलान न होना आदि को दर्शाया है।

## (अध्याय-3)

### शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा के परिणाम

नगर पंचायत, बंजार तथा नगर परिषद् रामपुर द्वारा राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार गृह कर की दरों को संशोधित न किये जाने के परिणामस्वरूप ` 78.06 लाख के राजस्व की हानि हुई। इसके अतिरिक्त, अप्रभावी अनुश्रवण के कारण छः शहरी स्थानीय निकायों में गृह कर के रूप में ` 3.68 करोड़ का राजस्व शेष रहा। ग्यारह शहरी स्थानीय निकाय सम्बंधित आवंटितियों से ` 2.25 करोड़ की राशि का दुकानों/भवन/बूथों का किराया वसूलने में असफल रहे। नौ शहरी स्थानीय निकायों द्वारा मोबाइल टारों के प्रतिष्ठापन/नवीकरण प्रभारों को वसूलने में विफल रहने के परिणामस्वरूप ` 8.90 लाख के राजस्व की हानि हुई। नगर परिषद् कुल्लू ने ` 60.53 लाख की राशि की दशहरा आमदनी का नगरपालिका अंशदान वसूल नहीं किया। नगर परिषद् सोलन की एकीकृत आवासीय एवं झुग्गी विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य

निष्पादन में विफलता के फलस्वरूप ` 79.85 लाख का अवरोधन हुआ। नगर परिषद् चम्बा द्वारा सफाई एवं कूड़ा संग्रहण कार्य अन्यायोचित रूप से बाह्य स्रोत से करवाया जिसके फलस्वरूप ` 41.71 लाख की हानि हुई। नगर परिषद् कुल्लू द्वारा रैन बसेरा भवन का वाणिज्यिक उपयोग कर इसका दुरुपयोग किया तथा कार्यों के गैर निष्पादन के कारण ` 1.24 करोड़ की राशि की निधियां भी उपयोग में नहीं लाई थी।

**(अध्याय- 4)**

## अध्याय 1

### पंचायती राज संस्थाओं की रूपरेखा

#### 1.1 पंचायती राज संस्थाओं की पृष्ठभूमि

73वें संवैधानिक संशोधन ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया तथा वित्त आयोगों के माध्यम से निधियों के नियमित प्रवाह तथा एक समान ढांचे, नियमित चुनावों की पद्धति स्थापित की। इसके अनुवर्ती राज्यों से इन निकायों को ऐसी शक्तियां, कार्य एवं उत्तरदायित्व दिए जाने की अपेक्षा थी जो उन्हें स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने के लिए सक्षम करें। विशेषकर पंचायती राज संस्थाओं से संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में श्रेणीबद्ध कार्यों सहित आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं के निर्माण और स्कीमों के कार्यान्वयन की अपेक्षा की गई। संविधान की 11वीं अनुसूची में श्रेणीबद्ध समस्त 29 कार्य पंचायती राज संस्थाओं को सौंपे गए थे। तथापि विभागों द्वारा निधियां सौंपी नहीं जा रही थी। निदेशक, पंचायती राज ने बताया (अगस्त 2014) कि निर्दिष्ट विभागों को कार्य सौंपे गए हैं लेकिन कई बार अनुरोध के बावजूद पंचायती राज संस्थाओं को उपयुक्त निधियां तथा कर्मचारी उपलब्ध नहीं करवाए गए हैं।

राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 बनाया और इन संस्थाओं को सरकार के तृतीय स्तर के रूप में कार्य करने के लिए सक्षम बनाने हेतु हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियमावली, 1997 एवं हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखा, लेखापरीक्षा, निर्माण, कराधान और एवं भत्ते) नियमावली, 2002 तैयार किये। राज्य सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक एवं पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 2009 में निर्धारित की गई लेखा संरचना अपनाई गई है और पंचायती राज संस्थाओं द्वारा तदनुसार वार्षिक लेखा (प्राप्तियां एवं व्यय) बनाये जा रहे हैं।


#### 1.2 नियंत्रक महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा अधिदेश

हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा निदेशक, पंचायती राज विभाग के लेखापरीक्षा स्कंध द्वारा संचालित की जा रही है। राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक को नियंत्रक महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं शर्तें) अधिनियम, 1971 के खंड 20(1) के अंतर्गत तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता उपलब्ध करवाने के उत्तरदायित्व के साथ सौंपी (मार्च 2011)। लेखापरीक्षा के परिणाम वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन, जो कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 के खंड 118 के अनुसार राज्य विधानसभा के सम्मुख प्रस्तुत किया जाना होता है, में सम्मिलित है।

#### 1.3 पंचायती राज संस्थाओं का संगठनात्मक ढांचा

राज्य में 12 जिला परिषदें, 77 पंचायत समितियां और 3243 ग्राम पंचायतें हैं। नीचे दिया गया चार्ट राज्य सरकार, पंचायती राज विभाग और जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं के संगठनात्मक ढांचे को दिखाता है:





जिला परिषदों एवं पंचायत समितियों के अध्यक्ष तथा ग्राम पंचायतों के प्रधान निर्वाचित सदस्य होते हैं और क्रमशः जिला परिषदों, पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों की अध्यक्षता करते हैं। जिला स्तरीय अधिकारियों से विकासात्मक गतिविधियों पर चर्चा करने के लिए जिला परिषदों की मासिक बैठकों में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाती है।

### 1.3.1 स्थायी समितियां

पंचायती राज संस्थाओं में विभिन्न स्थायी समितियां और उनकी भूमिका एवं उत्तरदायित्व तालिका 1 में दिये गये हैं।

**तालिका 1: स्थायी समितियों की भूमिका एवं उत्तरदायित्व**

पंचायती राज संस्थाओं का स्तर	स्थायी समिति का अध्यक्ष	स्थायी समितियों का नाम	स्थायी समिति की भूमिका एवं उत्तरदायित्व
जिला परिषद्	अध्यक्ष	सामान्य स्थायी समिति	स्थापना मामलों, संचार, भवनों आदि से सम्बंधित कार्यों का निष्पादन।
		वित्त, लेखापरीक्षा एवं योजना समिति	जिला परिषद् के वित्त से सम्बंधित कार्यों का निष्पादन।
		सामाजिक न्याय समिति	कार्यों जैसे अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/पिछड़े वर्गों की शिक्षा, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं अन्य हितों, का निष्पादन।
		शिक्षा एवं स्वास्थ्य समिति	राष्ट्रीय नीति और राष्ट्रीय एवं राज्य योजनाओं के ढांचे के अंतर्गत जिले में शिक्षा योजना का उत्तरदायित्व।
		कृषि और उद्योग समिति	कृषि उत्पादन, पशुपालन, सहकारिता, ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों आदि से सम्बंधित कार्यों का निष्पादन।
पंचायत समिति	अध्यक्ष	सामान्य स्थायी समिति	स्थापना मामलों और संचार आदि से सम्बंधित कार्यों का निष्पादन।
		वित्त, लेखापरीक्षा और योजना समिति	पंचायत समिति के वित्त से सम्बंधित कार्यों का निष्पादन।
		सामाजिक न्याय समिति	कार्यों जैसे अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/पिछड़े वर्गों की शिक्षा, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं अन्य हितों, का निष्पादन।
ग्राम पंचायत	प्रधान	कार्य समिति	ग्राम पंचायतों के समस्त विकासात्मक कार्य इस समिति द्वारा निष्पादित किए जाते हैं।
		बजट समिति	ग्राम पंचायत का वार्षिक बजट तैयार करना और इसे सचिव को प्रस्तुत करना।

### 1.3.2 स्कीमों के कार्यान्वयन हेतु संस्थानात्मक प्रबंध

पंचायती राज संस्थाओं में तकनीकी और गैर-तकनीकी स्टाफ है। विभिन्न संवर्गों के 4873 संस्वीकृत पदों में से मार्च 2014 तक 264 पद रिक्त थे (परिशिष्ट-1)।

पंचायत सचिवों/सहायकों को पंचायती राज संस्थाओं में 47 दिनों का आधारभूत प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा उनकी दक्षता के प्रोन्नयन के लिए कम्प्यूटर प्रशिक्षण सहित पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

## 1.4 वित्तीय रूपरेखा

### 1.4.1 पंचायती राज संस्थाओं को निधि प्रवाह

**निधि प्रवाह:** पंचायती राज संस्थाओं में निधियों का स्रोत और अभिरक्षण

अनुरक्षण/विकास उद्देश्यों और स्कीमों के कार्यान्वयन हेतु पंचायती राज संस्थाओं के स्रोत राज्य वित्त आयोग अनुदान, केन्द्रीय वित्त आयोग अनुदान, राज्य सरकार अनुदान और केन्द्र सरकार अनुदान हैं। पंचायती राज संस्थाओं को विभिन्न संसाधनों के माध्यम से आवंटित निधियां बैंकों में रखी जाती हैं।

भारत सरकार और राज्य सरकार से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं द्वारा केन्द्रीय एवं राज्य प्रायोजित स्कीमों के निष्पादन के लिए केन्द्रीय व राज्य अनुदान प्रयुक्त किये जाते हैं, पंचायती राज संस्थाओं की अपनी प्राप्तियां पंचायती राज संस्थाओं द्वारा तैयार की गई स्कीमों/कार्यों के निष्पादन हेतु प्रयुक्त की जाती हैं। महत्वपूर्ण स्कीमों के लिए निधि प्रवाह प्रबंध तालिका 2 में दिया गया है:

**तालिका 2: प्रमुख केन्द्रीय प्रायोजित महत्वपूर्ण स्कीमों में निधि प्रवाह प्रबंध**

क्रमांक	स्कीम	निधि प्रवाह प्रबंध
1.	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा)	भारत और राज्य सरकार मनरेगा निधियों का अपना-अपना अंश राज्य रोजगार गारंटी निधि नामक बैंक खाते में हस्तांतरित करवाते हैं जो राज्य लेखा से बाहर होता है। उपायुक्त, राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी राज्य रोजगार गारंटी निधि का अभिरक्षक होता है और जिला परिषदों, पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों को निधियों के आगे हस्तांतरण हेतु प्राधिकृत है।
2.	इंदिरा आवास योजना	इंदिरा आवास योजना एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है जोकि भारत सरकार और राज्य सरकार के मध्य 75:25 के अनुपात में लागत विभाजन के आधार पर वित्तपोषित है। निधियां ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जिला ग्रामीण विकास अधिकरणों को हस्तांतरित की जाती हैं जो इन निधियों के अभिरक्षक हैं। जिला ग्रामीण विकास अधिकरण निधियां खंड विकास अधिकारियों को जारी करते हैं और खंड विकास अधिकारी ग्राम पंचायतों को आगे ग्राम पंचायतें निधियों को सीधे लाभार्थियों के खातों में दो किस्तों में हस्तांतरित करती हैं। दूसरी किस्त लिंटेल् स्तर तक निर्माण होने के बाद जारी की जाती है।
3.	एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम	एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है जो भारत सरकार और राज्य सरकार के मध्य 5500:500 प्रति हेक्टेयर के अनुपात में लागत विभाजन के आधार पर वित्तपोषित है। निधियां जिला ग्रामीण विकास अधिकरण द्वारा जलागम समिति को जारी की जाती हैं, जो बैंक में खाता खोलती है। इस स्कीम के अंतर्गत निधि का प्रवाह भारत सरकार, भू-संसाधन विभाग से जिला ग्रामीण विकास अधिकरणों, जिला ग्रामीण विकास अधिकरणों से परियोजना कार्यान्वयन अधिकरणों और परियोजना कार्यान्वयन अधिकरणों से जलागम समिति को होता है जो निष्पादन अधिकरण हैं।
4.	एकीकृत जलागम प्रबंधन कार्यक्रम	भारत सरकार का नोडल मंत्रालय/विभाग उन स्कीमों को छोड़कर जहां राज्य जलागम तथा अन्य स्कीमों के मध्य निधियों के आवंटन हेतु स्वतंत्र है, राज्यों के मध्य परियोजनाओं हेतु बजटीय परियोजना का आवंटन निम्नवत् मापदंड और राज्य के पूर्व निष्पादन (प्रत्यक्ष एवं वित्तीय) अर्थात् अव्ययित शेष, बकाया उपयोक्ता प्रमाणपत्र, कुल परियोजनाओं में से पूर्ण की गई परियोजनाओं की प्रतिशतता आदि, को ध्यान में रखकर करेगा। राज्य स्तरीय नोडल अधिकरण जिलों में निधियों का वितरण निम्नवत् मापदंड को ध्यान में रखकर करेगा:- (i) जलागम आधारित विकास परियोजनाओं में जिला स्तरीय दृष्टिकोण तथा नीतिगत योजना। (ii) राज्य के कुल बुआई क्षेत्र के प्रति जिले में वर्षासिंचित क्षेत्र की प्रतिशतता। (iii) राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रति जिले में बंजर भूमि/अपकृष्ट भूमि/पंचायती भूमि की प्रतिशतता। इस स्कीम के अंतर्गत केन्द्र तथा राज्य के मध्य निधियों की हिस्सेदारी 90:10 के अनुपात में है।
5.	समग्र स्वच्छता अभियान	इस योजना के अंतर्गत केन्द्र, राज्य एवं समुदाय के मध्य निधियां क्रमशः 60:30:10 के अनुपात में विभाजित होती हैं। भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति पर उसे समान अंश के साथ ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जिले के खाते को जारी कर दिया जाता है। तथापि समुदाय का अंशदान पंचायत द्वारा अपने संसाधनों से, 13वें वित्त आयोग के अनुदानों से अथवा राज्य की किसी अन्य निधि, जिसे राज्य द्वारा स्वीकृत किया गया हो, से किया जा सकता है।

### 1.4.2 संसाधन: प्रवृत्तियाँ एवं संयोजन

2009-10 से 2013-14 की अवधि के लिए पंचायती राज संस्थाओं के संसाधनों का ब्यौरा तालिका 3 में दिया गया है:

तालिका 3: पंचायती राज संस्थाओं के संसाधनों पर समयावली आंकड़े

(` करोड़)

विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
स्व राजस्व	7.72	7.81	31.52	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
राज्य सरकार से अनुदान	69.87	71.65	72.88	70.40	81.55
केन्द्र सरकार से अनुदान	58.57	82.79	113.15	131.16	202.07
केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के लिए भारत सरकार के अनुदान	505.29	818.56	735.20	488.57	163.68
राज्य स्कीमों के लिए राज्य सरकार अनुदान	25.99	33.24	22.20	15.80	15.97
अन्य प्राप्ति	3.55	3.60	1.00	1.00	0.67
<b>योग</b>	<b>670.99</b>	<b>1017.65</b>	<b>975.95</b>	<b>706.93</b>	<b>463.94</b>

स्रोत: निदेशक, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश।

टिप्पणी: केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम हेतु भारत सरकार के अनुदान में कमी राज्य सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के अंतर्गत निधियों की कम मांग के कारण थी।

### 1.4.3 संसाधनों का अनुप्रयोग: प्रवृत्ति एवं संयोजन

2009-10 से 2013-14 की अवधि के लिए पंचायती राज संस्थाओं के संसाधनों के अनुप्रयोग का विवरण तालिका 4 में दिया गया है:

तालिका 4: क्षेत्रवार संसाधनों का अनुप्रयोग

(` करोड़)

विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
राज्य सरकार और केन्द्र सरकार से अनुदानों से व्यय	128.44	154.44	187.02	202.52	284.29
केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम पर व्यय	643.58	594.89	591.35	544.51	161.86
राज्य स्कीमों पर व्यय	25.24	32.18	21.49	16.26	14.31
<b>योग</b>	<b>797.26</b>	<b>781.51</b>	<b>799.86</b>	<b>763.29</b>	<b>460.46</b>

स्रोत: निदेशक, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश

यह पाया गया कि पंचायती राज विभाग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित की गई समस्त निधियां व्यय के रूप में दर्शाई गई हैं। पंचायती राज विभाग के पास पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किये गये व्यय की सही संख्या उपलब्ध नहीं थी।

## 1.5 पंचायती राज संस्थाओं में लेखा प्रणाली

पंचायती राज संस्थाएँ अपने लेखा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज सामान्य नियमावली, 1997 के अंतर्गत निर्धारित प्रोफार्मा में रखती हैं। ग्राम पंचायतों के लेखा, निदेशक-एवं-विशेष, सचिव, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा नियुक्त पंचायत सचिव तथा कार्यकारी अधिकारी-एवं-खंड विकास अधिकारी द्वारा अनुबंध आधार पर नियुक्त पंचायत सहायक द्वारा बनाए जाते हैं। पंचायत समितियों के मामले में विकासात्मक खंडों के लेखाकार लेखा बनाते हैं। जिला परिषदों के लेखा जिला पंचायत अधिकारी-एवं-सचिव, जिला परिषद् के कार्यालय के सरकारी कर्मचारियों द्वारा बनाए जाते हैं। पंचायती राज संस्थाओं के लेखा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियमावली, 1997 तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियमावली, 2002 में पंचायती राज संस्था के लेखा के प्रमाणन हेतु कोई प्रावधान न होने के कारण प्रमाणित नहीं किए जाते हैं।

ग्यारहवें वित्त आयोग ने अनुशंसा की थी कि नियंत्रक महालेखापरीक्षक पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तरों के बनाये गये लेखा पर नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण रखे। नियंत्रक महालेखापरीक्षक और पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार ने 2009 में पंचायती राज संस्थाओं हेतु मॉडल लेखाकरण संरचना की अनुशंसा की। राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में मॉडल लेखाकरण संरचना के अनुसार लेखा के अनुरक्षण हेतु पंचायती राज मंत्रालय द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर पी0आर0आई0ए0एस0ओ0एफ0टी0 सॉफ्टवेयर अपनाया गया था (अगस्त 2012)। वर्तमान में इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से आंकड़े अपलोड करने की प्रक्रिया निष्पादित की जा रही है।

## 1.6 लेखापरीक्षा व्याप्ति

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हिमाचल प्रदेश नियंत्रक महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा) अधिनियम, 1971 के खंड 20(1) के अंतर्गत तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता उपलब्ध करवाने के उत्तरदायित्व के साथ पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा संचालित करता है। 2013-14 के दौरान कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हिमाचल प्रदेश द्वारा 10 जिला परिषदों (12 में से), 20 पंचायत समितियों (77 में से) और 118 ग्राम पंचायतों (3,243 में से) के लेखा की लेखापरीक्षा संचालित की गई थी (परिशिष्ट-2)। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणामों पर निम्नवत् परिच्छेदों में चर्चा की गई है।

## 1.7 पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग और उत्तरदायित्व की रूपरेखा ( आंतरिक नियंत्रण प्रणाली )

एक मजबूत आंतरिक नियंत्रण प्रणाली राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के कुशल तथा प्रभावशाली संचालन में महत्वपूर्ण योगदान देती है। वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा निर्देशों की अनुपालना के साथ-साथ ऐसी अनुपालना की प्राप्ति पर समयबद्धता तथा रिपोर्टिंग की गुणवत्ता अच्छे शासन की विशेषताएँ हैं। अनुपालना तथा नियंत्रण पर प्रतिवेदन, यदि प्रभावी एवं प्रचालननीय है, पंचायती राज संस्थाओं और राज्य सरकार को आधारभूत योजना, निर्णय क्षमता तथा दावेदारों के उत्तरदायित्व से युक्त इसके आधारभूत प्रबंधन उत्तरदायित्व के निर्वाह में सहयोग देता है। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में निम्नवत् विसंगतियाँ पाई गई थी:

### 1.7.1 पंचायती राज संस्थाओं की प्राथमिक लेखापरीक्षा

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 के खंड 118 में किए गए संशोधन के अनुसार स्थानीय लेखापरीक्षा विभाग को पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा करने का अधिकार दिया गया है। स्थानीय लेखापरीक्षा विभाग द्वारा उनके विभाग में स्टाफ की कमी के कारण पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा संचालित नहीं की जा रही है। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 के खंड 118 का उपखंड(1) में यह भी प्रावधान है कि आय और व्यय पर उचित वित्तीय नियंत्रण रखने के लिए पंचायती राज संस्थाओं के लेखाओं की लेखापरीक्षा हेतु निदेशक, पंचायती राज के नियंत्रण में एक अलग और स्वतंत्र आंतरिक लेखापरीक्षा

अभिकरण होगा। अप्रैल 2013 से मार्च 2014 के दौरान निदेशक, पंचायती राज के अंतर्गत लेखापरीक्षा स्कंध द्वारा संचालित की गई आंतरिक लेखापरीक्षा की स्थिति तालिका 5 में दी गई है:

**तालिका 5: आंतरिक लेखापरीक्षा की स्थिति**

संस्था का नाम	कुल इकाइयाँ	लेखापरीक्षा हेतु योजनागत इकाइयों की संख्या	लेखापरीक्षा की गई इकाइयों की संख्या	लेखापरीक्षा न की गई इकाइयों की संख्या	कमी का प्रतिशत
पंचायत समितियाँ	77	47	35	12	25
ग्राम पंचायत	3243	1865	1505	360	19

स्रोत: निदेशक, पंचायती राज संस्था

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि निदेशक, पंचायती राज के अधीन लेखापरीक्षा स्कंध ने 2013-14 के दौरान किसी भी जिला परिषद् की आंतरिक लेखापरीक्षा की योजना नहीं बनाई थी। निदेशक, पंचायती राज संस्था ने कहा (अगस्त 2014) कि उप नियंत्रक (लेखापरीक्षा) का पद, जिला लेखापरीक्षा अधिकारियों के दो पद तथा पंचायत लेखापरीक्षकों के आठ पद रिक्त होने के कारण जिला परिषदों की आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की जा सकी थी। तथ्य यह रहा कि वर्ष के दौरान बड़ी संख्या में इकाइयाँ लेखापरीक्षा हेतु शेष रही।

### 1.7.2 बजट आकलनों को तैयार न किया जाना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियमावली, 2002 के नियम 37 और 38 में प्रावधान है कि ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों के वार्षिक बजट आकलन आगामी वित्त वर्ष के आरंभ से पूर्व तैयार और आने वाले वर्ष के लिए संभावित प्राप्तियाँ एवं व्यय दर्शाते ग्राम सभा, पंचायत समिति अथवा जिला परिषद द्वारा, जैसा भी मामला हो, बहुमत से अनुमोदित किए जाने अपेक्षित हैं।

यह पाया गया कि 2008-2013 के दौरान छः पंचायत समितियों<sup>1</sup> और सात ग्राम पंचायतों<sup>2</sup> ने वार्षिक बजट आकलन तैयार नहीं किए थे। तथापि, उपरोक्त अवधि के दौरान इन पंचायत समितियों तथा ग्राम पंचायतों (परिशिष्ट-3) द्वारा आकलनों के अनुमोदन के बिना ₹ 15.59 करोड़<sup>3</sup> का व्यय किया गया था जो हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियमावली, 2002 के विपरीत था।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए सम्बंधित कार्यकारी अधिकारियों/सचिवों ने कहा (मई 2013-जनवरी 2014) कि कार्य की अधिकता के कारण बजट आकलन तैयार नहीं किए जा सके थे और भविष्य में ये समय पर तैयार किए जाएंगे।

### 1.7.3 पंजिकाओं का न बनाया जाना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियमावली, 2002 के नियम 31 में अनुबद्ध है कि प्रत्येक पंचायती राज संस्था महत्वपूर्ण अभिलेखों, पंजिका, प्रपत्रों आदि को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियमावली, 1997 के नियम 34 के अनुसार बनाएगी।

<sup>1</sup> भवारना, चम्बा, हमीरपुर, पाँवटा साहिब, सुलह तथा ठियोग

<sup>2</sup> अमरकोट, चंडी, चरुडी, कांडला, टिक्करी, तीसा-II तथा टुंडा

<sup>3</sup> पंचायत समितियाँ: ₹ 13.66 करोड़; ग्राम पंचायतें: ₹ 1.93 करोड़

यह पाया गया कि 2013-14 के दौरान नमूना जांच की गई तीन पंचायत समितियों और 53 ग्राम पंचायतों (**परिशिष्ट-4**) में महत्वपूर्ण पंजिकाएं जैसे स्टॉक पंजिका, अचल संपत्ति पंजिका, कार्य पंजिका, मस्टर रोल पंजिका नहीं बनाए गए थे। अभिलेखों के न बनाए जाने के कारण वित्तीय लेन-देनों की सत्यता का पता नहीं लगया जा सकता था। सम्बंधित कार्यकारी अधिकारियों/सचिवों ने तथ्यों को स्वीकारा (मई 2013-मार्च 2014) और भविष्य में इन अभिलेखों को बनाने का विश्वास दिलाया।

#### 1.7.4 अपने संसाधनों से आय और सहायता अनुदान/ऋणों के लेखा का अनुचित अनुरक्षण

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियमावली, 2002 के नियम 4 के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत और पंचायत समिति से अपने संसाधनों से आय और विशिष्ट उद्देश्यों के लिए प्राप्त सहायता अनुदान एवं ऋणों के अलग लेखा रखे जाने अपेक्षित हैं। जहां पहले मामले में लेखा 'क' अनुरक्षित किया जाना था, वहीं दूसरे मामले में लेखा 'ख' अनुरक्षित किया जाना था।

यह पाया गया था कि पांच पंचायत समितियों तथा 22 ग्राम पंचायतों (**परिशिष्ट-5**) में लेखा निर्धारित प्रारूप में नहीं बनाए गए थे और समस्त लेन-देन एक की लेखा से किया जा रहा था जो उपरोक्त नियम का उल्लंघन था, जिसके कारण अपने संसाधनों से आय और प्राप्त किए गए सहायता अनुदान/ऋणों की सत्यता प्रमाणित नहीं की जा सकी थी।

#### 1.7.5 बैंक मिलान विवरणी को तैयार करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियमावली, 2002 का नियम 15(10) (ख) प्रावधान करता है कि रोकड़ बही और बैंक खातों के शेष के मध्य किसी भी अंतर का मिलान प्रत्येक मास किया जाना अपेक्षित है। यदि इनमें कोई अंतर है तो उसकी व्याख्या और स्पष्टीकरण रोकड़ बही के फुट नोट में रखा जाएगा।

तथापि यह पाया गया था कि 58 पंचायती राज संस्थाओं द्वारा वर्ष 2012-13 के अंत में रोकड़ बहियों और पास बुकों के मध्य ₹ 19.36 करोड़ के अंतर (**परिशिष्ट-6**) का मिलान नहीं किया गया था। बैंक विवरणियों के साथ मिलान न होने से इन पंचायती राज संस्थाओं के लेखा की प्रमाणिकता सुनिश्चित नहीं की जा सकती थी। सम्बंधित पंचायती राज संस्थाओं के अधिकारियों ने बताया (मई 2013-मार्च 2014) कि अंतर का मिलान कर लिया जाएगा।

#### 1.7.6 वस्तुओं का लेखा-जोखा न रखना

25 पंचायती राज संस्थाओं द्वारा ₹ 1.37 करोड़ की सामग्री का स्टॉक पंजिका में लेखा-जोखा नहीं रखा गया था।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियमावली, 2002 के नियम 69 के अंतर्गत समस्त भंडार का जब प्राप्त किए जाते हैं, सुपुर्दगी के समय निरीक्षण, गणना, नापे अथवा तोले जाना, जैसा भी मामला हो, और उनका तत्काल स्टॉक पंजिका में दर्ज किया जाना अपेक्षित है। इस हेतु ग्राम पंचायत अथवा पंचायत समिति या जिला परिषद् के सचिव, जैसा भी मामला हो, द्वारा प्राधिकृत भंडारों के आधिकारिक इंचार्ज द्वारा प्रत्येक दिन की प्रविष्टियों के अंत पर प्रमाण पत्र दिया जाना अपेक्षित है जिसमें उल्लिखित होगा कि भंडार उपयुक्त स्थिति तथा विवरण के अनुसार प्राप्त किए गए हैं। भंडारों की अधिकता पाए जाने की स्थिति में इन्हें अतिरिक्त प्राप्तियों के रूप में अंकित किया जाना चाहिए और न्यूनताएं, यदि कोई है, को लाल स्याही में इंगित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त पूर्वोक्त हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियमावली 2002 का नियम 70 अनुबद्ध करता है कि भंडारों की मदे उचित मांगपत्र पर जारी की जानी चाहिए।

एक जिला परिषद्, एक पंचायत समिति, 23 ग्राम पंचायतों में ` 1.37 करोड़ की लागत पर खरीदी गई भंडारों की मदें जैसे कि स्टील, टिम्बर, फर्नीचर, हार्डवेयर आदि का स्टॉक पंजिका में लेखाकरण नहीं किया गया था (परिशिष्ट-7)। इन भंडारों के लेखा-जोखा न रखने की स्थिति में छुट-पुट चोरी/हानि की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। यह पंचायती राज संस्थाओं की ओर से अप्रभावशाली पर्यवेक्षण का द्योतक था। प्रत्युत्तर में सम्बंधित पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकारी अधिकारियों/सचिवों ने बताया (मई 2013-मार्च 2014) कि भंडारों की प्रविष्टि स्टॉक पंजिका में कर ली जाएगी। तथापि तथ्य यह रहा कि सम्बंधित पंचायती राज संस्थाओं द्वारा लेखा के अनुरक्षण पर उचित नियंत्रण का अभाव था।

### 1.7.7 13वें वित्त आयोग के अंतर्गत निधियों का अवरोधन

70 पंचायती राज संस्थाओं में 13वें वित्त आयोग के अंतर्गत ` 22.51 करोड़ की निधियां अपूर्ण निर्माण कार्यों तथा निर्माण कार्यों को आरम्भ न किए जाने के कारण अप्रयुक्त रही।

पंचायती राज संस्थाओं को विभिन्न विकासात्मक निर्माण कार्यों हेतु 13वें वित्त आयोग के अंतर्गत निधियां इस शर्त पर संस्वीकृत की जाती हैं कि अनुमोदित निर्माण कार्य संस्वीकृति की तिथि से तीन महीनों के भीतर पूर्ण किया जाएगा।

(i) तथापि, यह पाया कि 58 पंचायती राज संस्थाओं में 2010-13 के दौरान 13वें वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त ` 76.68 करोड़ की राशि में से अक्टूबर 2013 तक ` 61.42 करोड़ की राशि ही खर्च की गई थी तथा ` 15.26 करोड़ की शेष राशि अप्रयुक्त पड़ी थी (परिशिष्ट-8) जिसके लिए सम्बंधित पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकारी अधिकारियों/सचिवों ने कोई कारण नहीं दिए थे। अतः पंचायती राज संस्थाओं की तय (निर्धारित) अवधि के भीतर उपलब्ध निधियों के उपयोग में विफलता के कारण निधियों का अनावश्यक अवरोधन हुआ और लाभार्थी अभिप्रेत लाभों से भी वंचित रहे।

(ii) इसके अतिरिक्त यह पाया गया कि 12 पंचायती राज संस्थाओं में 2010-13 के दौरान 13वें वित्त आयोग के अंतर्गत ` 7.25 करोड़ की आकलित लागत (परिशिष्ट-9) से युक्त 347 निर्माण कार्य संहिताबद्ध औपचारिकताओं के पूरा न होने के कारण मार्च 2013 तक निष्पादन हेतु आरंभ नहीं किए गए थे। स्पष्टतः समस्त राशि अक्टूबर 2013 तक पंचायती राज संस्थाओं के पास अवरूद्ध रही। सम्बंधित पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकारी अधिकारियों/सचिवों ने बताया (अक्टूबर 2013-जनवरी 2014) कि निर्माण कार्य भूमि दस्तावेजों/अनापत्ति प्रमाण पत्रों की गैर-प्राप्ति के कारण निष्पादन के लिए आरंभ नहीं किए जा सके थे। उत्तर यथार्थवादी नहीं है क्योंकि कार्य के आरंभ के लिए पूर्व औपचारिकताएं निधियों की संस्वीकृति से पहले पूरी की जानी चाहिए।

### 1.7.8 बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन

लेखापरीक्षा निष्कर्षों एवं अभियुक्तियों के प्रति अपर्याप्त प्रतिक्रिया के फलस्वरूप उत्तरदायित्व का क्षय

2008-14 के दौरान कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हिमाचल प्रदेश द्वारा टी0जी0एस0 के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप सम्बंधित पंचायती राज संस्थाओं को 12,824 परिच्छेदों से युक्त 1909 निरीक्षण प्रतिवेदन



जारी किये गये थे। इनमें से मार्च 2014 तक तीन निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा 238 परिच्छेदों का निपटान किया गया था तथा 1906 निरीक्षण प्रतिवेदन तथा 12,586 परिच्छेद बकाया थे। ब्यौरा तालिका 6 में दिया गया है:

**तालिका 6: बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन**

(संख्या में)

क्रमांक संख्या	निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किये जाने का वर्ष	31 मार्च 2014 तक बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन/परिच्छेद		जमा ( वर्ष के दौरान जारी निरीक्षण प्रतिवेदन/परिच्छेदों की संख्या )		योग		2013-14 के दौरान निपटान किए गए निरीक्षण प्रतिवेदनों/परिच्छेदों की संख्या		31 मार्च 2014 तक बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों/परिच्छेदों की संख्या	
		नि०प्र०	परिच्छेद	नि०प्र०	परिच्छेद	नि०प्र०	परिच्छेद	नि०प्र०	परिच्छेद	नि०प्र०	परिच्छेद
1.	2008-09 से	848	5083	--	--	848	5083	02	74	846	5009
2.	2009-10	336	2409	--	--	336	2409	--	55	336	2354
3.	2010-11	334	2367	--	--	334	2367	01	53	333	2314
4.	2011-12	126	1038	--	--	126	1038	--	45	126	993
5.	2012-13	116	903	01	5	117	908	--	11	117	897
6.	2013-14	--	--	148	1019	148	1019	--	--	148	1019
	<b>योग</b>	<b>1760</b>	<b>11800</b>	<b>149</b>	<b>1024</b>	<b>1909</b>	<b>12824</b>	<b>03</b>	<b>238</b>	<b>1906</b>	<b>12586</b>

- नि०प्र० निरीक्षण प्रतिवेदन

बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा परिच्छेदों की बढ़ती प्रवृत्ति लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की गैर-अनुपालना का द्योतक है जिसके परिणामस्वरूप उत्तरदायित्व का क्षय हुआ।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष दिसम्बर 2014 में सरकार को भेजे गए थे। उत्तर प्रतीक्षित था (मई 2015)।

## अध्याय 2

### पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा का परिणाम

2013-14 के दौरान संचालित की गई पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा में पाई गई कमियों पर आगामी परिच्छेदों में चर्चा की गई है।

#### 2.1 राजस्व

##### 2.1.1 गृह कर की गैर वसूली

सततूर ग्राम पंचायतों द्वारा ` 17.41 लाख के गृह कर की वसूली नहीं की गई थी।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियमावली, 2002 के नियम 33 में प्रावधान है कि ग्राम पंचायत का सचिव यह देखेगा कि समस्त राजस्व ठीक से, अविलम्ब और नियमित रूप से निर्धारित, वसूले तथा सम्बंधित पंचायत की निधि के खाते में जमा करवाए जाए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 77 ग्राम पंचायतों में मार्च 2014 तक 2012-13 की अवधि के लिए ` 17.41 लाख की राशि का गृह कर वसूला नहीं गया था (परिशिष्ट-10)। यह ग्राम पंचायतों की ओर से अप्रभावशाली देख-रेख का द्योतक था जिसके परिणामस्वरूप राजस्व, यदि इसकी वसूली न की गई हो, की हानि हो सकती है। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायतों ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 के खंड 114 में निहित प्रावधानों के अनुरूप गृह कर के गैर-भुगतान के लिए चूककर्ताओं पर दण्ड लगाने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की थी। सम्बंधित ग्राम पंचायतों के सचिवों ने बताया (मई 2013-मार्च 2014) कि बकाया गृह कर की वसूली के लिए प्रयास किए जाएंगे।

##### 2.1.2 बकाया किराया

पंद्रह पंचायती राज संस्थाएं ` 35.40 लाख की राशि का दुकानों का किराया वसूलने में असफल रही।

जिला परिषदें, पंचायत समितियां और ग्राम पंचायतें अपने अधिकार क्षेत्र में दुकानों का रख रखाव कर रही थी और ये मासिक किराया आधार पर जनता को किराये पर दी गई थी।

अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि 15 पंचायती राज संस्थाओं में मार्च 2014 तक 113 दुकानों के किराये के रूप में ` 35.40 लाख<sup>4</sup> की राशि बकाया थी (परिशिष्ट-11)। यह राशि 2000-01 से 2013-14 की अवधि से बकाया थी। इसने दर्शाया कि पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किराया संग्रहण की प्रक्रिया पर उचित ध्यान नहीं दिया जा रहा था। सम्बंधित पंचायती राज संस्थाओं ने बताया (जून 2013-मार्च 2014) कि चूककर्ताओं को बकाया किराया तत्काल जमा करवाने के लिए चेतावनी दे दी थी, अन्यथा दुकानों को खाली करवाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जायेंगे।

<sup>4</sup> जिला परिषद्: ` 19.33 लाख, पंचायत समिति: ` 12.94 लाख तथा ग्राम पंचायत: ` 3.13 लाख

### 2.1.3 मोबाइल टावरों के अधिष्ठापन हेतु शुल्क की गैर-वसूली

20 ग्राम पंचायतों में मोबाइल टावरों के अधिष्ठापन/नवीकरण प्रभारों के आधार पर ` 3.12 लाख के राजस्व की वसूली नहीं हुई।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायतों को मोबाइल संचारण टावरों के अधिष्ठापन पर ` 4,000 प्रति टावर की दर से शुल्क का उद्ग्रहण करने तथा उनके अधिकार क्षेत्र में अधिष्ठापित टावरों पर प्रति टावर ` 2,000 की दर से वार्षिक नवीकरण फीस का संग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया है (नवम्बर 2006)।

20 ग्राम पंचायतों में, 2005-14 के दौरान उनके अधिकार क्षेत्र में 38 मोबाइल टावर अधिष्ठापित किए गए थे, लेकिन सम्बंधित मोबाइल कम्पनियों से मार्च 2014 तक ` 3.12 लाख के अधिष्ठापन/नवीकरण प्रभारों की वसूली नहीं की गई थी। इससे ग्राम पंचायतों राजस्व में उनको देय हिस्सेदारी से वंचित रही। ग्राम पंचायतों के सम्बंधित सचिवों ने बताया (मई 2013- मार्च 2014) कि बकायों की वसूली के लिए शीघ्र ही कार्रवाई की जाएगी।

### 2.1.4 श्रम उपकर की गैर-वसूली

जिला परिषद् रिकांग पिओ द्वारा एक ठेकेदार से ` 1.05 लाख के श्रम उपकर की गैर-कटौती, उपकर अधिनियम, 1996 का उल्लंघन था।

भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 की अनुपालना में राज्य सरकार द्वारा निर्माण की कुल लागत की एक प्रतिशत की दर से उपकर के उद्ग्रहण हेतु नियम बनाये गये थे (दिसम्बर 2008)। प्रत्येक स्थापना जो किसी भी भवन अथवा अन्य निर्माण कार्यों में 10 अथवा अधिक कामगारों को रोजगार देती है, व्यक्तिगत रिहायशी आवासों जिनकी कुल निर्माण लागत ` 10 लाख से अधिक नहीं थी, को छोड़कर उपकर अधिनियम के अंतर्गत उपकर भुगतान हेतु दायी हैं।

जिला परिषद् रिकांग पिओ स्थित किन्नौर के अभिलेखों की संवीक्षा (नवम्बर 2013) में पाया गया कि रिकांग पिओ में जिला परिषद् भवन के निर्माण हेतु एक ठेकेदार को जुलाई 2007 से मार्च 2012 के मध्य ` 1.05 करोड़ का भुगतान किया गया था। तथापि, जिला परिषद् द्वारा सम्बंधित ठेकेदार से ` 1.05 लाख के एक प्रतिशत उपकर की कटौती नहीं की गई थी। उपकर की गैर-कटौती उपरोक्त उपकर अधिनियम का उल्लंघन था, जिसके परिणामस्वरूप ठेकेदार को अनुचित लाभ हुआ तथा बोर्ड को निर्माण कामगारों के कल्याणकारी उपायों हेतु ` 1.05 लाख भी प्रेषित नहीं किये गए। उत्तर में सचिव, जिला परिषद् ने बताया (नवम्बर 2013) कि सम्बंधित ठेकेदार से श्रम उपकर की वसूली की जाएगी तथा बोर्ड के खाते में जमा करवाया जाएगा।

## 2.2 निधियों का अवरोधन

### 2.2.1 निर्माण कार्यों को आरंभ न किए जाने के कारण निधियों का अवरोधन

पंचायती राज संस्थाओं द्वारा निर्माण कार्य आरंभ न किए जाने के कारण ` 74.02 लाख की निधियां अप्रयुक्त रही।

अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि चार पंचायत समितियों तथा 12 ग्राम पंचायतों (परिशिष्ट-12) द्वारा 2009-10 से 2012-13 के मध्य विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत 83 निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु ` 74.02 लाख प्राप्त किये गये थे। तथापि, मार्च 2014 तक निर्माण कार्यों के निष्पादन पर कोई व्यय नहीं किया गया था। अतः, विकासात्मक निर्माण कार्यों हेतु निधियों का उपयोग न किए जाने के परिणामस्वरूप निधियों का अनावश्यक अवरोधन हुआ और लाभार्थी भी अभिप्रेत लाभों से वंचित रहे। सम्बंधित पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकारी अधिकारियों/सचिवों ने बताया (मई 2013-मार्च 2014) कि भूमि विवाद, मुकदमेबाजी तथा सीमित कार्य अवधि, आदि के कारण निर्माण कार्य आरम्भ नहीं किए जा सकते थे। उत्तर विश्वसनीय नहीं है क्योंकि ऐसे मामले निर्माण कार्यों की संस्वीकृति प्राप्त करने तथा निधियन अभिकरणों से निधियां जारी किए जाने से पहले सुलझा लिए जाने चाहिए।

### 2.2.2 पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि का अवरोधन

जिला परिषद् सिरमौर की पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के अंतर्गत निर्माण कार्यों के निष्पादन में विफलता के परिणामस्वरूप ` 2.46 करोड़ का अवरोधन हुआ।

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के परिच्छेद 1.1 में अनुबद्ध है कि अनुदान निधियां चिन्हित जिलों में विद्यमान विकास अंतःप्रवाहों को बढ़ाने तथा उनमें परिवर्तन करने हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाएंगी। लेखापरीक्षा में पाया गया (दिसम्बर 2013) कि 2009-13 के दौरान उपायुक्त सिरमौर स्थित नाहन द्वारा पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के अंतर्गत ` 2.46 करोड़ की लागत के 56 निर्माण कार्यों को संस्वीकृति दी गई थी। निर्माण कार्य संस्वीकृति की तिथि से 12 महीनों के भीतर पूर्ण किए जाने के लिए अनुबद्ध थे। तथापि ये निर्माण कार्य सम्बंधित जिला परिषद्/ग्राम पंचायतों द्वारा संस्वीकृति की तिथि से नौ से 57 महीने बीत जाने के बाद भी दिसम्बर 2013 तक स्थानीय विवादों, भूमि की अनुपलब्धता, आदि कारण से निष्पादन हेतु आरम्भ नहीं किए गए थे, अतः लाभार्थी स्कीम के अभिप्रेत लाभों से वंचित रहे।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए सचिव, जिला परिषद् ने बताया (दिसम्बर 2013) कि निष्पादन अभिकरणों को निर्माण कार्य शीघ्रता से आरंभ करने के लिए निदेश दिए जाएंगे।

## 2.2.3 व्यक्तिगत बही खाते में निधियों का अवरोधन

**लघु सिंचाई स्कीमों हेतु अलग से रखी गई ` 12.90 लाख की निधियां व्यक्तिगत बही खाते में अप्रयुक्त रही।**

पंचायत समितियां ग्रामीण क्षेत्रों में लघु सिंचाई तथा जलापूर्ति स्कीमों के निष्पादन हेतु सरकार से प्राप्त अनुदानों को जमा करने के लिए व्यक्तिगत बही खाता रखती हैं। संस्वीकृतियों की शर्त के अनुसार निधियां संस्वीकृतियों की शर्त के अनुसार निधियां संस्वीकृति की तिथि से एक मास के भीतर आहरित किए जाने तथा एक वर्ष के भीतर प्रयुक्त किए जाने के लिए अपेक्षित हैं।

अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि 2009-13 के दौरान छः पंचायत समितियों के पास स्कीमों के निष्पादन हेतु उपलब्ध ` 14.96 लाख में से मार्च 2013 तक ` 2.06 लाख का व्यय किया गया था और इन पंचायत समितियों के व्यक्तिगत बही खाते में ` 12.90 लाख का अव्ययित शेष था। व्यक्तिगत बही खाते में उपलब्ध निधियों के गैर-उपयोग के परिणामस्वरूप निधियों का अनावश्यक अवरोधन हुआ तथा लाभार्थी भी स्कीमों के अभिप्रेत लाभों से वंचित रहे।

सम्बंधित पंचायती राज संस्थाओं ने बताया (मई 2013-मार्च 2014) कि ग्राम पंचायतों द्वारा सूचित की गई निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति के कारण निधियां का उपयोग नहीं हुआ था तथा उपयोग नहीं की गई राशि स्कीमों को निर्वाचित सदन से अनुमोदित करवाए जाने के बाद व्यय की जाएगी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि व्यक्तिगत बही खाते में जमा निधियां संस्वीकृति की तिथि से एक वर्ष के भीतर उपयोग किए जाने के लिए अपेक्षित थी।

## 2.3 संदेहपूर्ण तैनातियां

### 2.3.1 श्रमिकों को भुगतान में अनियमितताएं

**छः ग्राम पंचायतों द्वारा एक ही अवधि में विविध कार्यों पर समान श्रमिकों की तैनाती दर्शाई गयी।**

अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि छः ग्राम पंचायतों में 2005-11 के दौरान एक ही अवधि में अलग-अलग मस्टर रोल पर अलग-अलग कार्यों हेतु समान श्रमिकों को तैनात दर्शाया गया था जिसके परिणामस्वरूप संदेहपूर्ण तैनाती और ` 0.69 लाख की मजदूरी का दोगुना भुगतान हुआ। स्कीमों/निर्माण कार्यों के नाम, जिनके लिए ये मस्टर रोल जारी किये गये थे, अधिकतर मस्टर रोल में उल्लेखित नहीं किए गए थे जो अप्रभावशाली आंतरिक नियंत्रण तंत्र का द्योतक था। ग्राम पंचायतों के सम्बंधित सचिवों ने बताया (जून 2013-नवम्बर 2013) कि मामले की जांच की जाएगी और तदनुसार कार्रवाई की जाएगी।

## 2.4 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम का कार्यान्वयन

स्कीम का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक घर जिसके व्यस्क सदस्य अकुशल हस्त कार्य करने हेतु स्वेच्छा से तैयार हो, को एक वित्त वर्ष में गारंटीशुदा मजदूरी रोजगार के न्यूनतम 100 दिन उपलब्ध करवाकर ग्रामीण क्षेत्रों में जीविका सुरक्षा का संवर्द्धन करना है। ग्राम

पंचायतें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम से सम्बंधित निधियां जिला ग्रामीण विकास अधिकरणों के माध्यम से प्राप्त कर रही हैं। पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा के दौरान स्कीम के कार्यान्वयन में पाई गई अनियमितताओं पर आगामी परिच्छेदों में चर्चा की गई है।

#### 2.4.1 मजदूरी सामग्री अनुपात को न बनाए रखा जाना

आठ ग्राम पंचायतें निर्धारित मजदूरी सामग्री अनुपात का पालन करने में असफल रही और इसके कारण सामाग्री संघटक पर ` 33.47 लाख का कम प्रावधान रखा गया।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम निर्देशों का परिच्छेद 7.4.1 अनुबद्ध करता है कि मजदूरी लागत के प्रति सामग्री लागत का अनुपात 60:40 के न्यूनतम मानक से कम नहीं होना चाहिए। यह अनुपात ग्राम पंचायत द्वारा आरंभ किए गए समस्त निर्माण कार्यों हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर और समस्त अन्य अधिकरणों द्वारा आरंभ किए गए निर्माण कार्यों हेतु यह खंड/मध्यवर्ती पंचायत स्तर पर बनाए रखा जाना चाहिए। लेखापरीक्षा में पाया गया कि आठ ग्राम पंचायतों में 2009-14 के दौरान ` 3.53 करोड़ की कुल लागत पर 352 निर्माण कार्य निष्पादित किए गए थे। सामाग्री पर किए जाने वाले अपेक्षित ` 1.41 करोड़ के व्यय में से सामाग्री संघटक पर ` 1.08 करोड़ की राशि व्यय की गई थी। अतः सामाग्री संघटक पर ` 33.47 लाख की निधियां (परिशिष्ट 13) कम खर्च की गई जिसके परिणामस्वरूप महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम अधिनियम निर्देशों के उपरोक्त प्रावधान का उल्लंघन हुआ। सम्बंधित ग्राम पंचायतों के सचिवों ने बताया (अगस्त 2013-मार्च 2014) कि भविष्य में निर्धारित अनुपात को बनाए रखा जायेगा।

#### 2.4.2 श्रम भुगतान जारी किये जाने में विलम्ब

सात ग्राम पंचायतों द्वारा श्रमिकों की ` 35.15 लाख के मजदूरी भुगतान में 5 से 293 दिनों की अवधि का विलम्ब किया गया।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम निर्देशों के परिच्छेद 8.3.1 के अनुसार मजदूरों को साप्ताहिक आधार पर मजदूरियों का भुगतान किया जाना था और किसी भी मामले में उस तिथि, जिस पर कार्य किया गया था, से पंद्रह दिनों से अधिक विलम्ब नहीं होगा। पंद्रह दिनों से अधिक के विलम्ब के मामले में मजदूर 'मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936' के प्रावधानों के अनुसार प्रतिपूर्ति के हकदार थे। लेखापरीक्षा में पाया गया कि सात ग्राम पंचायतों द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के अंतर्गत मजदूरों को ` 35.15 लाख का भुगतान पांच से 293 दिनों (परिशिष्ट-14) के विलम्ब के पश्चात किया गया जोकि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम निर्देशों के प्रावधानों के विपरीत था। श्रमिकों को विलंबित भुगतान के लिए किसी प्रतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया गया था। सम्बंधित ग्राम पंचायतों के सचिवों ने बताया (मई 2013-मार्च 2014) कि मजदूरी

के भुगतान में विलम्ब खंड विकास अधिकारियों से निधियों की प्राप्ति में विलम्ब के कारण हुआ था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मजदूरियों के भुगतान में विलम्ब से लाभार्थी समयबद्ध लाभों से वंचित रहे।

## 2.5 परिसम्पत्तियों का उपयोग न किया जाना

जिला परिषद् कांगड़ा द्वारा ` 62 लाख की लागत पर निर्मित शॉपिंग कॉम्प्लैक्स का उपयोग उसमें आधारभूत सुविधाओं की कमी के कारण नहीं किया गया था।

जिला परिषद् कांगड़ा द्वारा ` 62 लाख की लागत पर एक शॉपिंग कॉम्प्लैक्स का निर्माण किया गया था (मार्च 2012)। लेखापरीक्षा में पाया गया कि शॉपिंग कॉम्प्लैक्स पूर्णता (मार्च 2012) के बाद से मूलभूत सुविधाओं जैसे विद्युत तथा जल, की अनुपलब्धता के कारण उपयोग में नहीं था। तथ्यों को स्वीकार करते हुए सचिव जिला परिषद्, कांगड़ा ने बताया (दिसम्बर 2013) कि नगर निगम, धर्मशाला से अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु संपर्क किया गया था ताकि सम्बंधित विभागों द्वारा जल तथा विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करवाए जा सके। उत्तर यथार्थपूर्ण नहीं है क्योंकि ऐसी समस्त आवश्यकताएं पहले ही पूरी कर ली जानी चाहिए ताकि अभिप्रेत लाभार्थियों को समयबद्ध लाभ उपलब्ध करवाए जाए। अतः अभिप्रेत उद्देश्य हेतु शॉपिंग कॉम्प्लैक्स का उपयोग न किये जाने के कारण इसके निर्माण पर ` 62 लाख का व्यय पूर्णतया निष्फल रहा।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष सरकार को दिसम्बर 2014 में प्रेषित किये गये थे। उत्तर प्रतीक्षित था (मई 2015)।

## अध्याय-3

### शहरी स्थानीय निकायों की रूपरेखा

#### 3.1 शहरी स्थानीय निकायों की पृष्ठभूमि

74वें संवैधानिक संशोधन ने शक्ति के विकेन्द्रीकरण और शहरी स्थानीय निकायों के लिए निधियों एवं पदाधिकारियों सहित संविधान की बारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 18 कार्यों के हस्तांतरण का मार्ग प्रशस्त किया। यद्यपि अग्निशमन सेवाओं को छोड़कर शहरी स्थानीय निकायों को सभी 18 कार्य हस्तांतरित हैं (अगस्त 1994), तथापि निधियां एवं पदाधिकारी शहरी स्थानीय निकायों को हस्तांतरित किए जाने शेष हैं। 74वें संवैधानिक संशोधन के प्रावधानों को समाविष्ट करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार (स्थानीय स्वशासन) ने शहरी स्थानीय निकायों को शक्तियों एवं उत्तरदायित्वों के हस्तांतरण के लिए हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 तथा हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1994 बनाए। तथापि कुछ अनिवार्य एवं विवेकाधीन कार्य जैसे सड़कों, गलियों, गलियों की लाइटें, सफाई इत्यादि का रखरखाव इन अधिनियमों के लागू किए जाने से पहले शहरी स्थानीय निकायों द्वारा क्रियान्वित किए जाते थे।

#### 3.2 लेखापरीक्षा अधिदेश

हिमाचल प्रदेश में शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा निदेशक, स्थानीय लेखापरीक्षा विभाग द्वारा संचालित की जाती है। राज्य सरकार ने शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा नियंत्रक महालेखापरीक्षक के डी0पी0सी0 अधिनियम, 1971 की धारा 20 (1) के अंतर्गत तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता उपलब्ध करवाने के उत्तरदायित्व सहित नियंत्रक महालेखापरीक्षक को सुपुर्द की (मार्च 2011)। लेखापरीक्षा के परिणाम वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन में अन्तर्निहित हैं।

#### 3.3 शहरी स्थानीय निकायों का संगठनात्मक ढांचा

राज्य में एक नगर निगम, 25 नगर परिषदें तथा 24 नगर पंचायतें हैं।

शहरी स्थानीय निकायों का सम्पूर्ण नियंत्रण प्रधान सचिव (शहरी विकास) हिमाचल प्रदेश सरकार के पास निदेशक, शहरी विकास विभाग के माध्यम से निहित है। शहरी स्थानीय निकायों का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् है:-





	सामाजिक न्याय समिति	नगर निगम में डिप्टी मेयर तथा नगर परिषद्/नगर पंचायत में प्रधान	शिक्षा एवं आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति एवं पिछड़ा वर्ग, महिलाओं एवं समाज के अन्य कमजोर वर्गों के अन्य हितों की प्रोन्नति से सम्बंधित कार्यों का निष्पादन करती है।
--	---------------------	---	--

### 3.3.2 स्कीमों के क्रियान्वयन के लिए संस्थागत व्यवस्थाएं

शहरी विकास निदेशालय में शहरी स्थानीय निकायों द्वारा विभिन्न स्कीमों के क्रियान्वयन के निरीक्षण हेतु परियोजना अनुभाग में एक परियोजना अधिकारी तथा दो सांख्यिकीय सहायकों की तैनाती की गई है। शहरी स्थानीय निकायों में 01 जनवरी 2014 तक 3844 संस्वीकृत पदों में से विभिन्न श्रेणियों के 668 (17 प्रतिशत) पद रिक्त पड़े थे और कुछ शहरी स्थानीय निकायों में 423 कर्मचारी (नगर निगम शिमला: 410; नगर परिषद् चुवाड़ी: दो; नगर परिषद् जोगिन्द्र नगर: आठ तथा नगर परिषद् मेहतपुर: तीन) अधिक थे (परिशिष्ट-15)।

## 3.4 वित्तीय रूपरेखा

### 3.4.1. शहरी स्थानीय निकायों को निधियों का प्रवाह

विभिन्न विकासशील कार्यों के निष्पादन के लिए शहरी स्थानीय निकाय भारत सरकार तथा राज्य सरकार से मुख्यतः अनुदान के रूप में निधियां प्राप्त करते हैं। भारत सरकार के अनुदान में केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के अंतर्गत दिये गए अनुदान तथा विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए अनुदान शामिल हैं। राज्य सरकार के अनुदान राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों पर कुल कर राजस्व की निवल आमदनी के हस्तांतरण तथा राज्य प्रायोजित स्कीमों के क्रियान्वयन के लिए अनुदानों द्वारा प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त शहरी स्थानीय निकायों द्वारा राजस्व करों, किराया, शुल्कों, लाइसेंस जारी करने इत्यादि से भी लाभबद्ध हुआ है। शहरी स्थानीय निकायों को आवंटित निधियां विभिन्न स्रोतों के माध्यम से बैंक में रखी जाती है।

शहरी स्थानीय निकायों द्वारा केन्द्रीय तथा राज्य प्रायोजित स्कीमों के निष्पादन के समय भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार केन्द्रीय एवं राज्य अनुदान प्रयुक्त किए जाते हैं, शहरी स्थानीय निकायों की अपनी प्राप्ति प्राप्त प्रशासनिक व्ययों एवं शहरी स्थानीय निकायों द्वारा बनाई गई स्कीमों/कार्यों के निष्पादन के लिए प्रयुक्त की जाती हैं। महत्वपूर्ण स्कीमों में निधि प्रवाह व्यवस्थाएं तालिका 8 में दी गई हैं:

तालिका 8: प्रमुख केन्द्रीय प्रायोजित महत्वपूर्ण स्कीमों में निधि प्रवाह व्यवस्थाएं

क्रमांक	स्कीम	निधि प्रवाह व्यवस्थाएं
1.	स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना	स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के अन्तर्गत केन्द्र तथा राज्य के मध्य निधिकरण अंश 75:25 के अनुपात में है। केन्द्रीय हिस्सेदारी राज्य सरकार को डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में जारी की जाती है तथा राज्य का अंश राज्य बजट के माध्यम से बांटा जाता है।

क्रमांक	स्कीम	निधि प्रवाह व्यवस्थाएं
2.	लघु एवं मध्यम कस्बों के लिए शहरी अवसंरचना विकास स्कीम	केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा सहायता अनुदान अंश 80:10 के अनुपात में बांटा जाना है तथा शेष 10 प्रतिशत का बंदोबस्त शहरी स्थानीय निकायों द्वारा स्वयं के स्रोतों से किया जाना है।
3.	एकीकृत गृह एवं झुग्गी विकास कार्यक्रम	स्कीम की लागत का अस्सी प्रतिशत केन्द्र से सहायता अनुदान के रूप में आता है। शेष 20 प्रतिशत राज्य सरकार, शहरी स्थानीय निकायों, अर्ध राजकीय अभिकरणों द्वारा बांटा जाता है। शहरी स्थानीय निकाय अपना अंशदान स्वयं के संसाधनों अथवा लाभान्वित अंशदान से एकत्र करते हैं।
4.	शहरी अवसंरचना एवं शासन	शहरी अवसंरचना एवं शासन के अन्तर्गत केन्द्र, राज्य तथा शहरी स्थानीय निकायों के मध्य निधिकरण अंश 80:10:10 के अनुपात में है। केन्द्रीय अंशदान की संस्वीकृति भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को जारी की जाती है। तदनुसार, इस स्कीम के अन्तर्गत केन्द्रीय अंशदान एवं राज्य अंशदान राज्य बजट के माध्यम से शहरी स्थानीय निकायों को जारी किया जाता है। शहरी स्थानीय निकाय अपना अंशदान वित्तीय संस्थाओं से एकत्र करते हैं। शहरी निर्धनों को मूलभूत सेवा हेतु: 80 प्रतिशत केन्द्रीय अनुदान, 20 प्रतिशत राज्य/शहरी स्थानीय निकाय/लाभार्थी अंशदान सहित पैरास्टाटल अंशदान।
5.	शहरी निर्धनों को मूलभूत सेवा	स्कीम की लागत का अस्सी प्रतिशत केन्द्र से सहायता अनुदान के रूप में आता है। शेष 20 प्रतिशत राज्य सरकार, शहरी स्थानीय निकायों तथा अर्ध राजकीय अभिकरणों द्वारा बांटा जाता है। शहरी स्थानीय निकाय अपना अंशदान लाभान्वित अंशदान से एकत्र करते हैं। न्यूनतम 12

### 3.4.2 संसाधन: प्रवृत्तियां एवं संघटक

शहरी स्थानीय निकायों के 2009-10 से 2013-14 की अवधि के लिए संसाधनों का वर्णन तालिका 9 में दिया गया है:

तालिका 9: शहरी स्थानीय निकायों के संसाधनों पर समयावली आंकड़े

( करोड़ )

	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
निजी राजस्व	50.87	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों सहित केन्द्रीय वित्त आयोग हस्तांतरण (वित्त आयोग हस्तांतरण)	1.60	7.77	24.30	30.97	46.88
राज्य सरकार वित्त आयोग हस्तांतरण (राज्य वित्त आयोग हस्तांतरण)	41.77	46.12	51.88	57.07	68.08
केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए भारत सरकार से अनुदान	52.57	19.50	25.83	3.90	149.16
राज्य स्कीमों के लिए राज्य सरकार से अनुदान	63.82	85.19	109.90	78.01	8.84
<b>योग</b>	<b>210.63</b>	<b>158.58</b>	<b>211.91</b>	<b>169.95</b>	<b>272.96</b>

टिप्पणी: शहरी स्थानीय निकायों के संदर्भ में 'निजी राजस्व' के आंकड़े निदेशालय में स्टाफ की कमी के कारण निदेशालय स्तर पर समेकित नहीं किए जा रहे हैं।

स्रोत: निदेशक, शहरी विकास

### 3.4.3 संसाधनों का अनुप्रयोग: प्रवृत्तियाँ एवं संघटक

2009-10 से 2013-14 की अवधि के लिए शहरी स्थानीय निकायों के संसाधनों के अनुप्रयोग तालिका 10 में दिए गए हैं:

**तालिका 10: क्षेत्रवार संसाधनों का अनुप्रयोग**

(` करोड़)

	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
निजी राजस्व से व्यय	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
केन्द्रीय वित्त आयोग हस्तांतरणों से व्यय (केन्द्रीय वित्त आयोग हस्तांतरण)	1.60	7.77	24.30	30.97	35.39
राज्य वित्त आयोग हस्तांतरणों से व्यय (राज्य वित्त आयोग हस्तांतरण)	41.77	46.12	51.88	57.07	68.08
राज्य सरकार एवं केन्द्रीय सरकार से प्राप्त अनुदानों से व्यय	110.17	85.81	110.45	78.01	169.49
<b>योग</b>	<b>153.54</b>	<b>139.70</b>	<b>186.63</b>	<b>166.05</b>	<b>272.96</b>

**स्रोत: निदेशक, शहरी विकास**

यह पाया गया कि शहरी स्थानीय निकायों को शहरी विकास निदेशालय द्वारा हस्तांतरित सभी निधियों को व्यय के रूप में दर्शाया गया है। शहरी स्थानीय निकायों द्वारा किए गये व्यय का सही आंकड़ा शहरी विकास निदेशालय के पास उपलब्ध नहीं था। निदेशालय के पास उपरोक्त के व्यय एवं स्वयं के राजस्व की प्राप्तियों के आंकड़े भी नहीं हैं।

### 3.5 लेखापरीक्षा व्याप्ति

2013-14 के दौरान नगर निगम, शिमला, नौ नगर परिषदों तथा सात नगर पंचायतों के अभिलेखों की नमूना जांच की गई थी (परिशिष्ट-2)। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणाम इस प्रतिवेदन के अध्याय 4 में अंतर्विष्ट किए गये हैं।

### 3.6 शहरी स्थानीय निकायों का वित्तीय विवरण एवं लेखांकन ढांचा ( आंतरिक नियंत्रण प्रणाली )

राज्य सरकार द्वारा शहरी स्थानीय निकायों के कुशल एवं प्रभावी शासन के लिए मजबूत आंतरिक नियंत्रण प्रणाली मुख्य रूप से योगदान करती है। वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं एवं निदेशों की अनुपालना के साथ साथ ऐसी अनुपालना की प्रास्थिति पर रिपोर्टिंग की समयपरकता और गुणवत्ता अच्छे शासन की विशेषताओं में से एक है। अनुपालना एवं नियंत्रणों पर प्रतिवेदन, यदि प्रभावी एवं प्रचालनीय है, शहरी स्थानीय निकायों एवं राज्य सरकार को उनके मूलभूत कुशल योजना, निर्णय लेने तथा पणधारियों के उत्तरदायित्व से अंतर्विष्ट न्यासी उत्तरदायित्वों को प्राप्त करने में सहायता करते हैं। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में निम्नवत् कमजोरियाँ/कमियाँ पायी गयी थी:

### 3.6.1 लेखा का प्रमाणन न किया जाना

निदेशक, शहरी विकास विभाग द्वारा सभी शहरी स्थानीय निकायों को अप्रैल 2009 से संग्रहण आधार पर अपने लेखा रखने के दिशा-निर्देश जारी किए गये हैं। शहरी स्थानीय निकायों के लिए हिमाचल प्रदेश लेखा नियमावली तैयार की गई थी तथा राष्ट्रीय नगर लेखा नियमावली के आधार पर राज्य सरकार (अप्रैल 2007) द्वारा अपनायी गई है। शहरी स्थानीय निकायों को दोहरी प्रविष्टि प्रणाली प्रारंभ करने के निदेश (अप्रैल 2009) भी दिए गये थे। राज्य के अधिनियमों/नियमों में विशेष प्रावधानों की अनुपस्थिति में शहरी स्थानीय निकायों में एक स्वतन्त्र अभिकरण द्वारा लेखा का प्रमाणन अस्तित्व में नहीं है।

### 3.6.2 बजट आकलन

शहरी स्थानीय निकायों के बजट आकलन आगामी वित्त वर्ष के लिए आशातीत आय एवं व्यय के बजट आकलनों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित प्रपत्र में हिमाचल प्रदेश नगरीय संहिता, 1975 के अनुसार तैयार किये जाने होते हैं तथा समिति सदन के सामने रखे जाते हैं। समिति सदन द्वारा बजट पारित किये जाने के बाद, यह निदेशक, शहरी विभाग को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाता है। 2010-13 के दौरान नमूना जांचित नगर निगम, नगर परिषदें, नगर पंचायतों द्वारा बजट प्रावधान तथा व्यय की वर्षवार स्थिति **तालिका 11** में दी गई है:

**तालिका 11: बजट आकलनों की तुलना में व्यय**

(₹ करोड़)

वर्ष	बजट आकलन	वास्तविक व्यय	बचतें ( - ) आधिक्य ( + )	बचत/आधिक्य की प्रतिशतता
2010-11	144.58	91.60	(-) 52.98	37
2011-12	153.87	86.01	(-) 67.86	44
2012-13	180.33	95.27	(-) 85.06	47

टिप्पणी: इकाईवार स्थिति **परिशिष्ट-16** में दी गई है।

**तालिका 11** से यह स्पष्ट है कि यथार्थवादी बजट आकलन तैयार नहीं किये गये थे जिसके परिणामस्वरूप उपरोक्त अवधि के दौरान 37 से 47 प्रतिशत की लगातार बचत हुई।

### 3.6.3 शहरी स्थानीय निकायों की आन्तरिक लेखापरीक्षा

हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 161(3) तथा हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 की धारा 255(1) के अंतर्गत शहरी स्थानीय निकायों के लेखा पृथक तथा स्वतन्त्र अभिकरण द्वारा लेखापरीक्षित किये जाने होते हैं। राज्य सरकार द्वारा जारी (अक्टूबर 2008) अधिसूचना के अनुसार निदेशक, स्थानीय लेखापरीक्षा द्वारा लेखापरीक्षा को संचालित करने के लिए वार्षिक योजना तैयार किया जाना अपेक्षित था। वर्ष 2013-14 के लिए लेखापरीक्षा योजना के अनुसार, 23 शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा की जानी थी जिनमें से 31 मार्च 2014 तक 20 शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा की गई थी।

### 3.6.4 वित्तीय अनियमितता

**नगर पंचायत राजगढ़ द्वारा ` 41.55 लाख की राजस्व प्राप्तियों को रोकड़ बही के माध्यम से नहीं भेजा गया**

राज्य नगर पालिका लेखा संहिता, 1975 के नियम 19(2) के अनुसार रोकड़ बही नियमित रूप से लिखी जानी अपेक्षित है तथा प्रत्येक लेन-देन का सत्यापन कार्यालय प्रमुख द्वारा किया जाना होता है। नियम में आगे प्रावधान है कि किराया, शुल्क, आदि के आधार पर प्राप्त चेकों/नकद/प्रारूपों को तुरन्त रोकड़ बही में दर्ज किया जाना चाहिए तथा तदोपरांत सरकारी अथवा नगर पंचायत के खाते में जमा करवाने चाहिए ताकि रोकड़ बही में दर्ज किये गए आंकड़े बैंक पास बुक से मेल खाएं।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि उपरोक्त प्रावधान के विपरीत नगर पंचायत राजगढ़ द्वारा भवन किराया, पंजीकरण शुल्क से प्राप्त (अगस्त 2010 तथा जून 2012 के मध्य) राजस्व तथा ` 41.55 लाख की अन्य प्राप्तियां रोकड़ नकद बही तथा अन्य सम्बंधित अभिलेखों में दर्ज किये बिना बैंक बचत खाते में जमा करवाई गई थी। यह नगर पंचायत में वित्तीय नियंत्रण की कमी को दर्शाने वाला था जिससे उपरोक्त नियम का उल्लंघन हुआ। उचित अभिलेखों की अनुपस्थिति में नगर पंचायत नकदी के दुरुपयोग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। नगर पंचायत सचिव ने बताया (अक्टूबर 2013) कि संग्रहित नकदी को सीधे बैंक खाते में जमा करवाया गया था। उत्तर प्राप्तियों के गैर-लेखाकरण के कारणों की व्याख्या नहीं करता है।

### 3.6.5 बैंक मिलान विवरणों का तैयार न किया जाना

राज्य नगर पालिका लेखा संहिता 1975 के नियम 19(2) के अनुसार सामान्य रोकड़ बही कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रतिदिन मद-वार जांच, बंद तथा हस्ताक्षरित की जाएगी। मास के अंत में इसकी बैंक पास बुक से तुलना एवं मिलान किया जाएगा। प्राप्ति एवं व्यय की प्रत्येक मद की रोकड़ बही से जांच की जाएगी तथा अंतर की व्याख्या की जाएगी एवं सामान्य रोकड़ बही में लेखा-जोखा रखा जाएगा।

तथापि, यह देखने में आया कि वर्ष 2012-13 के अंत में रोकड़ बहियों तथा बैंक पास बुकों के मध्य ` 19.69 लाख ( परिशिष्ट-17 ) का अंतर था जिसका तीन शहरी स्थानीय निकायों द्वारा अगस्त 2013 तक मिलान नहीं किया गया था। बैंक विवरणों से मिलान न होने की स्थिति में इन शहरी स्थानीय निकायों के लेखा की प्रमाणिकता सुनिश्चित नहीं की जा सकी। सम्बंधित शहरी स्थानीय निकायों के कार्यकारी अधिकारियों ने बताया (अगस्त 2013-जनवरी 2014) कि अंतर शीघ्र ही मिला दिये जाएंगे।

### 3.6.6 लम्बित लेखापरीक्षा अभियुक्तियां

**लेखापरीक्षा निष्कर्षों एवं अभ्युक्तियों पर अपर्याप्त प्रतिक्रिया के फलस्वरूप उत्तरदायित्व का क्षय हुआ**

नगर निगम, नगर परिषद् तथा नगर पंचायत के क्रमशः आयुक्त, कार्यकारी अधिकारी, सचिव द्वारा प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों में अन्तर्निहित अभियुक्तियों की अनुपालना, त्रुटियों/चूकों में संशोधन एवं अभियुक्तियों

के समायोजन हेतु उनकी अनुपालना से अवगत कनवाना अपेक्षित है। 31 मार्च 2014 तक जारी, समायोजित तथा बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा परिच्छेदों का विवरण तालिका 12 में अन्तर्निहित है:

तालिका 12: लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों/परिच्छेदों की स्थिति

क्रमांक	निरीक्षण प्रतिवेदनों को जारी करने का वर्ष	31.03.2013 तक बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन/परिच्छेद		जोड़		योग		2013-14 के दौरान निपटान किये गए निरीक्षण प्रतिवेदनों/परिच्छेदों की संख्या		31.03.2014 तक बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों/परिच्छेदों की संख्या	
		निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद	निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद	निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद	निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद	निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद
1.	2009-10 तक	85	623	-	-	85	623	1	59	84	564
2.	2010-11	15	148	-	-	15	148	-	39	15	109
3.	2011-12	15	164	-	-	15	164	1	26	14	138
4.	2012-13	15	175	-	-	15	175	-	-	15	175
5.	2013-14	-	-	17	218	17	218	-	-	17	218
	योग	130	1110	17	218	147	1328	2	124	145	1204

निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा बकाया परिच्छेदों की बढ़ती हुई प्रवृत्ति लेखापरीक्षा निष्कर्षों तथा अभियुक्तियों के प्रति अपर्याप्त प्रतिक्रिया को दर्शाती है जिसके परिणामस्वरूप उत्तरदायित्व का क्षय हुआ।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष सरकार को दिसम्बर 2014 में प्रेषित किये गये थे। उत्तर प्रतीक्षित था (मई 2015)।

## अध्याय –4

## शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा के परिणाम

2013-14 के दौरान शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा में पाई गई कमियों की चर्चा अनुवर्ती परिच्छेदों में की गई है।

## 4.1 राजस्व

## 4.1.1 गृहकर की दरों में संशोधन न किये जाने के कारण हानि

राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार दो शहरी स्थानीय निकायों द्वारा गृहकर की दरों में संशोधन न किये जाने के परिणामस्वरूप <sup>5</sup> 78.06 लाख के राजस्व की हानि हुई।

हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 के नियम 65 में प्रावधान है कि नगर निगम भवन एवं भूमि पर गृहकर लगाने को अधिकृत है जो कि ऐसे भवनों एवं भूमि के वार्षिक मूल्य पर 7.5 प्रतिशत से कम तथा 12.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। निदेशक, शहरी विकास द्वारा सभी शहरी स्थानीय निकायों को निदेश (नवम्बर, 2003) दिया गया कि द्वितीय राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 2002-03 से प्रति वर्ष गृहकर की दर में एक प्रतिशत की वृद्धि होगी ताकि 2006-07 के अन्त तक 12.5 प्रतिशत के स्तर को प्राप्त किया जा सके।

तथापि, लेखापरीक्षा में यह पाया गया था कि दो शहरी स्थानीय निकायों (नगर पंचायत बंजार तथा नगर परिषद् रामपुर) ने गृहकर की दरों के संशोधन के लिए अनुदेशों का अनुसरण नहीं किया था तथा गृहकर के लिए मांग 8.5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक की विभिन्न दरों पर उद्ग्रहीत किए जाने के परिणामस्वरूप 2004-13 के दौरान <sup>5</sup> 78.06 लाख के राजस्व की हानि हुई। सचिव, नगर पंचायत बंजार ने बताया (अगस्त 2013) कि गृह कर की दरों को बढ़ाने तथा शेष राशि की वसूली हेतु कार्रवाई की जाएगी। कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् रामपुर ने बताया (जनवरी 2014) कि गृह कर बढ़ाने का मामला सदन के समक्ष रखा गया था परंतु प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जा सका। तथापि, तथ्य यह था कि 2004-13 के दौरान राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार गृहकर की दरें बढ़ाई नहीं गई थी जिसके फलस्वरूप दो शहरी स्थानीय निकायों के राजस्व में हानि हुई।

## 4.1.2 बकाया गृहकर

प्रभावहीन अनुश्रवण के कारण छः शहरी स्थानीय निकायों में गृहकर का <sup>5</sup> 3.68 करोड़ का राजस्व बकाया रहा।

छः शहरी स्थानीय निकायों (नगर परिषदें: तीन तथा नगर पंचायतें: तीन) में मार्च 2012 तक <sup>5</sup> 3.58 करोड़ का बकाया गृहकर अथशेष था तथा 2012-13 (परिशिष्ट-18) के दौरान <sup>5</sup> 0.93 करोड़ की मांग उठाई गई थी। तथापि, सम्बंधित अवधि के दौरान गृहकर का संग्रहण मात्र <sup>5</sup> 0.81 करोड़ तक था तथा <sup>5</sup> 0.02 करोड़ की राशि की छूट शहरी स्थानीय निकायों द्वारा अनुमत्य थी, मार्च 2013 तक <sup>5</sup> 3.68 करोड़ के बकाया शेष रहा। वसूली की गति धीमी थी जैसे की चालू मांग की वसूली भी नहीं की जा सकी थी। गृहकर की वसूली न होने से उपरोक्त सीमा तक शहरी स्थानीय निकायों की राजस्व प्राप्तियों को प्रभावित किया जिन्हें अन्य

<sup>5</sup> नगर पंचायत बंजार: <sup>5</sup> 11.81 लाख; नगर परिषद् रामपुर: <sup>5</sup> 66.25 लाख



विकासशील कार्यों के लिए प्रयुक्त किया जा सकता था। शहरी स्थानीय निकायों के कार्यकारी अधिकारियों/सचिवों ने बताया (अगस्त 2013-जनवरी 2014) कि चूककर्ताओं के विरुद्ध बकाया वसूली के लिए चेतावनी जारी कर दी गई थी तथा मुख्य अगर आवश्यकता पड़ी तो चुककर्ताओं के विरुद्ध सदन के अनुमोदन से वैधानिक कार्रवाई शुरू की जाएगी।

### 4.1.3 किराये की वसूली न होना

ग्यारह शहरी स्थानीय निकाय आवंटितियों से ` 2.25 करोड़ की राशि का दुकानों/भवन/बूथों का किराया वसूलने में विफल रहे।

हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1994 की धारा 258 (i) (ख) (2) में प्रावधान है कि कोई भी राशि जो नगर पालिका को देय है तथा उक्त देयता के पंद्रह दिनों बाद तक भुगतान किये बिना रहती है तो कार्यकारी अधिकारी/सचिव सम्बंधित व्यक्तियों को मांग हेतु चेतावनी जारी कर सकता है। अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि वसूली के लिए देय किसी भी तरह की राशि, संग्रहण के किसी अन्य रूप के पूर्वाग्रह बिना, भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जाएगी।

(i) यह देखने में आया था कि 11 शहरी स्थानीय निकायों में (पांच नगर परिषदें<sup>6</sup> तथा छः नगर पंचायतें<sup>7</sup>) इन शहरी स्थानीय निकायों के स्वामित्व वाली दुकानों/स्टालों के आवंटितियों से प्रति ` 1.71 करोड़ की राशि के किराया प्रभार मार्च 2012 (परिशिष्ट-19) तक वसूली हेतु लम्बित थे। इसके अतिरिक्त, 2012-13 के दौरान इन दुकानों/स्टालों के किरायेदारों/पट्टाधारियों से ` 1.51 करोड़ की मांग की गई थी। ` 3.22 करोड़ की कुल मांग में से केवल ` 1.13 करोड़ वसूल किये गए थे। मार्च 2013 तक ` 2.09 करोड़ की बकाया वसूली शेष रही। शहरी स्थानीय निकायों द्वारा बताया गया (अगस्त 2013 जनवरी 2014) कि चूककर्ताओं को चेतावनी जारी की जा चुकी थी तथा राशि शीघ्र ही वसूल कर ली जाएगी।

(ii) नगर परिषद् कुल्लू के भवन का भू-तल जिला निर्वाचन अधिकारी, कुल्लू को ` 7,500 के मासिक किराये पर दिया था (अप्रैल 2004)। इसकी अभिधारिता के समय से ही नगर परिषद् कुल्लू ने किराया वसूल नहीं किया था तथा दिसम्बर 2013 तक ` 8.78 लाख की राशि शेष थी। तथ्यों को स्वीकारते हुए कार्यकारी अधिकारी ने बताया (जनवरी 2014) कि किराये के निपटान हेतु सम्बंधित विभाग से मामला उठाया जाएगा। उत्तर यथार्थपूर्ण नहीं है क्योंकि नगर परिषद् द्वारा नौ वर्षों के बीत जाने के बावजूद किराये की मांग/वसूली हेतु किसी कार्रवाई की पहल नहीं किया जाना नगर परिषद् के अप्रभावी नियंत्रण तंत्र को दर्शाता है।

(iii) नगर परिषद् कुल्लू के पास 23 बूथ थे। ये बूथ विभिन्न व्यक्तियों को 2002 से किराये पर दिये गए थे। लेखापरीक्षा में पाया गया कि अप्रैल 2012 तक ` 5.79 लाख के बकाया बूथ किराये का अथ शेष था तथा 2012-13 की अवधि के दौरान ` 1.58 लाख की मांग की गई थी। तथापि, सम्बंधित अवधि के दौरान बूथ किराया संग्रहण केवल ` 0.15 लाख था जबकि मार्च 2013 तक ` 7.22 लाख का बकाया शेष रहा। वसूली की गति धीमी होने से चालू मांग की वसूली भी नहीं हुई थी। कार्यकारी अधिकारी ने बताया (जनवरी 2014) कि वसूली हेतु प्रभावशाली प्रयास किये जाएंगे।

<sup>6</sup> कुल्लू, नूरपुर, पांवटा साहिब, रामपुर तथा सोलन

<sup>7</sup> बंजार, दौलतपुर चौक, जोगिन्द्र नगर, कोटखाई, मेहतपुर तथा राजगढ़

#### 4.1.4 मोबाइल टावरों पर प्रतिष्ठापन/नवीकरण प्रभावों की वसूली न होना

नौ शहरी स्थानीय निकायों द्वारा मोबाइल टावरों पर प्रतिष्ठापन/नवीकरण प्रभावों की वसूली में विफलता के परिणामस्वरूप ` 8.90 लाख के राजस्व की हानि हुई।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने मोबाइल संप्रेषण टावरों के प्रतिष्ठापन पर ` 10,000 प्रति टावर की दर पर शुल्क तथा ` 5,000 की दर पर वार्षिक नवीकरण शुल्क उद्ग्रहित करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों को प्राधिकृत (अगस्त 2006) किया। नौ शहरी स्थानीय निकायों में 2004-13 के दौरान उनके क्षेत्राधिकार में मोबाइल टावर प्रतिष्ठापित किए गये थे परन्तु सम्बंधित शहरी स्थानीय निकायों द्वारा 86 टावरों के सम्बंध में मार्च 2013 तक ` 8.90 लाख के प्रभावों की वसूली नहीं की गई थी। सम्बंधित शहरी स्थानीय निकायों ने बताया (अगस्त 2013 से जनवरी 2014) कि बकायों की वसूली के लिए शीघ्र ही कार्रवाई की जाएगी।

#### 4.1.5 श्रम उपकर की वसूली न होना

नगर परिषद् सोलन द्वारा 2009-12 के दौरान ठेकेदारों से ` 2.17 लाख के श्रम उपकर की वसूली नहीं की थी जो उपकर अधिनियम, 1996 का उल्लंघन था।

भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 की अनुपालना में राज्य सरकार ने कुल निर्माण लागत के एक प्रतिशत की दर पर उपकर उद्ग्रहीत करने हेतु नियम बनाए (दिसम्बर 2008)। उन एकाकी रिहायशी आवासों जिनकी कुल निर्माण लागत ` 10 लाख से अधिक नहीं थी के अतिरिक्त प्रत्येक स्थापना जो किसी भवन अथवा अन्य निर्माण कार्यों में 10 अथवा अधिक कर्मियों को रोजगार देते हैं उपकर अधिनियम के अंतर्गत उपकर का भुगतान करने हेतु दायी है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2009-12 के दौरान नगर परिषद् सोलन द्वारा विभिन्न ठेकेदारों को नगर परिषद् क्षेत्र के भीतर उनके द्वारा परिचालित कार्यों के आधार पर ` 2.17 करोड़ का भुगतान किया था। तथापि, उपरोक्त अवधि के दौरान इन ठेकेदारों के बिलों से एक प्रतिशत उपकर ` 2.17 लाख नहीं काटा गया था। उपकर न काटा जाना उपरोक्त उपकर अधिनियम का उल्लंघन, ठेकेदार को अनुचित लाभ पहुंचाना था तथा परिणामतः निर्माण कामगारों के कल्याणकारी उपायों हेतु ` 2.17 लाख का प्रेषण भी नहीं हुआ। तथ्यों को स्वीकारते हुए नगर परिषद् के कार्यकारी अधिकारी ने बताया (नवम्बर 2013) कि भविष्य में ठेकेदार से राशि वसूल कर ली जाएगी। उत्तर व्याख्या नहीं करता है कि उपकर की अनिवार्य कटौती क्यों प्रभाव में नहीं लाई गई थी।

#### 4.1.6 नगरपालिका की दशहरा आमदनी की बकाया हिस्सेदारी

नगर परिषद् कुल्लू द्वारा दशहरा आमदनी की ` 60.53 लाख की नगरपालिका हिस्सेदारी वसूल नहीं की गई थी।

हिमाचल प्रदेश भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग के आदेश (अप्रैल 2005) के अनुसार नगर परिषद्, कुल्लू की कुल्लू दशहरा मेला में हुई कुल आमदनी में से 37 प्रतिशत की हकदारी थी। लेखापरीक्षा में पाया गया (जनवरी 2014) कि अप्रैल 2011 तक दशहरा आमदनी के रूप में ` 36.15 लाख का बकाया अथ शेष था तथा वर्ष 2011-12 के दौरान कुल आमदनी के 37 प्रतिशत के रूप में

₹ 59.38 लाख की हिस्सेदारी की मांग थी। तथापि, सम्बंधित वर्ष के दौरान जिला प्रशासन से केवल ₹ 35 लाख की राशि प्राप्त की थी। मार्च 2012 तक ₹ 60.53 लाख का बकाया शेष रहा। जनवरी 2014 तक बकाया राशि वसूल नहीं की गई थी जिससे नगर परिषद् राजस्व के अपने देय हिस्से से वंचित रह गया। कार्यकारी अधिकारी ने बताया (जनवरी 2014) कि दशहरा उत्सव की आमदनी की शेष हिस्सेदारी को जारी करने से सम्बंधित मामला जिला प्रशासन के समक्ष उठाया जाएगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि दशहरा उत्सव से राजस्व नगर परिषद् कुल्लू की आमदनी का एक प्रमुख स्रोत है। जिसे एक समयबद्ध तरीके से वसूल किया जाना चाहिए।

## 4.2 निधियों का अवरोधन

### 4.2.1 कार्य प्रारम्भ न होने के कारण निधियों का अवरोधन

अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि दो नगर परिषदों तथा तीन नगर पंचायतों में 2008-13 के दौरान विभिन्न विकासशील कार्यों हेतु ₹ 1.38 करोड़<sup>8</sup> की राशि की निधियां उपलब्ध थी। यह देखने में आया था कि मार्च 2014 तक कार्य निष्पादन पर कोई व्यय नहीं हुआ था। अतः, विकासशील कार्यों पर निधियों की गैर-प्रयोज्यता के परिणामस्वरूप निधियों का अनावश्यक अवरोधन हुआ तथा सम्बंधित लाभार्थी अभिप्रेत लाभों से वंचित भी रहे। सम्बंधित शहरी स्थानीय निकायों के कार्यकारी अधिकारियों ने बताया (अक्टूबर 2013 जनवरी 2014) कि भू-विवाद, संहिता औपचारिकताओं के पूर्ण न होने तथा तकनीकी स्टाफ की कमी आदि के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं किये जा सके थे। उत्तर यथार्थपूर्ण नहीं है क्योंकि ऐसे मामलों का कार्य संस्वीकृति तथा निधियन अभिकरणों से निधियां जारी करने से पूर्व समाधान किया जाना चाहिए।

### 4.2.2. एकीकृत आवासीय एवं झुग्गी विकास कार्यक्रम निधियों का अवरोधन

नगर परिषद् सोलन के एकीकृत आवासीय एवं झुग्गी विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यों के निष्पादन करने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 79.85 लाख की निधियों का अवरोधन हुआ।

भारत सरकार द्वारा जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत देश के शहरों/कस्बों में झुग्गियों के सुधार हेतु 'एकीकृत आवासीय एवं झुग्गी विकास कार्यक्रम' शुरू किया गया है। भारत सरकार द्वारा एकीकृत आवासीय एवं झुग्गी विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सोलन जिला हेतु ₹ 9.58 करोड़ केन्द्र तथा राज्य सरकार के मध्य 90:10 के लागतांश के आधार पर संस्वीकृत किये (2007-08)।

लेखापरीक्षा में पाया गया (नवम्बर 2013) कि परियोजना लागत के अनुमोदित ₹ 9.58 करोड़ में से हिमाचल प्रदेश शहरी विकास प्राधिकरण ने एक नोडल अभिकरण की हैसियत से एकीकृत आवासीय एवं झुग्गी विकास कार्यक्रम की प्रथम किस्त के रूप में 84 रिहायशी इकाइयों के निर्माण हेतु ₹ 85.59 लाख की राशि जारी की (जुलाई 2012)। इसमें से नगर परिषद् ने हिमाचल प्रदेश शहरी विकास प्राधिकरण को आकलनों आदि बनाने हेतु ₹ 5.74 लाख के प्रभारों का भुगतान किया। तथापि, प्रथम किस्त जारी किये जाने

<sup>8</sup> नगर परिषद् कुल्लू: ₹ 13.96 लाख, नगर परिषद् पांवटा साहिब: ₹ 79.50 लाख, नगर पंचायत राजगढ़: ₹ 3.84 लाख, नगर पंचायत मेहतपुर: ₹ 9.95 लाख तथा नगर पंचायत कोटखाई: ₹ 31.11 लाख

की तिथि से एक वर्ष बीत जाने के बाद भी नवम्बर 2013 तक परियोजना पर कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ जिसका कारण नगर परिषद् में तकनीकी स्टाफ की कमी को बताया गया। परिणामस्वरूप, शेष ` 79.85 लाख की राशि नगर परिषद् के पास अवरोधित रही जिसके परिणामस्वरूप लाभार्थी अभिप्रेत लाभों से वंचित रहे।

तथ्यों को स्वीकारते हुए कार्यकारी अधिकारी ने बताया (नवम्बर 2013) कि कार्य के निष्पादन हेतु राशि को हिमाचल प्रदेश शहरी विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव सदन के समक्ष रखा गया था। उत्तर यथार्थवादी नहीं है क्योंकि नगर परिषद् ने निधियों की प्राप्ति के एक वर्ष बीतने के बाद भी अनुदानों को वापिस नहीं किया था।

### 4.3 निष्फल व्यय

**नगर पंचायत कोटखाई द्वारा हाइड्रोलिक टिप्पर की खरीद पर किया गया ` 7.68 लाख का व्यय निष्फल साबित हुआ।**

निदेशक, शहरी विकास, शिमला ने नगर पंचायत कोटखाई को नगर पालिका कचरे के निपटान हेतु हाइड्रोलिक टिप्पर की खरीद हेतु ` 5.50 लाख की राशि इस शर्त पर जारी की (जुलाई 2009) कि अतिरिक्त निधियों का नगर पंचायत द्वारा स्वतः प्रबंध किया जाएगा। नगर पंचायत कोटखाई ने अक्टूबर 2010 में ` 7.68 लाख की लागत पर एक हाइड्रोलिक टिप्पर की खरीद की।

लेखापरीक्षा के दौरान यह देखने में आया कि चालक की अनुपलब्धता के कारण नवम्बर 2013 तक हाइड्रोलिक टिप्पर प्रयोग में नहीं लाया जा सका। नगर पंचायत द्वारा चालक की सेवाएं सुनिश्चित किए बिना हाइड्रोलिक टिप्पर की खरीद करने से न केवल ` 7.68 लाख का निष्फल व्यय हुआ बल्कि समय के साथ-साथ परिसम्पत्ति के हास का कारण भी बना। नगर पंचायत के सचिव ने बताया (नवम्बर 2013) कि हाइड्रोलिक टिप्पर की खरीद निधियों के आवंटन के आधार पर की गई थी तथा बार-बार अनुरोध किये जाने के बावजूद भी राज्य सरकार द्वारा न तो चालक के पद का सृजन किया और न ही दैनिक आधार पर चालक को नियुक्त करने की स्वीकृति दी गई। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वाहन की खरीद से पहले इस पहलू पर विचार किया जाना चाहिए था।

### 4.4 अविवेकपूर्ण व्यय

**नगर परिषद् चम्बा द्वारा अविवेकपूर्ण तरीके से सफाई एवं कचरा संग्रहण कार्य को बाह्य स्रोतों से करवाने के परिणामस्वरूप ` 41.71 लाख की हानि हुई।**

नगर परिषद् चम्बा द्वारा नगर परिषद् क्षेत्र के भीतर कचरे की सफाई, संग्रहण एवं निपटान हेतु 38 व्यक्तियों के स्टाफ की संस्वीकृति दी गई। इनमें से मई 2011 तक 28 व्यक्ति तैनात थे।

तथापि, यह देखने में आया कि नगर परिषद् ने नगर परिषद् क्षेत्र के भीतर सफाई, कचरे के संग्रहण एवं प्रसाधनों की सफाई के कार्य हेतु इस उद्देश्यार्थ पर्याप्त स्टाफ के होते हुए भी बाह्य स्रोत को देने का निश्चय किया (मई 2011)। कार्य एक वर्ष की अवधि हेतु 01 अगस्त 2011 से 31 जुलाई 2012 तक ` 26.36 लाख में एक ठेकेदार को बाह्य स्रोत के रूप में दिया गया जिसे 31 मार्च 2013 तक बढ़ाया गया था। नगर परिषद् द्वारा बाह्य स्रोत व्यक्तियों पर ` 41.71 लाख व्यय करने के अतिरिक्त ` 92.51 लाख का व्यय अपने स्टाफ के वेतन एवं भत्तों पर किया गया जो बाह्य स्रोत के रूप में कार्य करने वाले कामगारों के आने से उपरोक्त अवधि के दौरान

खाली रहे। अतः नगर परिषद् द्वारा कार्य को अविवेकपूर्ण रूप से बाह्य स्रोत को देने के कारण ` 41.71 लाख का परिहार्य व्यय हुआ।

कार्यकारी अधिकारी ने बताया (मई 2013) कि सफाई, कचरा संग्रहण, आदि, कार्य नगर परिषद् सदन के निर्णयानुसार बाह्य स्रोत को दिया गया था। इसके अतिरिक्त यह बताया गया कि नगर परिषद् का क्षेत्र विखरा होने के कारण नगर परिषद् के स्थाई सफाई स्टाफ द्वारा सफाई तथा कचरा संग्रहण का कार्य उचित तरीके से नहीं किया गया था। उत्तर यथार्थपूर्ण नहीं है क्योंकि सदन के निर्णय ने नगर परिषद् पर अतिरिक्त परिहार्य बोझ डाला।

#### 4.5 परिसम्पत्तियों का प्रयोग न किया जाना

**नगर परिषद् कुल्लू द्वारा ` 11.13 लाख की लागत पर निर्मित रैन बसेरा भवन का दुरुपयोग किया गया था।**

निर्धन झुग्गी वासियों को रैन बसेरा सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से नगर परिषद् कुल्लू ने नेहरू पार्क के नजदीक रैन बसेरा भवन का ` 11.13 लाख (राज्य: ` 9.00 लाख तथा स्वत्व निधियां: ` 2.13 लाख) की लागत पर निर्माण करवाया (फरवरी 2007)। रैन बसेरा नगर परिषद् द्वारा स्वयं चलाया/प्रबंधित किया जाना था। तथापि, यह देखने में आया था कि निर्धनों को वहन की जाने वाली दरों पर रैन बसेरा सुविधा उपलब्ध करवाने में प्रयोग में लिये जाने के बजाय उक्त को ` 0.55 लाख के मासिक किराये पर भारतीय स्टेट बैंक को किराये पर दिया गया था (जून 2012)। इससे न केवल रैन बसेरा का उद्देश्य जिसके लिए यह निर्मित किया गया था निष्फल रहा बल्कि वाणिज्यिक लाभ लेने हेतु रैन बसेरा भवन का दुरुपयोग भी किया। कार्यकारी अधिकारी ने बताया (जनवरी 2014) कि नगर परिषद् के लिए अतिरिक्त आय कमाने के उद्देश्य से रैन बसेरा का वाणिज्यिक रूप से प्रयोग किया था। उत्तर यथार्थवादी नहीं है क्योंकि रैन बसेरा को निर्मित करने का मूल उद्देश्य विफल हो गया।

#### 4.6 निधियों का उपयोग न होना

**नगर परिषद् कुल्लू द्वारा ` 1.24 करोड़ की सरकारी निधियों का उपयोग नहीं किया।**

लेखापरीक्षा में पाया गया (जनवरी 2014) कि नगर परिषद् कुल्लू द्वारा निदेशक, शहरी विकास विभाग से मई 2011 तथा नवम्बर 2012 के मध्य ` 1.24 करोड़ राशि के अनुदान प्राप्त किये गए थे। इन अनुदानों का उपयोग संस्वीकृति की तिथि से एक वर्ष के भीतर सड़कों में रख रखाव, पाकों के निर्माण, जल निकास, ठोस कचरा प्रबंधन, आदि, हेतु किया जाना था परन्तु जनवरी 2014 तक कार्यों के निष्पादन न होने के कारण निधियां उपयोग में नहीं लाई गई थी। सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई गई निधियां नगर परिषद् द्वारा परिचालित बैंक खाते में पड़ी रही थी। अभिप्रेत उद्देश्य हेतु अनुदानों के उपयोग न किये जाने से न केवल सरकारी निधियों का अवरोधन हुआ बल्कि जन सामान्य को कार्यों/स्कीमों के अभिप्रेत लाभों से भी वंचित रखा गया। कार्यकारी अधिकारी ने बताया (जनवरी 2014) कि अनुदान बिल्कुल अंतिम समय में प्राप्त हुए थे अतः उपयोग नहीं किये जा सके। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उक्त अनुदानों की प्राप्ति से दो से तीन वर्षों की अवधि पहले ही बीत चुकी है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष दिसम्बर 2014 में सरकार को प्रेषित कर दिये गए थे। उत्तर प्रतीक्षित था (मई 2015)।

शिमला  
दिनांक

(राम मोहन जौहरी)  
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)  
हिमाचल प्रदेश

## परिशिष्ट-1

(संदर्भ परिच्छेद 1.3.2; पृष्ठ 3)

पंचायती राज संस्थाओं के संस्वीकृत पद एवं पदासीन कर्मी

(संख्या)

क्रमांक	पद का नाम	संस्वीकृत पद		पदासीन		मार्च 2014 तक रिक्त पद
		नियमित	संविदा	नियमित	संविदा	
1.	कनिष्ठ अभियंता	112	75	112	65	10
2.	सहायक अभियंता	2	2	2	1	1
3.	टेलरिंग शिक्षक	-	2102	-	2102	-
4.	पंचायत सहायक	-	2522	-	2277	245
5.	कनिष्ठ लेखाकार	8	2	8	2	-
6.	कनिष्ठ स्केल स्टेनो	8	4	8	4	-
7.	लिपिक	12	-	07	-	05
8.	चालक	12	-	09	-	03
9.	चपरासी	12	-	12	-	-
योग		166	4707	158	4451	264

## परिशिष्ट-2

(संदर्भ परिच्छेद 1.6 तथा 3.5; पृष्ठ 6 तथा 21)

### लेखापरीक्षा व्याप्ति 2013-14 के दौरान लेखापरीक्षित पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों का विवरण

#### जिला परिषद्

क्रमांक	जिला परिषदों का नाम
1.	लाहौल एवं स्पिति
2.	शिमला
3.	कुल्लू
4.	किन्नौर स्थित रिकांगपिओ
5.	सिरमौर
6.	कांगड़ा
7.	बिलासपुर
8.	मंडी
9.	ऊना
10.	सोलन

#### पंचायत समितियां

क्रमांक	पंचायत समिति का नाम
1.	लाहौल तथा स्पिति
2.	कुनिहार
3.	ठियोग
4.	नूरपुर
5.	नालागढ़
6.	चौपाल
7.	कण्डाघाट
8.	सुलह
9.	पूह
10.	पद्धर
11.	भवारना
12.	बैजनाथ
13.	पंचरूखी
14.	पांवटा साहिब
15.	भटियात
16.	हमीरपुर
17.	रैत
18.	कांगड़ा
19.	चम्बा
20.	नगरोटा बगवां

#### ग्राम पंचायतें

क्रमांक	ग्राम पंचायतें	खण्ड का नाम	जिला का नाम
1.	गरिमा	भरमौर	चम्बा
2.	कुलेठ	भरमौर	चम्बा
3.	तून्दाह	भरमौर	चम्बा
4.	दुर्गेठी	भरमौर	चम्बा
5.	लामू	भरमौर	चम्बा
6.	जगत	भरमौर	चम्बा
7.	उल्लांसा	भरमौर	चम्बा
8.	सियूर	भरमौर	चम्बा
9.	कुटेहड	भरमौर	चम्बा
10.	सांघ	भरमौर	चम्बा
11.	टिकरी	चम्बा	चम्बा
12.	चण्डी	चम्बा	चम्बा
13.	राजपुरा	चम्बा	चम्बा
14.	काण्डला	चम्बा	चम्बा
15.	साहो	चम्बा	चम्बा
16.	पल्युर	चम्बा	चम्बा
17.	चिहल बंगला	चम्बा	चम्बा
18.	साच	चम्बा	चम्बा
19.	पंजोह	चम्बा	चम्बा
20.	पलूही	चम्बा	चम्बा
21.	सपरोट	तीसा	चम्बा
22.	तीसा-1	तीसा	चम्बा
23.	सेईकोठी	तीसा	चम्बा
24.	तीसा -2	तीसा	चम्बा
25.	देवीकोठी	तीसा	चम्बा
26.	जुनास	तीसा	चम्बा
27.	दियोला	तीसा	चम्बा
28.	चारोरी	तीसा	चम्बा
29.	भराडा	तीसा	चम्बा
30.	भंजराड	तीसा	चम्बा
31.	बजडोह	बमसन	हमीरपुर
32.	बजरोल	बमसन	हमीरपुर
33.	बाकरी	बमसन	हमीरपुर
34.	बाल्ह	हमीरपुर	हमीरपुर
35.	द्रोगन पट्टी कोट	हमीरपुर	हमीरपुर
36.	ब्राहलड़ी	हमीरपुर	हमीरपुर
37.	अवैरी	बैजनाथ	कांगड़ा
38.	बाही	बैजनाथ	कांगड़ा
39.	बीड	बैजनाथ	कांगड़ा
40.	चोबीन	बैजनाथ	कांगड़ा
41.	दियोल	बैजनाथ	कांगड़ा
42.	चोगान	बैजनाथ	कांगड़ा
43.	आयमा	भवारना	कांगड़ा



क्रमांक	ग्राम पंचायतें	खण्ड का नाम	जिला का नाम
44.	आठ झिकली	भवारना	कांगड़ा
45.	बगौड़ा	भवारना	कांगड़ा
46.	अघार	नूरपुर	कांगड़ा
47.	बडूही	नूरपुर	कांगड़ा
48.	बतराहन	नूरपुर	कांगड़ा
49.	गेही लागोड़	नूरपुर	कांगड़ा
50.	डन्नी	नूरपुर	कांगड़ा
51.	बलेटा	नूरपुर	कांगड़ा
52.	छतरोली	नूरपुर	कांगड़ा
53.	खेल	नूरपुर	कांगड़ा
54.	चरूडी	नूरपुर	कांगड़ा
55.	छत्तर	नूरपुर	कांगड़ा
56.	छत्तर जोगीया	नूरपुर	कांगड़ा
57.	धनेटी गरला	नूरपुर	कांगड़ा
58.	हड्डल	नूरपुर	कांगड़ा
59.	हाथीधार	नूरपुर	कांगड़ा
60.	छितकुल	कल्पा	किन्नौर
61.	शोंग	कल्पा	किन्नौर
62.	रकछम	कल्पा	किन्नौर
63.	चांगों	पूह	किन्नौर
64.	विशालाधार	आनी	कुल्लू
65.	बनोगी	बंजार	कुल्लू
66.	बड़ा भुईन	कुल्लू	कुल्लू
67.	बडहर	कुल्लू	कुल्लू
68.	बशौना	कुल्लू	कुल्लू
69.	बड़गरा	नग्गर	कुल्लू
70.	अरछंडी	नग्गर	कुल्लू
71.	नालदा	केलांग	लाहौल तथा स्पिति
72.	शानशा	केलांग	लाहौल तथा स्पिति
73.	तावो	स्पिति	लाहौल तथा स्पिति
74.	मसौली	द्रंग	मण्डी
75.	लटरान	द्रंग	मण्डी
76.	शिलग	द्रंग	मण्डी
77.	सिंयून	द्रंग	मण्डी
78.	तरस्वान	द्रंग	मण्डी
79.	सील्ह बुधानी	द्रंग	मण्डी
80.	चाकली	नाहन	सिरमौर
81.	ददाहू	नाहन	सिरमौर
82.	बिरला	नाहन	सिरमौर
83.	बदरीपुर	पांवटा साहिब	सिरमौर
84.	अम्बोया	पांवटा साहिब	सिरमौर
85.	अमरकोट	पांवटा साहिब	सिरमौर
86.	अंधेरी	संग्राह	सिरमौर
87.	बडोल	संग्राह	सिरमौर

क्रमांक	ग्राम पंचायतें	खण्ड का नाम	जिला का नाम
88.	बडलग	धर्मपुर	सोलन
89.	बदियां	धर्मपुर	सोलन
90.	बनासर	धर्मपुर	सोलन
91.	चायल	कण्डाघाट	सोलन
92.	बीशा	कण्डाघाट	सोलन
93.	अन्हेच	सोलन	सोलन
94.	बड़ोग	सोलन	सोलन
95.	अंदौरा अप्पर	अम्ब	ऊना
96.	बढ़माना	अम्ब	ऊना
97.	दुहल भटवाला	अम्ब	ऊना
98.	भगरोह	अम्ब	ऊना
99.	घंगरेट	अम्ब	ऊना
100.	गिदपुर मलौन	अम्ब	ऊना
101.	दियाडा	अम्ब	ऊना
102.	बहूडी	बंगाणा	ऊना
103.	बैरियां	बंगाणा	ऊना
104.	बलागढ	बंगाणा	ऊना
105.	बल्ह	बंगाणा	ऊना
106.	अभयपुर	गगरेट	ऊना
107.	अम्बोया	गगरेट	ऊना
108.	बडोह	गगरेट	ऊना
109.	भांजाल लोअर	गगरेट	ऊना
110.	भांजाल अप्पर	गगरेट	ऊना
111.	भद्रकाली	गगरेट	ऊना
112.	भदौडी	हरोली	ऊना
113.	बढेड़ा	हरोली	ऊना
114.	भडियारा	हरोली	ऊना
115.	बालीवाल	हरोली	ऊना
116.	बाथडी	हरोली	ऊना
117.	चांदपुर	हरोली	ऊना
118.	छेत्रां	हरोली	ऊना

### नगर निगम

क्रमांक	नगर निगम का नाम
1.	शिमला

### नगर परिषद्

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम
1.	हमीरपुर
2.	चम्बा
3.	पांवटा साहिब
4.	नालागढ़
5.	सोलन
6.	कांगड़ा
7.	रामपुर
8.	नूरपुर
9.	कुल्लू

### नगर पंचायत

क्रमांक	नगर पंचायत का नाम
1.	बंजार
2.	देहरा
3.	राजगढ़
4.	मेहतपुर
5.	कोटखाई
6.	दौलतपुर चौक
7.	जोगिन्द्र नगर

## परिशिष्ट-3

(संदर्भ परिच्छेद 1.7.2; पृष्ठ 7)

बजट आकलनों को तैयार न करना

(₹ लाख)

क्रमांक	पंचायत समितियों का नाम	अवधि	व्ययित राशि
1.	भवारना	2008-09	69.57
		2009-10	94.07
		2010-11	107.36
2.	चम्बा	2010-11	40.97
		2012-13	61.51
3.	ठियोग	2010-11	29.02
		2011-12	58.22
		2012-13	54.72
4.	सुलह	2010-11	39.71
		2011-12	63.18
		2012-13	87.87
5.	पांवटा साहिब	2011-12	235.06
		2012-13	198.34
6.	हमीरपुर	2009-10	90.96
		2010-11	44.82
		2011-12	90.22
		योग (पंचायत समितियां)	1365.60

ग्राम पंचायतें

क्रमांक	ग्राम पंचायतें	खण्ड का नाम	जिला का नाम	अवधि	राशि
1.	तीसा-II	तीसा	चम्बा	2008-09	9.00
				2009-10	1.00
				2011-12	6.50
2.	तून्दाह	भरमौर	चम्बा	2008-13	लागु नहीं
3.	कान्डला	चम्बा	चम्बा	2008-13	33.98
4.	चण्डी	चम्बा	चम्बा	2008-13	39.15
5.	टिकरी	चम्बा	चम्बा	2009-11	62.35
6.	अमरकोट	पांवटा साहिब	सिरमौर	2008-13	12.37
7.	चुराड़ी	नूरपुर	कांगड़ा	2010-13	28.95
योग (ग्राम पंचायतें)					193.30
सकल योग					1558.90

स्रोत: लेखापरीक्षा निष्कर्ष

#### परिशिष्ट-4

(संदर्भ परिच्छेद 1.7.3; पृष्ठ 8)

पंचायत समितियां एवं ग्राम पंचायत जिन्होंने अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया था, की सूची

##### पंचायत समितियां

क्रमांक	पंचायत समितियां	जिला
1.	कांगड़ा	कांगड़ा
2.	नगरोटा बगवां	कांगड़ा
3.	हमीरपुर	हमीरपुर

##### ग्राम पंचायत

क्रमांक	ग्राम पंचायतों	खण्ड का नाम	जिला का नाम
1.	पंजोह	चम्बा	चम्बा
2.	जगत	भरमौर	चम्बा
3.	सियूर	भरमौर	चम्बा
4.	तून्दाह	भरमौर	चम्बा
5.	सपरोट	तीस्सा	चम्बा
6.	पलयूर	चम्बा	चम्बा
7.	साहो	चम्बा	चम्बा
8.	चिहल बंगला	चम्बा	चम्बा
9.	पलूही	चम्बा	चम्बा
10.	कुठेहड़	भरमौर	चम्बा
11.	साहा	भरमौर	चम्बा
12.	चण्डी	चम्बा	चम्बा
13.	साच	चम्बा	चम्बा
14.	ददाहू	नाहन	सिरमौर
15.	बडोल	संग्राह	सिरमौर
16.	चायल	कण्डाघाट	सोलन
17.	बेरियां	धर्मपुर	सोलन
18.	बधमाना	अम्ब	ऊना
19.	बड़ा भुईन	कुल्लू	कुल्लू
20.	बडहर	कुल्लू	कुल्लू
21.	बशौना	कुल्लू	कुल्लू
22.	विशलाधार	आनी	कुल्लू
23.	बालागढ	बंजार	कुल्लू
24.	अर्चण्डी	नगगर	कुल्लू
25.	बड़ाग्रां	नगगर	कुल्लू

क्रमांक	ग्राम पंचायतों	खण्ड का नाम	जिला का नाम
26.	धनेटी गारलां	नूरपुर	कांगड़ा
27.	हाथीधार	नूरपुर	कांगड़ा
28.	डन्नी	नूरपुर	कांगड़ा
29.	छरोली	नूरपुर	कांगड़ा
30.	अघार	नूरपुर	कांगड़ा
31.	छत्तर जोगियां	नूरपुर	कांगड़ा
32.	चरूडी	नूरपुर	कांगड़ा
33.	छत्तर	नूरपुर	कांगड़ा
34.	चौबीन	बैजनाथ	कांगड़ा
35.	दियोल	बैजनाथ	कांगड़ा
36.	मसौली	द्रंग स्थित पद्धर	मण्डी
37.	लटराण	द्रंग स्थित पद्धर	मण्डी
38.	सिलग	द्रंग स्थित पद्धर	मण्डी
39.	सियूह	द्रंग स्थित पद्धर	मण्डी
40.	तरसवान	द्रंग स्थित पद्धर	मण्डी
41.	छितकुल	कल्पा	किन्नौर
42.	शौंग	कल्पा	किन्नौर
43.	रकछम	कल्पा	किन्नौर
44.	चांगों	पूह	किन्नौर
45.	अवेरी	बैजनाथ	कांगड़ा
46.	भगड़ा	भवारना	कांगड़ा
47.	अठ झिकली	भवारना	कांगड़ा
48.	चुगान	बैजनाथ	कांगड़ा
49.	ताबो	काजा	लाहौल तथा स्पिति
50.	नालड़ा	केलांग	लाहौल तथा स्पिति
51.	शान्शा	केलांग	लाहौल तथा स्पिति
52.	द्रोगन पट्टीकोट	हमीरपुर	हमीरपुर
53.	ब्राहलाडी	हमीरपुर	हमीरपुर

स्रोत: लेखापरीक्षा निष्कर्ष

## परिशिष्ट-5

(संदर्भ परिच्छेद 1.7.4; पृष्ठ 8)

अपने संसाधनों तथा सहायता अनुदानों से आय के लेखा का अनुचित रख-रखाव

क्रमांक	पंचायत समिति	जिला
1.	बैजनाथ	कांगड़ा
2.	कांगड़ा	कांगड़ा
3.	पछाड़	सिरमौर
4.	सुलह	कांगड़ा
5.	नगरोटा बगवां	कांगड़ा

क्रमांक	ग्राम पंचायतें	खण्ड	जिला
1.	चील बंगला	चम्बा	चम्बा
2.	बडोल	संग्राह	सिरमौर
3.	अन्धेरी	संग्राह	सिरमौर
4.	बडोग	सोलन	सोलन
5.	बीशा	कण्डाघाट	सोलन
6.	बड़ा भुईन	कुल्लू	कुल्लू
7.	विशलाधार	आनी	कुल्लू
8.	बनोगी	बंजार	कुल्लू
9.	बालागढ	बंजार	कुल्लू
10.	अर्चण्डी	नगगर	कुल्लू
11.	बडाग्रां	नगगर	कुल्लू
12.	बधमाना	अम्ब	ऊना
13.	गिन्दपुर मलौन	अम्ब	ऊना
14.	दियाड़ा	अम्ब	ऊना
15.	हडल	नूरपुर	कांगड़ा
16.	चौबीन	बैजनाथ	कांगड़ा
17.	अवेरी	बैजनाथ	कांगड़ा
18.	बही	बैजनाथ	कांगड़ा
19.	बगोड़ा	बैजनाथ	कांगड़ा
20.	अर्ठ झिकली	भवारना	कांगड़ा
21.	आईमा	भवारना	कांगड़ा
22.	सौंग	कल्पा	किन्नौर

## परिशिष्ट- 6

(संदर्भ परिच्छेद 1.7.5; पृष्ठ 8)

रोकड़ बहियों के साथ बैंकपास बुकों के मध्य के अंतर का मिलान न होना

मामले जहां पास बुक रोकड़ बही से कम शेष दर्शाती है।

## जिला परिषद्

(₹ लाख)

क्रमांक	जिला परिषद् का नाम	31 मार्च 2013 को पास बुक के अनुसार शेष	31 मार्च 2013 को रोकड़ बही के अनुसार शेष	अंतर
1.	कांगड़ा	363.80	2033.19	1669.39
योग		363.80	2033.19	1669.39

## पंचायत समितियां

क्रमांक	पंचायत समितियों का नाम	31 मार्च 2013 को पास बुक के अनुसार शेष	31 मार्च 2013 को रोकड़ बही के अनुसार शेष	अंतर
1.	चम्बा	23.98	37.89	13.91
2.	कण्डाघाट	47.96	57.22	9.26
3.	भावारना	103.60	108.52	4.92
योग		175.54	203.63	28.09

## ग्राम पंचायतें

क्रमांक	ग्राम पंचायतें	खण्ड का नाम	जिला का नाम	31 मार्च 2013 को पास बुक के अनुसार शेष	31 मार्च 2013 को रोकड़ बही के अनुसार शेष	अंतर
1.	जगत	भरमौर	चम्बा	8.98	10.01	1.03
2.	तूँदाह	भरमौर	चम्बा	7.03	8.20	1.17
3.	साह	भरमौर	चम्बा	8.47	10.24	1.77
4.	काण्डला	चम्बा	चम्बा	2.93	3.16	0.23
5.	लामू	भरमौर	चम्बा	5.31	5.35	0.04
6.	अम्बोया	पाँवटा साहिब	सिरमौर	2.68	20.71	18.03
7.	अंधेरी	संगडाह	सिरमौर	13.67	13.83	0.16
8.	चारुड़ी	नूरपुर	कांगड़ा	5.11	7.92	2.81
9.	खेल	नूरपुर	कांगड़ा	4.52	6.29	1.77
10.	घनेटी	नूरपुर	कांगड़ा	2.06	3.32	1.26
11.	चौगान	बैजनाथ	कांगड़ा	5.32	6.41	1.09
12.	मसौली	द्रंग	मण्डी	12.19	12.78	0.59
13.	तरस्वान	द्रंग	मण्डी	6.27	10.05	3.78
योग				84.54	118.27	33.73
सकल योग				623.88	2355.09	1731.21



मामले जहां रोकड़ बही पास बुक से कम शेष दर्शाती है

(` लाख)

पंचायत समितियां

क्रमांक	पंचायत समितियों के नाम	31 मार्च 2013 को पास बुक के अनुसार शेष	31 मार्च 2013 को रोकड़ बही के अनुसार शेष	अंतर
1.	ठियोग	71.80	66.95	4.85
2.	कांगड़ा	95.86	91.30	4.56
3.	सुलह	88.14	82.57	5.57
4.	नगरोटा	75.76	42.79	32.97
5.	हमीरपुर	24.25	14.41	9.84
योग		355.81	298.02	57.79

ग्राम पंचायत

क्रमांक	ग्राम पंचायते	खण्ड का नाम	जिला का नाम	31 मार्च 2013 को पास बुक के अनुसार शेष	31 मार्च 2013 को रोकड़ बही के अनुसार शेष	अंतर
1.	पंजोह	चम्बा	चम्बा	14.18	2.03	12.15
2.	सियूर	भरमौर	चम्बा	4.00	2.25	1.75
3.	सपरोट	तीसा	चम्बा	6.54	4.49	2.05
4.	पलयूर	चम्बा	चम्बा	15.71	14.87	0.84
5.	साहो	चम्बा	चम्बा	30.54	27.28	3.26
6.	चील बंगला	चम्बा	चम्बा	4.38	2.42	1.96
7.	कुटेहर	भरमौर	चम्बा	4.31	4.18	0.13
8.	चण्डी	चम्बा	चम्बा	6.27	2.34	3.93
9.	टिक्करी	चम्बा	चम्बा	14.96	14.60	0.36
10.	राजपुरा	चम्बा	चम्बा	8.61	8.09	0.52
11.	दुरघाटी	भरमौर	चम्बा	16.40	10.57	5.83
12.	पलुही	चम्बा	चम्बा	12.39	10.77	1.62
13.	साच	चम्बा	चम्बा	4.42	0.54	3.88
14.	ऊलासा	भरमौर	चम्बा	14.98	12.40	2.58
15.	बद्रीपुर	पांवटा साहिब	सिरमौर	7.78	3.26	4.52
16.	बडोल	संग्राह	सिरमौर	5.06	2.82	2.24
17.	अमरकोट	पांवटा साहिब	सिरमौर	19.14	11.77	7.37
18.	अनहेच	सोलन	सोलन	1.34	0.95	0.39
19.	बधमाना	अम्ब	ऊना	11.50	-	11.50
20.	डुहल भटवाला	अम्ब	ऊना	11.90	-	11.90
21.	भांजल	गगरेट	कांगड़ा	0.56	0.41	0.15
22.	दयोल	बैजनाथ	कांगड़ा	4.01	1.50	2.51
23.	चौबीन	बैजनाथ	कांगड़ा	11.18	9.98	1.20
24.	अधार	नुरपूर	कांगड़ा	4.88	4.85	0.03
25.	छत्तर	नुरपूर	कांगड़ा	7.23	6.77	0.46

क्रमांक	ग्राम पंचायते	खण्ड का नाम	जिला का नाम	31 मार्च 2013 को पास बुक के अनुसार शेष	31 मार्च 2013 को रोकड़ बही के अनुसार शेष	अंतर
26.	गहीन लगोड	नुरपूर	कांगड़ा	3.46	0.61	2.85
27.	छरोली	नुरपूर	कांगड़ा	6.12	5.42	0.70
28.	बतराहन	नुरपूर	कांगड़ा	0.77	0.46	0.31
29.	अवेरी	बैजनाथ	कांगड़ा	6.50	-	6.50
30.	बीड़	बैजनाथ	कांगड़ा	0.76	-	0.76
31.	बगोडा	भवारना	कांगड़ा	1.80	-	1.80
32.	बाही	बैजनाथ	कांगड़ा	3.26	-	3.26
33.	सौंग	कल्पा स्थित रिकांग पिओ	किन्नौर	25.36	-	25.36
34.	रकछम	कल्पा स्थित रिकांग पिओ	किन्नौर	12.48	-	12.48
35.	छितकुल	कल्पा स्थित रिकांग पिओ	किन्नौर	5.23	-	5.23
36.	ताबो	स्पति	लाहौल तथा स्पति	9.07	4.50	4.57
योग				<b>317.08</b>	<b>170.13</b>	<b>146.95</b>
सकल योग				<b>672.89</b>	<b>468.15</b>	<b>204.74</b>

#### रोकड़ बही एवं पास बुक के मध्य अन्तर का सार

क्रमांक	इकाई का प्रकार	इकाइयों की संख्या	रोकड़ बही एवं पास बुक के मध्य अन्तर
1.	जिला परिषद्	1	1669.39
2.	पंचायत समिति	8	85.88
3.	ग्राम पंचायत	49	180.68
सकल योग		<b>58</b>	<b>1935.95</b>

स्रोत: लेखापरीक्षा निष्कर्ष

## परिशिष्ट-7

(संदर्भ परिच्छेद 1.7.6; पृष्ठ 9)

### सामग्री का लेखांकन न करना

(`लाख)

#### जिला परिषद्

क्रमांक	जिला परिषद् का नाम	खरीद की अवधि	राशि
1.	कांगड़ा	2012-13	0.46
योग			0.46

#### पंचायत समितियां

क्रमांक	पंचायत समिति का नाम	खरीद की अवधि	राशि
1.	हमीरपुर	2011-12	0.50
योग			0.50

#### ग्राम पंचायत

क्रमांक	ग्राम पंचायत	खण्ड का नाम	जिला का नाम	खरीद की अवधि	राशि
1.	पंजोह	चम्बा	चम्बा	2008-13	3.61
2.	देयोल	तीसा	चम्बा	2008-12	2.37
3.	जुनेश	तीसा	चम्बा	2007-11	1.77
4.	चरोड़ी	तीसा	चम्बा	2008-11	3.22
5.	सेयकोठी	तीसा	चम्बा	2010-12	3.57
6.	तीसा - II	तीसा	चम्बा	2009-12	5.86
7.	भजराड़ो	तीसा	चम्बा	2008-12	2.11
8.	पलयूर	चम्बा	चम्बा	2008-12	8.64
9.	साहो	चम्बा	चम्बा	2008-12	6.87
10.	चील बंगला	चम्बा	चम्बा	2007-11	5.13
11.	भराड़ा	तीसा	चम्बा	2008-12	1.61
12.	कांडला	चम्बा	चम्बा	2008-13	3.98
13.	तीसा - I	तीसा	चम्बा	2008-13	1.72
14.	चण्डी	चम्बा	चम्बा	2008-13	5.44
15.	टिकरी	चम्बा	चम्बा	2008-13	2.12
16.	राजपुरा	चम्बा	चम्बा	2008-13	5.87
17.	पलूही	चम्बा	चम्बा	2008-13	4.74
18.	साच	चम्बा	चम्बा	2007-11	7.27
19.	बतराहन	नूरपुर	कांगड़ा	2008-13	7.15
20.	अठ झिकली	भवारना	कांगड़ा	2008-13	4.46
21.	अधार	नूरपुर	कांगड़ा	2011-13	13.74
22.	बडोह	गगरेट	ऊना	2008-12	0.11
23.	छितकुल	कल्पा स्थित रिकांग पिओ	किनौर	2008-12	34.45
योग					135.81
सकल योग					136.77

स्रोत: लेखापरीक्षा निष्कर्ष

## परिशिष्ट-8

(संदर्भ परिच्छेद 1.7.7; पृष्ठ 9)

## 13वें वित्त आयोग के अंतर्गत निधियों का अवरोधन

(₹ लाख)

## जिला परिषद्

क्रमांक	जिला परिषद्	जिला	अवधि	प्राप्ति	व्यय	शेष
1.	शिमला	शिमला	2010-13	928.38	888.05	40.33
2.	रिकांग पिओ	किन्नौर	2012-13	28.46	19.07	9.39
3.	धर्मशाला	कांगड़ा	2010-13	2296.96	1982.46	314.50
4.	बिलासपुर	बिलासपुर	2012-13	373.26	249.60	123.66
5.	ऊना	ऊना	2012-13	653.47	272.98	380.49
6.	मण्डी	मण्डी	2010-11	2350.79	2075.89	274.90
योग				<b>6631.32</b>	<b>5488.05</b>	<b>1143.27</b>

## पंचायत समितियां

क्रमांक	पंचायत समिति	जिला	अवधि	प्राप्ति	व्यय	शेष
1.	ठियोग	शिमला	2010-13	98.42	59.38	39.04
2.	बैजनाथ	कांगड़ा	2011-13	217.42	128.25	89.17
3.	कण्डाघाट	सोलन	2010-13	99.49	67.63	31.86
4.	पंचरूखी	कांगड़ा	2010-13	154.39	79.59	74.80
5.	पछाड़	सिरमौर	2010-13	61.17	45.47	15.70
6.	भवारना	कांगड़ा	2010-13	166.67	113.68	52.99
7.	पांवटा साहिब	सिरमौर	2010-13	160.03	120.85	39.18
योग				<b>957.59</b>	<b>614.85</b>	<b>342.74</b>

## ग्राम पंचायत

क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	खण्ड	जिला	अवधि	प्राप्ति	व्यय	शेष
1.	चील बंगला	चम्बा	चम्बा	2011-13	0.38	0.01	0.37
2.	टिकरी	चम्बा	चम्बा	2011-13	0.65	0.34	0.31
3.	अन्धेरी	संगडाह	सिरमौर	2011-13	1.77	1.04	0.73
4.	चाकली	नाहन	सिरमौर	2011-13	2.02	1.85	0.17
5.	बढ़ाग	धर्मपुर	सोलन	2011-13	0.96	0.71	0.25
6.	चायल	कण्डाघाट	सोलन	2010-13	0.75	0.60	0.15
7.	बेरियां	धर्मपुर	सोलन	2012-13	1.79	1.44	0.35
8.	बड़ा भुईन	कुल्लू	कुल्लू	2012-13	1.15	0.23	0.92
9.	बड़ाहर	कुल्लू	कुल्लू	2011-13	0.68	0.57	0.11
10.	बशौना	कुल्लू	कुल्लू	2011-13	8.56	6.24	2.32
11.	विशलाधार	आनी	कुल्लू	2011-13	3.76	1.92	1.84

12.	बराहलड़ी	बंजार	कुल्लू	2010-13	1.55	0.63	0.92
13.	अर्चण्डी	नगगर	कुल्लू	2011-13	1.65	0.92	0.73
14.	बडाग्रां	नगगर	कुल्लू	2010-13	5.19	4.96	0.23
15.	अण्दौरा अण्पर	अम्ब	ऊना	2010-13	2.78	1.11	1.67
16.	भदौरा	हरोली	ऊना	2011-13	0.81	0.12	0.69
17.	बदमाना	अम्ब	ऊना	2010-13	0.59	0.02	0.57
18.	दुहल भटवाला	अम्ब	ऊना	2010-13	1.45	0.23	1.22
19.	अम्बोया	गगरेट	ऊना	2011-13	0.57	0.13	0.44
20.	बंजाल अण्पर	गगरेट	ऊना	2011-13	1.24	1.10	0.14
21.	बदोह	गगरेट	ऊना	2011-13	1.08	0.02	1.06
22.	भागड़ा	अम्ब	ऊना	2010-13	0.58	0.01	0.57
23.	बथेड़ी	हरोली	ऊना	2011-13	3.74	0.39	3.35
24.	भडियारा	हरोली	ऊना	2011-13	0.60	0.01	0.59
25.	भटेडा	हरोली	ऊना	2011-13	1.95	0.02	1.93
26.	चांदपुर	हरोली	ऊना	2011-13	0.74	0.01	0.73
27.	छेतारां	हरोली	ऊना	2011-13	1.15	0.05	1.10
28.	दियाड़ा	अम्ब	ऊना	2011-13	2.74	1.05	1.69
29.	गिंदपुर मलोन	अम्ब	ऊना	2011-13	1.83	1.55	0.28
30.	अघार	नूरपुर	कांगड़ा	2010-13	1.15	0.10	1.05
31.	छत्तर	नूरपुर	कांगड़ा	2011-13	1.33	0.97	0.36
32.	धनेटी गारलां	नूरपुर	कांगड़ा	2011-13	0.94	0.08	0.86
33.	दियोल	बैजनाथ	कांगड़ा	2010-13	0.84	0.16	0.68
34.	छत्र जोगियां	नूरपुर	कांगड़ा	2011-13	1.45	0.48	0.97
35.	चारूड़ी	नूरपुर	कांगड़ा	2011-13	0.76	0.12	0.64
36.	सिलग	द्रंग	मण्डी	2011-13	0.98	0.79	0.19
37.	सिधून	द्रंग	मण्डी	2011-13	0.68	0.25	0.43
38.	अवेरी	बैजनाथ	कांगड़ा	2011-13	1.81	1.01	0.80
39.	बाही	बैजनाथ	कांगड़ा	2010-13	1.45	0.83	0.62
40.	चौगान	बैजनाथ	कांगड़ा	2010-13	2.05	1.18	0.87
41.	बगोरा	भवारना	कांगड़ा	2010-13	1.20	0.89	0.31
42.	अर्थ झिकली	भवारना	कांगड़ा	2010-13	1.30	0.80	0.50
43.	बाल्ह	हमीरपुर	हमीरपुर	2011-13	4.76	1.52	3.24
44.	ब्राहलडी	कोट	हमीरपुर	2011-13	4.73	1.96	2.77
45.	बजरोल	बमसन	हमीरपुर	2010-13	1.19	0.78	0.41
योग					79.33	39.20	40.13
सकल योग					7668.24	6142.10	1526.14

स्रोत: लेखापरीक्षा निष्कर्ष

## परिशिष्ट-9

(संदर्भ परिच्छेद 1.7.7; पृष्ठ 9)

13वें वित्त आयोग के अंतर्गत निर्माण कार्यों के आरंभ न होने के कारण निधियों का अवरोधन

जिला परिषद्

क्रमांक	जिला परिषद्	अवधि	प्राप्ति	व्यय	शेष
1.	बिलासपुर	2011-13	96.27	-	96.27
2.	सिरमौर	2011-13	566.10	-	566.10
योग			662.37	-	662.37

पंचायत समिति

क्रमांक	पंचायत समिति	जिला	अवधि	प्राप्ति	व्यय	शेष
1.	कण्डाघाट	सोलन	2011-12	23.13	-	23.13
2.	पंचरूखी	कांगड़ा	2010-13	25.21	-	25.21
3.	रैत	कांगड़ा	2011-13	4.85	-	4.85
योग				53.19	-	53.19

ग्राम पंचायतें

क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	खण्ड	जिला	अवधि	प्राप्ति	व्यय	शेष
1.	पलयूर	चम्बा	चम्बा	2012-13	0.86	-	0.86
2.	बनोगी	बंजार	कुल्लू	2011-13	0.48	-	0.48
3.	भद्रकाली	गगरेट	ऊना	2011-13	1.63	-	1.63
4.	भंजाल लोअर	गगरेट	ऊना	2011-13	0.54	-	0.54
5.	तरस्वान	दरंग	मण्डी	2010-13	1.32	-	1.32
6.	चौबीन	बैजनाथ	कांगड़ा	2010-13	1.12	-	1.12
7.	द्रोगन पटीकोट	कोट	हमीरपुर	2012-13	3.25	-	3.25
योग					9.20	-	9.20
सकल योग					724.76	-	724.76

**परिशिष्ट-10**

(संदर्भ परिच्छेद 2.1.1; पृष्ठ 11)

**गृह कर की वसूली न होना**

(` लाख)

क्रमांक	ग्राम पंचायतें	खण्ड का नाम	जिले का नाम	बकाया राशि
1.	पंजोह	चम्बा	चम्बा	0.31
2.	दयोल	तीसा	चम्बा	0.20
3.	जुनेश	तीसा	चम्बा	0.24
4.	जगत	भरमौर	चम्बा	0.49
5.	सीयूर	भरमौर	चम्बा	0.24
6.	चरूडी	तीसा	चम्बा	0.25
7.	सेईकोठी	तीसा	चम्बा	0.07
8.	तीसा-II	तीसा	चम्बा	0.16
9.	तूणदाह	भरमौर	चम्बा	0.18
10.	सपरोट	तीसा	चम्बा	0.24
11.	गरीमा	भरमौर	चम्बा	0.21
12.	भंजराडू	तीसा	चम्बा	0.59
13.	पलयूर	चम्बा	चम्बा	0.29
14.	पद्धर साहो	चम्बा	चम्बा	0.12
15.	चील बंगला	चम्बा	चम्बा	0.16
16.	भराड़ा	तीसा	चम्बा	0.23
17.	कुलेठ	भरमौर	चम्बा	0.11
18.	साह	भरमौर	चम्बा	0.07
19.	ऊलासा	भरमौर	चम्बा	0.40
20.	कांडला	चम्बा	चम्बा	0.35
21.	पलोहीन	चम्बा	चम्बा	0.27
22.	साच	चम्बा	चम्बा	0.40
23.	तीसा-I	तीसा	चम्बा	0.17
24.	बडोल	संगडाह	सिरमौर	0.15
25.	अन्धेरी	संगडाह	सिरमौर	0.34
26.	चाकली	नाहन	सिरमौर	0.04
27.	बडोग	सोलन	सोलन	0.12
28.	बनासार	धर्मपुर	सोलन	0.10
29.	बडलाग	धर्मपुर	सोलन	0.02
30.	बडा भुवीन	कुल्लू	कुल्लू	0.16
31.	बाराहार	कुल्लू	कुल्लू	0.10
32.	बसौना	कुल्लू	कुल्लू	0.24
33.	विशलाधार	आनी	कुल्लू	0.14
34.	बलागढ़	आनी	कुल्लू	0.13
35.	बनोगी	बंजार	कुल्लू	0.17
36.	अर्चण्डी	नग्गर	कुल्लू	0.20
37.	बाडाग्रं	नग्गर	कुल्लू	0.35
38.	बडूही	बंगाणा	ऊना	0.16

क्रमांक	ग्राम पंचायतें	खण्ड का नाम	जिले का नाम	बकाया राशि
39.	भदौरी	हरोली	ऊना	0.06
40.	बेरियां	बंगाणा	ऊना	0.14
41.	डूहल भटवाला	अम्ब	ऊना	0.07
42.	भद्रकाली	गगरेट	ऊना	0.10
43.	भंजाल लोअर	गगरेट	ऊना	0.07
44.	भंजाल अप्पर	गगरेट	ऊना	0.10
45.	बडोह	गगरेट	ऊना	0.18
46.	अबोया	गगरेट	ऊना	0.04
47.	अभयपुर	गगरेट	ऊना	0.05
48.	भागराह	अम्ब	ऊना	0.02
49.	बाथड़ी	हरोली	ऊना	0.03
50.	भडीयारा	हरोली	ऊना	0.12
51.	भटेड़ा	हरोली	ऊना	1.37
52.	चांदपुर	हरोली	ऊना	0.28
53.	छेत्रां	हरोली	ऊना	0.42
54.	गिंदपुर मलोन	अम्ब	ऊना	0.02
55.	दीयाडा	अम्ब	ऊना	0.15
56.	सौंग	कल्पा स्थित किन्नौर	किन्नौर	0.06
57.	चांगो	पूह	किन्नौर	0.19
58.	शिलग	द्रंग स्थित पद्धर	मण्डी	0.16
59.	लटरान	द्रंग स्थित पद्धर	मण्डी	0.30
60.	मसौली	द्रंग स्थित पद्धर	मण्डी	0.57
61.	तरसवान	द्रंग स्थित पद्धर	मण्डी	0.13
62.	चारूडी	नूरपुर	कांगड़ा	0.20
63.	धनेटी गरलां	नूरपुर	कांगड़ा	0.24
64.	अघार	नूरपुर	कांगड़ा	0.32
65.	हाथीधार	नूरपुर	कांगड़ा	0.23
66.	बतराहन	नूरपुर	कांगड़ा	0.73
67.	दयोल	बैजनाथ	कांगड़ा	0.23
68.	चौबीन	बैजनाथ	कांगड़ा	1.04
69.	अवेरी	बैजनाथ	कांगड़ा	0.24
70.	बगोरा	भवारना	कांगड़ा	0.23
71.	अर्ठ झिकली	भवारना	कांगड़ा	0.21
72.	चौगान	बैजनाथ	कांगड़ा	0.20
73.	ताबो	काजा	लाहौल तथा स्पिति	0.04
74.	नालदा	केलांग	लाहौल तथा स्पिति	0.14
75.	शान्शा	केलांग	लाहौल तथा स्पिति	0.13
76.	ब्राहलडी	हमीरपुर	हमीरपुर	0.24
77.	द्रोगन पटी कोट	हमीरपुर	हमीरपुर	0.19
योग				17.41



## परिशिष्ट-11

(संदर्भ परिच्छेद 2.1.2; पृष्ठ 11)

### दुकानों का बकाया किराया

(` लाख)

क्रमांक	जिला परिषदें/पंचायत समितियां/ग्राम पंचायतों का नाम	अवधि	दुकानों की संख्या	राशि
<b>जिला परिषद्</b>				
1.	मण्डी	2009-13	7	19.11
2.	सिरमौर स्थित नाहन	2011-13	1	0.22
<b>योग</b>			<b>8</b>	<b>19.33</b>
<b>पंचायत समितियां</b>				
1.	चम्बा	2012-13	2	0.14
2.	बैजनाथ	2001-13	20	2.00
3.	कांगड़ा	2009-13	11	1.02
4.	पंचरूखी	2006-13	4	4.85
5.	कण्डाघाट	2007-13	6	2.76
6.	पछाड	2012-13	2	0.09
7.	पांवटा साहिब	2009-13	21	1.80
8.	नगरोटा बगवां	2010-13	15	0.28
<b>योग</b>			<b>81</b>	<b>12.94</b>

#### ग्राम पंचायतें

क्रमांक	ग्राम पंचायतें	खण्ड का नाम	जिले का नाम	अवधि	दुकानों की संख्या	राशि
1.	भांजरारू	तीसा	चम्बा	2005-13	6	1.35
2.	साहो	चम्बा	चम्बा	2008-13	5	0.20
3.	ददाहु	नाहन	सिरमौर	2005-11	5	0.48
4.	चौबीन	बैजनाथ	कांगड़ा	2009-12	4	0.34
5.	बाथरी	हरोली	ऊना	2000-14	4	0.76
<b>योग</b>					<b>24</b>	<b>3.13</b>
<b>सकल योग</b>					<b>113</b>	<b>35.40</b>

स्रोत: लेखापरीक्षा निष्कर्ष

## परिशिष्ट-12

(संदर्भ परिच्छेद 2.2.1; पृष्ठ 13)

## निर्माण कार्यों को आरम्भ न करने के कारण निधियों का अवरोधन

## पंचायत समितियां

(₹ लाख)

क्रमांक	पंचायत समितियों का नाम	अवधि	निर्माण कार्यों की संख्या	प्राप्ति	योग	व्यय	शेष
1.	चम्बा	2011-13	12	8.93	8.93	-	8.93
2.	ठियोग	2011-12	16	11.65	11.65	-	11.65
3.	पछाड	2011-12	15	5.63	5.63	-	5.63
4.	पांवटा साहिब	2011-13	9	11.40	11.40	-	11.40
योग			52	37.61	37.61	-	37.61

## ग्राम पंचायत

क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	जिला	अवधि	निर्माण कार्यों की संख्या	प्राप्ति	योग	व्यय	शेष
1.	पंजोह	चम्बा	2009-13	5	5.79	5.79	-	5.79
2.	चण्डी	चम्बा	2010-11	1	2.61	2.61	-	2.61
3.	टिक्करी	चम्बा	2010-11	1	2.21	2.21	-	2.21
4.	डूहल भटवाला	ऊना	2010-11	2	1.37	1.37	-	1.37
5.	अभयपुर	ऊना	2010-13	2	3.00	3.00	-	3.00
6.	अम्बोया	ऊना	2009-10	4	2.64	2.64	-	2.64
7.	भग्राह	ऊना	2012-13	3	3.45	3.45	-	3.45
8.	बडोह	ऊना	2012-13	2	1.90	1.90	-	1.90
9.	भांजल अप्पर	ऊना	2012-13	4	2.01	2.01	-	2.01
10.	भांजल लोअर	ऊना	2010-12	2	2.00	2.00	-	2.00
11.	भद्रकाली	ऊना	2009-13	4	1.68	1.68	-	1.68
12.	रकछम	किन्नौर	2011-12	1	7.75	7.75	-	7.75
योग				31	36.41	36.41	-	36.41
सकल योग				83	74.02	74.02	-	74.02

स्रोत: लेखापरीक्षा निष्कर्ष

### परिशिष्ट-13

(संदर्भ परिच्छेद 2.4.1; पृष्ठ 15)

#### महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत निष्पादित निर्माण कार्यों के सामग्री घटक पर कम व्यय

(` लाख)

क्रमांक	ग्राम पंचायतों का नाम	खण्ड का नाम	जिले का नाम	निर्माण कार्यों की संख्या	भुगतान की गई राशि	अपेक्षित 40% सामग्री भुगतान	वास्तविक सामग्री भुगतान	अपेक्षित 60% श्रम भुगतान	वास्तविक श्रम भुगतान	अंतर ( कालम 7-8 )
1.	बासोना	कुल्लू	कुल्लू	-	86.92	34.77	30.61	52.15	56.31	4.16
2.	विशलाधार	आनी	कुल्लू	103	50.57	20.23	13.33	30.34	37.24	6.90
3.	बनोगी	बंजार	कुल्लू	40	10.71	4.28	3.51	6.43	7.20	0.77
4.	बालगढ़	बंजार	कुल्लू	174	104.57	41.83	29.33	62.74	75.24	12.5
5.	आर्चण्डी	नग्गर	कुल्लू	12	24.54	9.82	7.28	14.72	17.26	2.54
6.	बडोल	संग्राह	सिरमौर	23	17.29	6.92	4.77	10.37	12.52	2.15
7.	भडीयारा	हरोली	ऊना	-	13.29	5.32	3.82	7.97	9.47	1.50
8.	बडा भुईन	कुल्लू	कुल्लू	-	45.46	18.18	15.23	27.28	30.23	2.95
योग				352	353.35	141.35	107.88	212	245.47	33.47

स्रोत: लेखापरीक्षा निष्कर्ष

## परिशिष्ट-14

(संदर्भ परिच्छेद 2.4.2; पृष्ठ 15)

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम स्कीम के अंतर्गत भुगतान जारी करने में विलम्ब

(₹ लाख)

क्रमांक	ग्राम पंचायतों का नाम	खण्ड का नाम	जिला का नाम	अवधि	दिनों में विलम्ब	राशि
1.	जगत	भरमौर	चम्बा	2009-13	57-293	6.23
2.	सपरोट	तीसा	चम्बा	2012-13	51-109	10.00
3.	ऊलांसा	भरमौर	चम्बा	2011-13	31-122	4.10
4.	बडौल	संगडाह	सिरमौर	2012-13	05-127	अनुपलब्ध
5.	अंधेरी	संगडाह	सिरमौर	2012-13	12-137	5.38
6.	लटरान	द्रंग स्थित पट्टर	मण्डी	2008-10	15-34	2.24
7.	तरस्वान	द्रंग स्थित पट्टर	मण्डी	2008-10	7-150	7.20
योग						35.15

स्रोत: लेखापरीक्षा निष्कर्ष

## परिशिष्ट-15

(संदर्भ परिच्छेद 3.3.2; पृष्ठ 19)

### शहरी स्थानीय निकायों में संस्वीकृत पद तथा पदासीन कर्मी

#### नगर निगम

श्रेणी का नाम	संस्वीकृत संख्या	भरे गए पद				आधिक्य (+)	कमी (-)
		नियमित आधार पर	दैनिक मजदूरी पर	ठेका अवधि पर	योग		
मसौदाकार	3	2	0	0	2	-	-1
कनिष्ठ मसौदाकार	1	0	0	1	1	-	-
ड्राईवर	19	26	0	7	33	+14	-
डी रेटिंग मेट/अन्य मेट	9	28	0	0	28	+19	-
मजदूर	229	384	33	6	423	+194	-
दर बेलदार	4	6	0	0	6	+2	-
<b>योग</b>	<b>265</b>	<b>446</b>	<b>33</b>	<b>14</b>	<b>493</b>	<b>+229</b>	<b>-1</b>
<b>शेष श्रेणियां</b>	<b>1105</b>	<b>1163</b>	<b>70</b>	<b>53</b>	<b>1286</b>	<b>+181</b>	<b>-</b>

#### नगर परिषदें

नगर परिषद् का नाम	संस्वीकृत संख्या	नियमित आधार पर भरे गये पद	दैनिक मजदूरी पर	ठेका आधार पर	आधिक्य (+)/	कमी (-)
बददी	18	7	0	2	-	-9
बिलासपुर	70	47	1	1	-	-21
चम्बा	100	72	14	0	-	-14
डलहौजी	87	64	1	0	-	-22
धर्मशाला	161	138	5	3	-	-15
धुमारवीं	25	21	0	1	-	-3
हमीरपुर	76	49	3	3	-	-21
कांगड़ा	56	32	3	0	-	-21
कुल्लू	157	97	15	0	-	-45
मनाली	62	57	0	0	-	-5
मण्डी	164	93	1	2	-	-68
नगरोटा	41	29	3	1	-	-8
नाहन	184	121	27	4	-	-32
नैनादेवी	16	6	0	2	-	-8
नालागढ़	61	37	0	1	-	-23
नूरपुर	39	23	0	2	-	-14
पालमपुर	43	28	0	1	-	-14
पांवटा साहिब	53	38	2	1	-	-12
परवाणू	42	36	0	0	-	-6
रामपुर	50	33	2	0	-	-15
रोहडू	22	15	1	1	-	-5
सोलन	219	186	9	1	-	-23
सुंदरनगर	96	70	1	2	-	-23

नगर परिषद् का नाम	संस्वीकृत संख्या	नियमित आधार पर भरे गये पद	दैनिक मजदूरी पर	ठेका आधार पर	आधिक्य (+)/	कमी (-)
ठियोग	24	11	2	1	-	-10
ऊना	68	42	1	0	-	-25
<b>योग</b>	<b>1934</b>	<b>1352</b>	<b>91</b>	<b>29</b>	<b>-</b>	<b>-462</b>

## नगर पंचायतें

नगर परिषद् का नाम	संस्वीकृत संख्या	नियमित आधार पर भरे गये पद	दैनिक मजदूरी पर	ठेका आधार पर	आधिक्य (+)/	कमी (-)
अर्की	25	13	1	2	-	-9
बंजार	20	6	0	0	-	-14
भोटा	19	5	0	0	-	-14
भुंतर	23	16	0	0	-	-7
चौपाल	18	3	0	0	-	-15
चुवाडी	18	9	10	1	+2	-
दौलतपुर	18	8	0	2	-	-8
देहरा	37	20	0	0	-	-17
गगरेट	20	6	0	0	-	-14
ज्वालामुखी	58	39	1	0	-	-18
जोगिन्द्रनगर	31	24	13	2	+8	-
जुब्बल	18	4	1	3	-	-10
कोटखाई	18	4	1	0	-	-13
मेहतपुर	19	17	4	1	+3	-
नादौन	32	25	2	0	-	-5
नारकण्डा	18	7	0	0	-	-11
राजगढ़	18	5	0	0	-	-13
रिवालसर	20	8	7	0	-	-5
संतोषगढ़	20	13	0	0	-	-7
सरकाघाट	19	15	0	1	-	-3
सुजानपुर	30	24	1	2	-	-3
सुन्नी	18	7	0	0	-	-11
तलाई	18	12	3	0	-	-3
करसोग	5	0	0	0	-	-5
<b>योग</b>	<b>540</b>	<b>290</b>	<b>44</b>	<b>14</b>	<b>+13</b>	<b>-205</b>
<b>सकल योग</b>	<b>3844</b>	<b>3251</b>	<b>238</b>	<b>110</b>	<b>+423</b>	<b>-668</b>

**परिशिष्ट-16**

(संदर्भ परिच्छेद 3.6.2; पृष्ठ 22)

वर्ष 2010-11 के लिए शहरी स्थानीय निकायों के बजट आकलनों तथा वास्तविक व्यय की विवरणी

(` लाख)

क्रमांक	शहरी स्थानीय निकायों का नाम	बजट आकलन	वास्तविक व्यय	बचत (-) आधिक्य (+)
<b>नगर निगम</b>				
1.	शिमला	8445.26	5366.87	-3078.39
<b>नगर परिषद्</b>				
1.	सोलन	1209.32	942.83	-266.49
2.	नूरपुर	215.92	161.04	-54.88
3.	रामपुर	537.73	315.84	-221.89
4.	हमीरपुर	362.20	333.30	-28.90
5.	कुल्लू	414.93	343.35	-71.58
6.	नालागढ़	535.47	265.14	-270.33
7.	चम्बा	441.91	250.41	-191.50
8.	पांवटा साहिब	666.30	236.99	-429.31
9.	कांगड़ा	364.93	206.45	-158.48
<b>योग</b>		<b>4748.71</b>	<b>3055.35</b>	<b>-1693.36</b>
<b>नगर पंचायत</b>				
1.	राजगढ़	56.96	32.44	-24.52
2.	कोटखाई	201.82	118.81	-83.01
3.	मेहतपुर	380.24	227.15	-153.09
4.	देहरा	124.39	86.92	-37.47
5.	बंजार	28.11	26.75	-1.36
6.	जोगिन्द्र नगर	243.04	83.47	-159.57
7.	दौलतपुर चौक	229.55	162.73	-66.82
<b>योग</b>		<b>1264.11</b>	<b>738.27</b>	<b>-525.84</b>
<b>सकल योग</b>		<b>14458.08</b>	<b>9160.49</b>	<b>-5297.59</b>

स्रोत: सम्बंधित शहरी स्थानीय निकाय

## वर्ष 2011-12 के लिए शहरी स्थानीय निकायों के बजट आकलनों तथा वास्तविक व्यय की विवरणी

( ` लाख)

क्रमांक	शहरी स्थानीय निकायों का नाम	बजट आकलन	वास्तविक व्यय	बचत (-) आधिक्य (+)
<b>नगर निगम</b>				
1.	शिमला	8499.43	4448.91	-4050.52
<b>नगर परिषद्</b>				
1.	सोलन	1281.22	1001.93	-279.29
2.	नूरपुर	214.67	157.52	-57.15
3.	रामपुर	478.54	279.09	-199.45
4.	हमीरपुर	586.80	432.50	-154.30
5.	कुल्लू	536.22	443.13	-93.09
6.	नालागढ़	597.34	264.15	-333.19
7.	चम्बा	670.78	357.92	-312.86
8.	पांवटा साहिब	962.94	327.39	-635.55
9.	कांगड़ा	446.38	258.50	-187.88
<b>योग</b>		<b>5774.89</b>	<b>3522.13</b>	<b>-2252.76</b>
<b>नगर पंचायत</b>				
1.	राजगढ़	44.18	27.05	-17.13
2.	कोटखाई	111.32	54.46	-56.86
3.	मेहतपुर	338.96	212.38	-126.58
4.	देहरा	149.63	109.61	-40.02
5.	बंजार	31.02	29.42	-1.60
6.	जोगिन्द्र नगर	241.92	80.35	-161.57
7.	दौलतपुर चौक	195.69	116.84	-78.85
<b>योग</b>		<b>1112.72</b>	<b>630.11</b>	<b>-482.61</b>
<b>सकल योग</b>		<b>15387.04</b>	<b>8601.15</b>	<b>-6785.89</b>

स्रोत: सम्बंधित शहरी स्थानीय निकाय



वर्ष 2012-13 के लिए शहरी स्थानीय निकायों के बजट आकलनों तथा वास्तविक व्यय की विवरणी

(` लाख)

क्रमांक	शहरी स्थानीय निकायों का नाम	बजट आकलन	वास्तविक व्यय	बचत (-) आधिव्यय (+)
<b>नगर निगम</b>				
1.	शिमला	9739.10	4726.20	-5012.90
<b>नगर परिषद्</b>				
1.	सोलन	1726.05	1282.77	-443.28
2.	नूरपुर	226.53	146.44	-80.09
3.	रामपुर	503.86	411.43	-92.43
4.	हमीरपुर	715.14	599.70	-115.44
5.	कुल्लू	669.41	425.50	-243.91
6.	नालागढ़	639.44	361.11	-278.33
7.	चम्बा	851.07	398.31	-452.76
8.	पांवटा साहिब	1248.43	336.55	-911.88
9.	कांगड़ा	594.05	190.83	-403.22
<b>योग</b>		<b>7173.98</b>	<b>4152.64</b>	<b>-3021.34</b>
<b>नगर पंचायत</b>				
1.	राजगढ़	77.86	50.79	-27.07
2.	कोटखाई	95.54	36.3	-59.24
3.	मेहतपुर	288.09	211.22	-76.87
4.	देहरा	179.78	122.92	-56.86
5.	बंजार	34.24	32.37	-1.87
6.	जोगिन्द्र नगर	256.36	95.45	-160.91
7.	दौलतपुर चौक	188.28	98.75	-89.53
<b>योग</b>		<b>1120.15</b>	<b>647.80</b>	<b>-472.35</b>
<b>सकल योग</b>		<b>18033.23</b>	<b>9526.64</b>	<b>-8506.59</b>

स्रोत: सम्बंधित शहरी स्थानीय निकाय

## परिशिष्ट-17

(संदर्भ परिच्छेद 3.6.5; पृष्ठ 23)

उन मामलों की विवरणी जिनमें रोकड़ बही बैंक पास बुक से कम शेष दर्शाती है

( ` लाख)

क्रमांक	नगर परिषद्/नगर पंचायत का नाम	31 मार्च 2013 को रोकड़ बही के अनुसार शेष	31 मार्च 2013 को पास बुक के अनुसार शेष	अन्तर
नगर परिषद्				
1.	सोलन	443.27	446.88	3.61
	योग	443.27	446.88	3.61
नगर पंचायत				
1.	जोगिन्द्र नगर	27.88	43.71	15.83
2.	बंजार	21.51	21.76	0.25
	योग	49.39	65.47	16.08

रोकड़ बही तथा पास बुक के मध्य अंतर का सारांश

( ` लाख)

क्रमांक	इकाई	इकाइयों की संख्या	रोकड़ बही तथा पास बुक के मध्य अंतर
1.	नगर परिषद्	1	3.61
2.	नगर पंचायत	2	16.08
	सकल योग	3	19.69

## परिशिष्ट-18

(संदर्भ परिच्छेद 4.1.2; पृष्ठ 25)

### बकाया गृह कर

(` लाख)

क्रमांक	नगर परिषदों का नाम	अप्रैल 2012 तक अथ शेष	2012-13 के दौरान मांग	कुल मांग	छूट	2012-13 के दौरान संग्रहण	मार्च 2013 तक बकाया राशि
1.	कुल्लू	22.32	12.91	35.23	0.86	17.68	16.69
2.	नूरपुर	25.46	5.84	31.30	शून्य	10.60	20.70
3.	रामपुर	63.25	42.30	105.55	0.31	46.24	59.00
योग		<b>111.03</b>	<b>61.05</b>	<b>172.08</b>	<b>1.17</b>	<b>74.52</b>	<b>96.39</b>
नगर पंचायतें							
1.	बंजार	3.63	3.89	7.52	शून्य	शून्य	7.52
2.	मेहतपुर	192.95	23.26	216.21	0.70	4.99	210.52
3.	जोगिन्द्र नगर	51.05	4.47	55.52	शून्य	1.82	53.70
योग		<b>247.63</b>	<b>31.62</b>	<b>279.25</b>	<b>0.70</b>	<b>6.81</b>	<b>271.74</b>
सकल योग		<b>358.66</b>	<b>92.67</b>	<b>451.33</b>	<b>1.87</b>	<b>81.33</b>	<b>368.13</b>

स्रोत: लेखापरीक्षा निष्कर्ष

## परिशिष्ट -19

(संदर्भ परिच्छेद 4.1.3; पृष्ठ 26)

दुकानों/स्टालों से किराये की वसूली न किया जाना

( लाख)

क्रमांक	नगर परिषदों का नाम	1 अप्रैल 2012 को अथ शेष	2012-13 के दौरान मांग	योग	संग्रहण	बकाया राशि ( 31 मार्च 2013 तक )
<b>नगर परिषद्</b>						
1.	कुल्लू	18.72	39.62	58.34	40.09	18.25
2.	पांवटा साहिब	26.50	19.02	45.52	13.72	31.80
3.	रामपुर	14.94	7.40	22.34	7.65	14.69
4.	सोलन	59.34	48.15	107.49	22.37	85.12
5.	नूरपुर	13.74	6.80	20.54	7.13	13.41
<b>योग</b>		<b>133.24</b>	<b>120.99</b>	<b>254.23</b>	<b>90.96</b>	<b>163.27</b>
<b>नगर पंचायतें</b>						
1.	राजगढ़	अनुपलब्ध	2.41	2.41	शून्य	2.41
2.	दौलतपुर चौक	0.58	12.02	12.60	11.84	0.76
3.	कोटखाई	25.89	10.07	35.96	5.51	30.45
4.	बंजार	2.10	1.97	4.07	1.41	2.66
5.	मेहतपुर	6.33	1.87	8.20	1.87	6.33
6.	जोगिन्द्र नगर	2.69	2.19	4.88	1.83	3.05
<b>योग</b>		<b>37.59</b>	<b>30.53</b>	<b>68.12</b>	<b>22.46</b>	<b>45.66</b>
<b>सकल योग</b>		<b>170.83</b>	<b>151.52</b>	<b>322.35</b>	<b>113.42</b>	<b>208.93</b>